



सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

16 दिसम्बर, 2022

सप्तदश विधान सभा
सप्तम सत्र

शुक्रवार, तिथि 16 दिसम्बर, 2022 ई०
25 अग्रहायण, 1944(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

श्री प्रेम कुमार : अध्यक्ष महोदय, छपरा में सैकड़ों लोग जहरीली शराब के कारण मारे गये हैं, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है । आपसे आग्रह है, कार्य स्थगन प्रस्ताव भी हमलोगों ने दिया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न काल होने दीजिए, उसके बाद कार्यस्थगन का जब समय आयेगा उस समय सरकार और आसन निर्णय लेगा । अभी जो कार्यवाही है उसको बाधित न करें।
(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तर काल

अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-18 (श्री संजय सरावगी, क्षेत्र सं० 83, दरभंगा)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी ।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-19 (श्री अरूण शंकर प्रसाद(क्षेत्र सं० 33, खजौली)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-20 (श्री जिवेश कुमार, क्षेत्र सं० 87, जाले)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार ।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-21 (श्री जिवेश कुमार, क्षेत्र सं० 87, जाले)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार ।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान जारी)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-22 (श्री अजय कुमार सिंह, क्षेत्र सं0 166, जमालपुर)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : कार्यस्थगन का समय जब आयेगा उस समय बात होगी । माननीय नेता प्रतिपक्ष, कार्यस्थगन प्रस्ताव आपने दिया है, उस समय बात होगी ।

माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभिन्न जिलों में योग प्रशिक्षकों की सेवा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) अंतर्गत योग प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिये सीमित अवधि के लिए ली गयी थी । भारत सरकार के द्वारा यदि उक्त कार्यक्रम के संचालन की योजना की स्वीकृति प्राप्त होती है तो इसपर विहित प्रक्रियानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आपके प्रश्न के उत्तर में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है, क्या उनके जवाब से आप संतुष्ट हैं ?

श्री अजय कुमार सिंह : एक सवाल पूछ लेता हूँ । महोदय, मेरा यह कहना है कि योग मानव के मानसिक पर्यावरण स्वच्छ करने का एक विज्ञान है । इस दिशा में राज्यहित के लिए सरकार को ही पहल करना है तो राज्य सरकार ने अभी तक क्या पहल किया है ? अगर नहीं, तो सरकार कबतक पहल करेगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

(व्यवधान जारी)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, हमने जवाब में पहले ही स्पष्ट कर दिया है । योग प्रशिक्षकों की सेवा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के अन्तर्गत योग प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए सीमित अवधि के लिए ली गई थी । अगर फिर भी कार्यक्रम संचालन योजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्राप्त होती है क्योंकि भारत सरकार का ही यह कार्यक्रम था । अगर भारत सरकार से कार्यक्रम की स्वीकृति प्राप्त होगी तो उसपर हमलोग प्रक्रियानुसार अग्रेतर कार्रवाई करेंगे ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-23 (श्री पवन कुमार जायसवाल, क्षेत्र सं0 21, ढाका)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री पवन कुमार जायसवाल ।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान जारी)

अभी क्वेश्चन आवर हो रहा है ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-24 (श्री मुरारी मोहन झा, क्षेत्र सं0 86, केवटी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुरारी मोहन झा ।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-25 (श्री जनक सिंह, क्षेत्र सं0 116, तरैया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जनक सिंह जी ।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-26 (श्री नारायण प्रसाद, क्षेत्र सं0 6, नौतन)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नारायण प्रसाद ।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान जारी)

अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-315 (श्री देवेश कान्त सिंह, क्षेत्र सं0 111, गोरेयाकोठी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री देवेश कान्त सिंह जी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-316 (श्री संजय कुमार गुप्ता, क्षेत्र सं0 30, बेलसंड)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मंदिर के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण से संबंधित कार्य पर्यटन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है ।

वर्तमान में पर्यटन विभाग द्वारा उक्त स्थल पर कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : समय का इंतजार करें माननीय सदस्यगण । बिल्कुल न्याय के साथ कार्रवाई हो रही है ।

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी : महोदय, नेता प्रतिपक्ष आपको नियमावली की प्रति दिखा रहे हैं । सदन अवगत है कि गंभीर से गंभीर विषय को भी सदन में उठाने के नियम और तरीके उसी नियमावली में दिये हुये हैं और हम सरकार की तरफ से सदन को और माननीय विपक्ष

को आश्वस्त करते हैं कि जो भी नियमावली में प्रावधान है उसके तहत कोई विषय उठाया जायेगा, आसन जो निदेश देगा सरकार सब चीज के लिए तैयार है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री और माननीय सदस्यगण को मैं कहना चाहता हूँ कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत यह प्रश्न काल चलाया जा रहा है । जब कार्यस्थगन का समय आयेगा तब आसन उसपर विचार करेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-317 (श्री मुकेश कुमार रौशन, क्षेत्र सं0 126, महुआ)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढीकरण करने हेतु राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है । वर्तमान में मोहल्ला क्लीनिक का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि मोहल्ला क्लीनिक एवं इस तरह की सुविधा जिन राज्यों में है, वहाँ एक टीम भेजकर सरकार इसका अध्ययन कराये और यहाँ भी इस तरह की सुविधा सरकार उपलब्ध कराये ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : सवाल होने दीजिये । पहले सवाल होने दीजिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढीकरण करने हेतु राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है । वर्तमान में मोहल्ला क्लीनिक का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-318 (श्री राजेश कुमार गुप्ता, क्षेत्र सं0 208, सासाराम)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार गुप्ता ।

(व्यवधान जारी)

आप आसन ग्रहण करें । प्रश्न काल को बाधित नहीं करें । आप आसन ग्रहण करें । उनलोगों को अपने आसन पर बुलवाइये । माननीय सदस्यगण, अगर आप आसन ग्रहण नहीं करेंगे तो आपको बोलने की इजाजत आसन कभी नहीं देगा । अपना स्थान ग्रहण कीजिये ।

माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, रामडीहरा अभी सामुदायिक भवन के एक कमरे में संचालित है ।

विभागीय स्तर पर माननीय सदस्य द्वारा अनुशंसित विधान सभावार नये निर्माण हेतु स्वास्थ्य केन्द्र को चिन्हित कर प्रतिवेदन की माँग विभागीय पत्रांक-240(7) दिनांक-

28.10.2022 के द्वारा जिलाधिकारी से की गयी है, जिसके आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

(व्यवधान जारी)

आसन ग्रहण कीजिए । प्रश्नकाल में सहयोग कीजिए जनक सिंह जी । नियम और नियमावली का पालन करें । आप आसन ग्रहण कीजिए । आप पहले आसन ग्रहण कीजिए । नहीं, ऐसे नहीं चलता है । आप आसन ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान जारी)

आप तो बैठिए । आप बैठिए । आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

(इस अवसर पर वेल से माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर चले गए)

माननीय नेता प्रतिपक्ष, पहले सदन को आप ऑर्डर में लाने के लिए आसन को सहयोग करें । आप सुनिए तो, आप सुनिए तो ।

...क्रमशः...

टर्न-2/आजाद/16.12.2022

अध्यक्ष : (क्रमशः) इसके बाद से नियम प्रक्रिया के तहत प्रश्नकाल अल्पसूचित हो या तारांकित प्रश्न हो, ये चलाये जायेंगे । तदोपरान्त आपने जो कार्यस्थगन दिया है, उसपर आसन विचार करेगी, वह मान्य हो या अमान्य हो, तब तक आप अपना आसन ग्रहण करें ।

क्वेश्चन आवर में, क्वेश्चन आवर रोक करके, प्रश्नकाल रोक करके आपको बोलने दें ? मैंने कहा कि जब तक आसन इजाजत नहीं देगा, आप नहीं बोल सकते हैं, क्या बात करते हैं, कैसे बोलने दिया जायेगा ?

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

(व्यवधान)

आप आसन पर जाईए ।

तारांकित प्रश्न सं0-319(श्री अली अशरफ सिद्दिकी,क्षेत्र सं0-158,नाथनगर)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अली अशरफ सिद्दिकी, नहीं हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0-320(श्री मोहम्मद अनजार नईमी,क्षेत्र सं0-52,बहादुरगंज)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अनजार नईमी, नहीं हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0-321(श्रीमती बीमा भारती,क्षेत्र सं0-60,रूपौली)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं कह रहा हूँ कि समय दूँगा, अभी तारांकित प्रश्न हो रहे हैं । प्रश्नकाल के समापन के बाद

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णिया जिला अंतर्गत भवानीपुर प्रखंड के ग्राम- महत्वाचाप, कमलाकुण्ड, बलिया, करमनचक में 16 के0वी0ए0 के ट्रांसफॉर्मर का क्षमता विस्तार का कार्य प्रगति पर है जिसे पूरा करने का लक्ष्य दिसम्बर, 2022 है ।

तारांकित प्रश्न सं0-322(श्री जय प्रकाश यादव,क्षेत्र सं0-46,नरपतगंज)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश यादव ।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-323(श्री बीरेन्द्र कुमार,क्षेत्र सं0-139,रोसड़ा(अ0जा0))

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री बीरेन्द्र कुमार ।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-324(श्री विजय शंकर दूबे,क्षेत्र सं0-112,महाराजगंज)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे ।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-325(श्री अजीत कुमार सिंह,क्षेत्र सं0-201,डुमरांव)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर वेल में उपस्थित विपक्ष के माननीय सदस्य प्रतिवेदक टेबुल को पीटने लगे)

माननीय सदस्यगण, कैसा आचरण आप लोग कर रहे हैं, यह कोई तरीका है? आप आसन ग्रहण करें, इसी के लिए लोकतंत्र में आपको जनता भेजी है कि किसी की बात को नहीं सुना जाय और न सुनने दिया जाय ।

माननीय सदस्य श्री अजीत कुमार सिंह जी, माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक है ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, जवाब मिला है, मैं पूरक पूछता हूँ ।

(व्यवधान जारी)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. बक्सर जिला के मेसर्स डुमराँव टेक्सटाईल लिमिटेड (सुता मिल) के द्वारा ऊर्जा विपन्न के भुगतान नहीं किये जाने के कारण नियमानुसार ससमय साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के द्वारा निलामवाद (निलामवाद संख्या-24/14-15) दायर किया जा चुका है। बकाया वसूली हेतु अग्रेतर कार्रवाई निलामवाद पदाधिकारी, बक्सर के द्वारा किया जाना है।

3. बक्सर स्थित बिजली कम्पनी के पदाधिकारी को जिला निलामवाद पदाधिकारी से व्यक्तिगत संपर्क कर निलामवाद के शीघ्र निष्पादन हेतु अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है।

अध्यक्ष : सभी मार्शल, कृपया माननीय सदस्य जो पोस्टर लिये हुए हैं, आपलोग पोस्टर को ले लें। आप प्रश्नकाल को बाधित न करें, आपलोग प्रश्नकाल को बाधित न करें। अपने-अपने स्थान को आप ग्रहण करें।

(व्यवधान जारी)

सदन में फोटो खींचने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह बिल्कुल नियम के विपरीत है। आप फोटो नहीं ले सकते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, आप फोटो लीजियेगा, यहां फोटो लेने का व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल गन्दा काम है, आप बिल्कुल लोकतंत्र के हत्यारे जैसा काम करते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

(इस अवसर पर वेल में उपस्थित विपक्ष के माननीय सदस्य प्रतिवेदक टेबुल को जोर-जोर से पीटने लगे)

अध्यक्ष : मैं आपलोगों से कहना चाहता हूँ कि आप टेबुल न पटके और अगर आप टेबुल पटकने का काम करेंगे तो नियमानुसार मैं कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा।

(व्यवधान जारी)

आपलोग टेबुल पटकेंगे तो मैं कार्रवाई नियमानुसार आपलोगों के ऊपर करूंगा। इसलिए आपलोग अपने आसन को ग्रहण करें।

तारांकित प्रश्न सं०-326(श्री कृष्ण कुमार मंटू,क्षेत्र सं०-120,अमनौर)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार मंटू, नहीं हैं।

आपलोग पीछे जाइए। आप आसन के पास नहीं और पीछे जाइए। अपने स्थान को ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न सं०-327(श्री सुधांशु शेखर,क्षेत्र सं०-31,हरलाखी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुधांशु शेखर। माननीय मंत्री।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत कुल-190 नर्सिंग होम तथा 73 जॉच घर/पैथोलॉजिकल/डायग्नोस्टिक सेंटर वैध रूप से

संचालित है । अवैध रूप से संचालित संस्थानों की जानकारी प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई की जाती है । गया जिलान्तर्गत सुर्य मंदिर के निकट राजरानी नर्सिंग होम को अवैध पाया गया है, जिसे तत्काल प्रभाव से एफ0आई0आर0 (थाना कांड संख्या-239/22 दिनांक 14.12.2022) दर्ज कर बंद कर दिया गया है । जहां तक एफ0एम0 नर्सिंग होम का प्रश्न है तो पाया गया कि वहां सिर्फ होमियो पैथ का ईलाज किया जाता है ।

(इस अवसर पर वेल में उपस्थित विपक्ष के माननीय सदस्य प्रतिवेदक टेबुल पर कुर्सी पीटने लगे)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपलोग ऐसा आचरण न करें । बिहार की जनता देख रही है और आप जिस तरह के आचरण करते हैं, यह अशोभनीय है । आप प्रश्नकाल को चलने नहीं देना चाहते हैं ।

अब सभा की कार्यवाही 12.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-3/शंभु/16.12.22

(स्थगन के उपरांत)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । पहले कुछ रिपोर्ट ले करना है जो महत्वपूर्ण है।
प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

(व्यवधान)

आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, बिना इजाजत के न बोलें आप बैठिए ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में मैं, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के “स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन” एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के प्रतिवेदन “राजस्व प्रक्षेत्र” बिहार में सतही सिंचाई परियोजनाओं के परिणामों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन” “खनिज प्राप्ति के मूल्यांकन और संग्रहण में प्रणालियों और नियंत्रणों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन” तथा “निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन” को महामहिम राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखता हूँ ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जायेगा ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

“भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के “स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन” एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के प्रतिवेदन “राजस्व प्रक्षेत्र” बिहार में सतही सिंचाई परियोजनाओं के परिणामों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन” खनिज प्राप्ति के मूल्यांकन और संग्रहण में प्रणालियों और नियंत्रणों पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन” तथा “निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन” को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो । ”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

“भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के “स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण

प्रतिवेदन” एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के प्रतिवेदन “राजस्व प्रक्षेत्र” बिहार में सतही सिंचाई परियोजनाओं के परिणामों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन” खनिज प्राप्तियों के मूल्यांकन और संग्रहण में प्रणालियों और नियंत्रणों पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन” तथा “निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन” को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो । ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बहुत अध्यक्ष देखी होंगी, लेकिन ऐसा अध्यक्ष नहीं देखी होंगी जो नियम-कानून के तहत विधान सभा को चलाता हो । आपको ज्ञान ही कितना है ? प्रभारी मंत्री वित्त विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के ग्रीन बजट पुस्तिका की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा-13 के तहत बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली, 2022 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा-13 के तहत बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली, 2022 की प्रति सदन पटल पर 14 दिनों तक रखी रहेगी ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : अरे ये सब लोगों के पेंशन और तनख्वाह वाला बात है इसको तो ध्यान से सुन लीजिए । ये सबके हित में है सदन के सदस्यों के । अध्यक्ष महोदय, आप मेरी तरफ देखियेगा तब न हम पढ़ेंगे । अध्यक्ष महोदय, आप बराबर विपक्ष को देखकर कुछ ज्यादा ही तरजीह दे रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, आसन को सत्तापक्ष को भी देखना है, विपक्ष को भी देखना है और विपक्ष से मैं चाहूंगा कि सकारात्मक सहयोग विपक्ष करे ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आप अगर विपक्ष को नियमानुसार अधिक भी तरजीह देंगे तो सरकार को खुशी होगी ।

अध्यक्ष : यह सरकार का बड़प्पन है कि आप चाह रहे हैं कि विपक्ष को भी उचित सम्मान दिया जाय । ऐसा काम अवश्य होना चाहिए, यह काम मैं करते रहूँगा ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, आपने तो उचित कहा हम तो कहते हैं कि उचित से थोड़ा बढ़ाकर भी दीजिएगा तो सरकार को खुशी होगी ।

अध्यक्ष : आसन कहीं कंजूसी नहीं करेगा ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : सरकार अनुगृहीत होगी ।

अध्यक्ष : मैं बहुत प्रसन्न हुआ, आसन आपके सुझाव से प्रसन्न हुआ । माननीय प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 की धारा-8(3) के तहत बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2022 से संबंधित अधिसूचना सं0-776, 777 दिनांक-30.09.22 तथा अधिसूचना सं0-864 दिनांक-09.11.22 एवं अधिसूचना सं0-1019 दिनांक-09.12.22 का हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 की धारा-8(3) के तहत बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2022 से संबंधित अधिसूचना सं0-776, 777 दिनांक-30.09.22 तथा अधिसूचना सं0-864 दिनांक-09.11.22 एवं अधिसूचना सं0-1019 दिनांक-09.12.22 की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक-एक प्रति सदन पटल पर 14 दिनों तक रखी रहेगी ।

टर्न-4/पुलकित/16.12.2022

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, योजना एवं विकास विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार स्थानीय क्षेत्र अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्ती नियमावली, 2018 (अधिसूचना संख्या-1226, दिनांक-12.03.2018) एवं बिहार संख्यकी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 (अधिसूचना संख्या-4360, दिनांक-13.12.2021) की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग ।

डॉ० रामानन्द यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-90 के तहत अधिसूचना संख्या-4352/एम, दिनांक-30.08.2022 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, विधि विभाग ।

श्री शमीम अहमद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा-18(6) के तहत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का वित्तीय वर्ष 2019-20 का वार्षिक लेखा की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति ।

(व्यवधान)

यह नहीं होगा, इसको हो जाने दीजिये । पहले इसको होने दीजिये उसके बाद विचार किया जायेगा । पहले यह होने दीजिये ।

श्री अजीत शर्मा, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम- 211 (1) के तहत सप्तदश बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित विशेष प्रतिवेदन सं0-2 की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ।

श्री हरिनारायण सिंह, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार राज्य भंडार निगम एवं बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड से संबंधित समिति का क्रमशः 211वाँ, 216वाँ एवं 218वाँ प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री जनक सिंह वेल में आ गये)

माननीय सदस्य श्री जनक सिंह जी, आप व्यवस्थित तरीके से सदन का संचालन करने में अवरोध पैदा करते हैं । अगर इस तरह का काम करेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आसन सक्षम कार्रवाई आपके ऊपर करेगा ।

अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक- 16 दिसम्बर, 2022 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन.....

(व्यवधान जारी)

आप अपने स्थान पर जाइये । आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये । आप जबर्दस्ती सदन चलाना चाहते हैं क्या ? सदन नियम और प्रक्रिया के साथ चलेगा, आपके दबाव से आसन दबने वाला नहीं है, यह जान लीजिये ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री जनक सिंह अपने स्थान पर चले गये)

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक- 16 दिसम्बर, 2022 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :

श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री राणा रणधीर, श्री संजय सरावगी, श्री जनक सिंह। आज सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी सम्मिलित अनुदान की मांग पर वाद-विवाद तथा मतदान एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2022 के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 176(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिये, यह नियम भी है। विपक्ष को बोलने दीजिये।

अध्यक्ष : बोलिये।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, कार्यस्थगन प्रस्ताव कल भी हमलोग दिये, आज भी हमलोग दिये हैं और यह लोकहित में बहुत महत्वपूर्ण है। छपरा के अंदर जहरीली शराब से कई दर्जन लोग मरे हैं, सौ से ऊपर लोग मरे हैं। हम कल शाम को घूमने गये थे, उन लोगों की, गरीब बच्चों की, गरीब परिवार के लोगों की जिस तरह से मौत हुई है। अध्यक्ष महोदय, वह हृदय विदायक घटना है। लोगों ने कहा है कि थाना खुलकर शराब बेचाता है। थाना से स्पिट गायब होने से...

अध्यक्ष : बेचता है कि बिकवाता है ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, बिकवाता है और बेचता भी है।

अध्यक्ष : हम थोड़ा करेक्शन इसको कर रहे थे।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, सुन लीजिये एक चीज तो कहेंगे। जो आया है जाना तय है, जो जन्म लिया है मरना तय है। अहम में कोई न रहे जो कल यहां बैठे थे आज वहां बैठे हैं, कल फिर यहां बैठेंगे और प्रतिपक्ष के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, बोलने से रोकना नहीं चाहिए।

अध्यक्ष : आपको तो बोलने के लिए समय दिये हैं।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आप तो कल भी बोलने नहीं दिये...

अध्यक्ष : कल कैसे बोलने देते। आपको कह रहे थे कि आसन पर जाइये, अपने सदस्यों को व्यवस्थित कीजिये। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा लेकिन वैसा काम आप नहीं किये। आप बोलिये।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आज हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार के कारण एक हजार से ज्यादा लोग मरें। माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा भी किये कि पीने वाले को नहीं पकड़ना है, पिलाने वाले को पकड़ना है। देर से ही सही मुख्यमंत्री जी को

ज्ञान हुआ कि सारी जेल भर गयी और गरीब लोग जेल के अंदर चले गये । आज जो जेल के अंदर बंद हैं उनको छोड़ दीजिये । पासी समुदाय के लोगों पर लाठी चार्ज हुई थी। गरीब, दलित, शोषित के ऊपर लाठी चार्ज हुआ । मुख्यमंत्री जी उन लोगों को छोड़ दीजिये और जिनके बच्चे मरे हैं एक बार आप जरूर जाकर देखिये कि कोई छह महीने का, नौ महीने का, डेढ़ साल का बच्चा और तीन-तीन बेटी, इनका कोई नहीं है । उनको मुआवजा देने की व्यवस्था बने । मुख्यमंत्री जी यह हृदय विदारक घटना है । मैं भी आपकी शराबबंदी और नशाबंदी के साथ खड़ा हूँ लेकिन जब आपका तंत्र कमजोर है उस समय भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे कि तंत्र कमजोर है, तंत्र को व्यवस्थित करिये । वहां का थाना प्रभारी किस तरह से दारू बिकवा रहा है, लोग कह रहे हैं । कई बार इस संदर्भ में हम भी अपने क्षेत्र के अंदर यह बात कहे थे । महोदय, दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी, अच्छी नीति तभी सफल होती है जब नीयत साफ होती है और हमारी नीयत में कोई व्यवधान डालता है तो उसके साथ रहना हमारा भी उसको परोक्ष रूप से समर्थन करना है । आज अगर जो शराबबंदी मुख्यमंत्री जी आप लागू करना चाह रहे थे तो गोपालगंज में शराब फैक्ट्री के मालिक को उम्मीदवार कैसे बनाया गया ? क्यों ऐसे लोगों का आपने समर्थन किया, शराब पीने वाले की बोतल, कुढ़नी के अंदर जिस उम्मीदवार की चली, उस उम्मीदवार को आपने कैसे बनाया ? बिहार के अंदर जो हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार कर रहा है । आपने तो बड़ी अच्छी नीति बनाई थी स्पीडी ट्रायल चलायेंगे, सम्पत्ति जब्त कर लेंगे, वह क्यों रूक गयी । क्यों नहीं स्पीडी ट्रायल चलाकर उसकी सम्पत्ति को जब्त करके जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा दिलवाते हैं। मुख्यमंत्री जी सत्ता संरक्षित हो रही है, सत्ता के द्वारा बालू और दारू के माफिया को संरक्षण मिल रहा है और पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उसमें शेयरदारी की जा रही है । माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को आप लेकर आये थे जंगल राज से मुक्त कराने, ये गुण्डा राज में बदल गया है...

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष अब आपने अपनी बात को रख दिया, अब अपना स्थान ग्रहण करें। अब संसदीय मंत्री जी बोलेंगे ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, सरकार का भी पक्ष सुना जाए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपने हर चीज कह दी अब कुछ बाकी नहीं ।

(व्यवधान)

अब सुनिये । पहले नेता प्रतिपक्ष बोले । उसके बाद जो हमारे मंत्री संसदीय कार्य विभाग हैं वे भी कुछ कहना चाहते हैं उनकी भी बात सुन लीजिये । उनको भी सुन लीजिये, उसके बाद....

(व्यवधान)

आप बैठिये । उनको पहले बोल लेने दीजिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : सुन लीजिये ।

अध्यक्ष : पहले संसदीय कार्य मंत्री जी की बात को सुन लीजिये । आपको समय दिया गया और आप बोले । हर बात की तरफ आपने सरकार का ध्यान खींचने का काम किया । अब हमारे संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं, अब अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

आप बैठिये, अपनी जगह पर रहिये ।

माननीय संसदीय मंत्री ।

टर्न-5/अभिनीत/16.12.2022

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अब देख लीजिए हालत, ये बोल रहे थे तो हमलोग सब शांति से सुन रहे थे लेकिन ये सरकार की बात सुनना नहीं चाहते हैं । महोदय, अगर शराबबंदी के पक्ष में ये ईमानदार होते तो जहां छपरा गये थे वहां एक बार इनलोगों में से किसी ने नहीं कहा कि शराब क्यों पीते हो । अगर शराबबंदी के...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपलोग शांति बनाये रखें । नेता प्रतिपक्ष बोल चुके हैं, अब संसदीय कार्य मंत्री जो बोल रहे हैं, सरकार को भी सुनिए । सरकार को भी सुनने की आदत डालिए ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि जो मौतें हुई हैं...

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थान को ग्रहण करें । आप तो बोल ही लिए, संसदीय कार्य मंत्री का भी सुन लीजिए ।

संसदीय कार्य मंत्री, आप बोलिए ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जो घटना घटी है उससे सरकार खुद मर्माहत है कि इस तरह की घटनाएं नहीं हों । महोदय, इस तरह की घटनाएं ही शराबबंदी को औचित्य प्रदान

करती है कि शराबबंदी लागू होनी चाहिए, यह इसी तरह की घटनाएं ही तो बताती हैं । ये लोग जो वहाँ गये थे, अध्यक्ष महोदय, कितनी हास्यास्पद बात है और कितनी दुःखद बात है कि जो लोग भी टीम में वहाँ गये थे, चाहे नेता प्रतिपक्ष थे या दूसरे सदस्य थे एक बार भी किसी ने नहीं कहा कि शराब क्यों पीते हो ? शराब पीने से यह जोखिम होता है, जान जाने का जोखिम रहता है तो अपलोग क्यों पीते हो, यह किसी ने नहीं कहा । महोदय, यही इनकी शराबबंदी के प्रति ईमानदारी है । महोदय, सरकार तो कृत संकल्पित है कि जो लोग भी इसमें दोषी होंगे, पुलिस विभाग के पदाधिकारी से लेकर एक्साइज डिपार्टमेंट के पदाधिकारी, कितने भी बड़े पदाधिकारी क्यों न हों जो दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी, यह तो सरकार कब से घोषणा कर चुकी है और कार्रवाई प्रारंभ भी हो चुकी है...

(व्यवधान जारी)

महोदय, कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है, चाहे पुलिस के पदाधिकारी हों या एक्साइज डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हों । सरकार ने बहुत ही पारदर्शी तरीके से कार्रवाई प्रारंभ की है और हम सरकार की तरफ से आमंत्रण देते हैं कि अगर किसी की संलिप्तता इनकी टीम के सामने आयी है, टीम ने किसी व्यक्ति, किसी संगठन, किसी विभाग की संलिप्तता पायी है तो सरकार को सूचना दें हम इनकी सूचना पर कार्रवाई करेंगे । महोदय, हम किसी को बचाना नहीं चाहते हैं, सरकार किसी को बचाना नहीं चाहती है । हर गलत करने वाले को कानून के हवाले करना यही तो नीतीश सरकार की पहचान है और हमलोग हर हाल में यह काम करने के लिए तैयार हैं । लेकिन ये वहाँ गये तो न किसी को एक बार भी कहा कि शराब छोड़ दो, न किसी को एक बार भी कहा कि अगर जान का जोखिम रहता है तो शराब क्यों पीते हो और आकर राजनीति करने लगें । मौतों पर राजनीति करना राजनीति का बेहद दुःखद पक्ष है महोदय और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए । यह तो निंदनीय बात है कि गरीब लोगों की मौत हो गयी और आप उस पर राजनीति कर रहे हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : कार्य स्थगन की सूचना अमान्य कर दी गयी है । अब आगे की कार्रवाई होगी ।

अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी । माननीय सदस्य डॉ० संजीव कुमार अपनी सूचना को पढ़ें ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : बोलिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम आपसे सिर्फ यह निवेदन करना चाह रहे थे कि जो छपरा में मौतें हुई हैं तो सरकार खुद इस बात से मर्माहत है। किसी की जान जाती है तो सरकार इसे हमेशा बुरा मानती है। छपरा में अगर इन्हीं लोगों के कहने के मुताबिक शराब पीने से मौतें हुई हैं, यह तो शराबबंदी कानून का औचित्य बताती है कि शराब पीने से जान जाने का जोखिम भी रहता है। महोदय, इस तरह की घटनाएं लोगों में संदेश देती है कि शराब छोड़ देना चाहिए और हमलोगों की सरकार की प्रतिबद्धता है कि लोगों को शराब पीने से अलग करने की भरपूर कोशिश करे। महोदय, यही सदन गवाह है कि सारे लोगों ने खड़े होकर संकल्प लिया था कि हमलोग न खुद पियेंगे और दूसरों को भी नहीं पीने के लिए प्रेरित करेंगे। महोदय, सबसे बड़ी बात है, सबसे जो दुःखद पक्ष है, हमलोगों ने अखबार पढ़ा है, मीडिया के माध्यम से कि इनकी टीम गयी थी, भाजपा के विधायकों की टीम गयी थी और हमलोग सरकार की तरफ से निमंत्रण दे रहें, आमंत्रण दे रहे हैं कि आपके द्वारा अगर जाँच के क्रम में किसी व्यक्ति, किसी पदाधिकारी की संलिप्तता इस कांड में पायी गई हो या आपकी जानकारी में आई हो तो आप सरकार को सूचना दीजिए। सरकार बेहद पारदर्शी तरीके से चाहे वह कितना बड़ा अधिकारी क्यों न हो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। महोदय, सरकार ने कार्रवाई करना भी प्रारंभ कर दिया है, पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, एक्साइज के ऑफिसर अगर इसमें संलिप्त पाये जायेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी। सरकार हमेशा इस माने में, आप महोदय जानते हैं कि चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे इस तरह से कानून का माखौल उड़ाकर गरीब लोगों की जान जाने की नौबत आये, इसके लिए जो भी अपराधी चिन्हित होंगे, जो भी पदाधिकारी चिन्हित होंगे उनके विरुद्ध सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन महोदय, इन लोगों ने जो सदन में संकल्प लिया था, वहाँ घटनास्थल पर गये तो किसी ने नहीं कहा कि लोगों को शराब नहीं पीनी चाहिए, आप छोड़ते क्यों नहीं हो। किसी ने यह नहीं कहा कि शराब पीने से जान जा रही है आप ही के टोले में, आप ही के मोहल्ले में, आप ही के इलाके में तो आपलोग शराब नहीं पीने के लिए क्यों नहीं मुहिम चलाते हैं? जब जान रहे हैं, महोदय कल ही उस सदन में लोग पूछ रहे थे कि जो शराब पीने से मौतें हो रही हैं ये मौतें कब तक चलेगी, सरकार से पूछ रहे थे। हमने कहा कि आपकी पहली पंक्ति में इसका जवाब निहित है कि शराब पीने से मौत होती है। ये मौतें नहीं हों इसका कारण खोजने की जरूरत है, यह तो आपकी पंक्ति में है कि शराब पीने से मौत होती है।

महोदय, सरकार की ईमानदारी और सरकार की लोकहित में बनायी गयी इस नीति की सार्थकता और प्रासंगिकता समझिए कि आज बिहार में इस तरह के लोगों को चिन्हित करने की पहल की गयी है। अब जरा उस बात पर गौर कीजिए कि जो

सरकार, दूसरे प्रदेशों से शराब की सप्लाई होती है वहां सरकार ने उनको चिन्हित करके, दूसरे प्रदेशों में घुस-घुस कर बिहार पुलिस ने अपराधियों को पकड़कर कानून के हवाले किया है। बिहार पुलिस ने प्रशंसनीय काम किया है। महोदय, जरा सोच कर देखिए कि सप्लाई कहां से आ रही है उत्तर प्रदेश से आ रही है, हरियाणा से आ रही है और इन प्रदेशों में कौन शासन चला रहा है, इन प्रदेशों में किसकी हुकूमत है। ये एक बार ईमानदारी से नहीं बोलते हैं कि भाजपा शासित प्रदेशों से बिहार को बदनाम या बिहार के गरीबों की जान लेने के लिए यहां पर गलत शराब भेजी जा रही है, यह इनको नहीं दिखता है और न कुछ ऐसा काम करते हैं। महोदय, इसलिए हम यही कह रहे हैं कि सरकार खुद इस बात से मर्माहत है। हमारे प्रदेश के गरीबों की जान चली जाती है, महोदय सरकार इसके लिए कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है लेकिन इनकी ईमानदारी तो कहीं दिखती नहीं है, कहीं ईमानदारी नहीं दिखती है इसलिए ये लोग चाहे वहां इनका दल जाये या सदन में इस बात को उठाये, जब कार्रवाई सरकार कर ही रही है..

(क्रमशः)

टर्न-6/हेमन्त/16.12.2022

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (क्रमशः) : और हमने कहा कि मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है कि इनके जांच दल द्वारा, जिसकी संलिप्तता पायी गयी है, जिसके कारण इस तरह की घटना हुई है, सरकार को सूचना दें अगर ईमानदार हैं, तो सरकार सख्त-से-सख्त कार्रवाई करेगी। ये हम सदन के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को आश्वस्त करते हैं।

डॉ० सत्येन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने छपरा के सवाल पर जो जवाब दिया है उसके संदर्भ में मुझे एक शब्द कहना है कि जो मृतक लोग हैं उनको मुआवजा देना चाहिए। क्योंकि शराबबंदी को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाये....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट जवाब दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी की और सरकार की जो नीयत है, बिल्कुल शराबबंदी पर अडिग है और उसमें जिनकी संलिप्तता पायी जायेगी उस पर कार्रवाई करने के लिए माननीय मंत्री जी ने कहा है, आप सब लोगों ने सुना है, पूरे बिहार की जनता ने सुना है।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक बात हम कहना चाहते हैं। यह देखकर आश्चर्य हुआ उधर से बोल रहे हैं और इधर से कोई बोले हैं, आप जरा सुन लीजिए, हम तो बार-बार कह रहे हैं कि शराब पियोगे, तो मरोगे और किस चीज से मरा ? अगर शराब पिया और गंदी शराब पिया, तो मर गया। उसको हम लोग मदद करेंगे ? यह तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। यह तो इतनी गंदी बात है और अगर आप लोगों में से कोई इस बात को सोचता है, तो आप लोग कहिये कि शराबबंदी को बंद कर दीजिए। यह कोई

तरीका है ? मुझको तो आश्चर्य होता है कि इसमें कोई कहे कि शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से कोई मर गया, तो उसको हम लोग मदद करेंगे ? तब तो इसका मतलब कि शराबबंदी बंद कर दीजिए । शराब पीने वाले को मदद की जाती है ? अरे! गंदी शराब पी, तो पता चल गया न कि तुम पीते हो और अगर तुमको कभी जहरीली शराब मिल जायेगी, तो मर ही जाओगे, यही तो बात है । क्या यह मेरा कहा हुआ है ? कृष्ण भगवान का भी आप लोगों को पता है ? जरा पता कर लीजिएगा, जो अपने को समझते हैं । मुस्लिम समुदाय के धर्म की भी एक-एक चीज देख लीजिए । आप अगर देखेंगे, तो पता चलेगा कि कोई धर्म को मानने वाला इस चीज को ठीक नहीं मानता है । बापू ने क्या कहा था ? तो देखते हैं कि अखबार में कभी-कभी कोई लिख देता है । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो कहा है उस चीज को हमने एक-एक घर में पहुंचा दिया है । हमने तो आप लोगों को इतनी बार बोला है, अभी ये लोग बोल रहे थे, अभी जो 12 दिन हम सभी जगह गये हैं और इनके लोग जो वहां रहते थे, हमारे पक्ष में वहां भाषण दे रहे थे और आज उल्टा बोल रहे हैं । तो क्या मामला हो गया ? हम तो लागू किये हुए हैं, तो आज जो देश में राज कर रहे हैं, उनके राज्य में भी शराबबंदी लागू है और वहां पर क्या हो रहा है ? देश में बिहार अकेला राज्य है, जो पूरी मजबूती के साथ शराबबंदी लागू करने की कोशिश कर रहा है । इतने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, इतने लोगों को डिसमिस किया जा रहा है, अगर कोई गड़बड़ करता है तो । हमने तो कहा है कि अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसी को पकड़िये । मान लीजिए कि कोई गरीब तबके का आदमी इधर-उधर गरीबी के कारण किसी के साथ लग गया, तो उसको समझाइये कि सरकार पैसा देगी, आप इस काम में मत लगिये कोई दूसरा काम करिये । असली व्यक्ति को पकड़िये, यह हमने सबको बता दिया है । लोग जहरीली शराब पीने से न मरे, तो उनके लिए हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, कभी नहीं यह काम करना चाहिए । ये लोग कैसे बोल रहे हैं, किसलिए शराबबंदी का सपोर्ट किया था, और आप लोगों को मालूम है, तब तो हम लोग अलग थे, आजकल जो हम लोग साथ हैं, उस समय ही हम लोगों ने किया था और 2017 में जब हम आये थे, उस समय तो हम लोग अलग थे । उस समय प्रधानमंत्री ने क्या भाषण दिया था ? कहा था कि बहुत अच्छा काम किया बिहार ने शराबबंदी लागू करके और आज आप देख लीजिए, अब हम लोग अलग हो गये हैं, तो इसी पर हंगामा कर रहे हैं । अब हालत समझ लीजिए, लोगों की क्या हालत हो गयी है । पहले यहां बोल रहे थे, तो उस समय हम कुछ बोले और अगर रुकते, तो हम उनको और बातें बताते । इसलिए हम तो यही कहेंगे कि इस बात को कभी नहीं कहना चाहिए, शराब तो गंदी चीज है और अगर लोग मर रहे हैं, तो आप लोग सोच लीजिए कि कितनी गंदी चीज है । यह तो साबित हो रहा है कि शराब पीना कितनी गंदी चीज

है। इसको तो हम लोग खूब प्रचारित करते हैं कि देखो लोग मर रहे हैं । पियोगे, तो मरोगे । तभी तो हम कह रहे हैं कि यह पूरा अभियान है, समझ लीजिए । गरीब-गुरबा जो लोग हैं उनके लिए हम कितना कर रहे हैं, कितना ज्यादा हम लोग उनको ऑफर दे रहे हैं । हम लोगों ने कहा कि इन सब धंधों में मत लगिये, एक लाख रुपया हम आपको देंगे कोई दूसरा काम करिये । अगर जरूरत पड़ेगी, तो सरकार उसको एक लाख रुपये से भी ज्यादा बढ़ाकर काम करने का मौका देगी, लेकिन करो तो । क्या फालतू काम हो रहा है भई ? यह तो आश्चर्य की बात है कि कोई अपने को गरीब कहे, यह कोई तरीका है क्या ? गरीबों के उत्थान के लिए न काम हो रहा है । कोई बच्चों को पढ़ा पाता था ? कोई नौकरी करता था, कोई काम करता था, शराब पीकर आता था घर में झगड़ा करता था और अब अगर शराब पीना बंद कर दिया, तो घर की स्थिति सुधर गयी । तो यह गरीब तबके के द्वारा ही दिया हुआ तो बयान है । अब अगर कुछ लोगों को यह बात लग रही है, तो यह बहुत गंदी बात है, वह अपना नुकसान कर रहे हैं । हम लोग तो सबके हित में काम कर रहे हैं । जो ये लोग बात बोल रहे हैं आजकल, पूरे तौर पर ये लोग बोल रहे हैं, तो इसीलिए किसी-न-किसी को साथ करने के चक्कर में हैं कि कम-से-कम ये आ जायें । तो कौन कहां जायेगा उसकी अपनी इच्छा है । हम लोग तो बतायेंगे कि बेहतर काम करने के लिए आपको मदद दे रहे हैं, आप अच्छा काम करिये, गंदा काम मत करिये । लेकिन हम एक बात तो कहेंगे कि दुनिया के सब आदमी सही हो ही नहीं सकते हैं, यह तो इम्पॉसिबल है, हर आदमी ठीक नहीं हो सकता है । जरा बताइये, बिहार में जहरीली शराब पीने वालों की संख्या, जब शराबबंदी लागू नहीं थी तब भी और आज उसकी संख्या कम है और दूसरी जगह खूब जहरीली शराब, जहां शराबबंदी लागू नहीं है, वहां भी जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं । मध्य प्रदेश टॉप पर है, कहां नहीं है ? सब जगह का हिसाब-किताब देख लीजिए । बात यह है कि यहां पर अगर लोग जहरीली शराब पीकर मरते हैं, तो हम लोग इसका खूब प्रचार करते हैं कि पियोगे, तो मरोगे । अब उसी को दूसरे रूप में ये लोग बता रहे हैं । इस तरह से अगर मरते हैं, तो दूसरी जगह क्यों नहीं छापते हो ? जहां शराबबंदी लागू है वहां का भी यही हाल है । अब तो हम बता रहे हैं लेकिन अब हम एक बार और फिर से जाकर कहेंगे कि अगर कोई शराब के पक्ष में बोल रहा है, तो आप याद रखिये कि यह कभी आपके हित में नहीं जायेगा, उल्टा काम है । ये लोग तो सबसे ज्यादा कर रहे हैं, झगड़ा कराने में लगे हुए हैं, हिंदू-मुस्लिम सभी में कहीं-न-कहीं । अगर तब भी अपने अधीन किसी को रखे हुए हैं न और कह रहे हैं कि हमको गाली देना ताकि तुमको मुसलमान दे देगा और इधर-उधर सब कर रहे हैं । सब जगह जाकर एक-एक बात को कह देना पड़ेगा । अगर होश में आओगे, तो कौन-सा काम हो रहा है ? कोई विकास का काम हो रहा है ? इन

सब पर चर्चा होती है । जिस राज्य में पुल गिरा, कितनी बड़ी संख्या में लोग मरे, एक दिन छपा और उसके बाद कुछ नहीं छपा । बंगाल में जो हुआ, उसका कितने दिन चला ? तो इन लोगों का तो हिसाब ही दूसरा है ।

(क्रमशः)

टर्न-7/धिरेन्द्र/16.12.2022

(क्रमशः)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : गंदगी होगी, दूसरी जगह नहीं छपेगी और बिहार में, बिहार में तो हर जगह कहेंगे कि देखो मरा, दारू पीया तो मरा, मत पीयो मरोगे, इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवायेंगे । कोई दारू पीकर मर जायेगा तो उसको हमलोग कम्पैसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता है । यह कभी मत सोचिये और अगर यही करना है तो सब मिलकर तय कर लीजिये, खूब कहिये कि शराब पीयो । इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है । पीयेगा, गड़बड़ पीयेगा तो मरेगा । इसलिए इस बात का ध्यान रखिये, हम आग्रह करेंगे...

(व्यवधान)

और यह कैसे होगा, कम्युनिस्ट पार्टी भी आखिर इसके पक्ष में है, शराब के सख्त खिलाफ हैं । इसलिए इन सब चीज का ध्यान रखिये और आप लोग तो मान लीजिये कि नये हैं, हमलोगों का रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है । हमलोग सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, सब का रिश्ता कितना अच्छा है और हम आपको ऐसे ही बता दें, जब हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते थे और पार्टियां साथ नहीं थी फिर भी सारे सी०पी०आई०, सी०पी०आई०(एम०) के लोग हमको मदद करते थे, इतना ज्यादा हमारा संबंध है, आज का है जी । इसलिए कृपा कर के हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, कभी गलत चीज पर मत सोचियेगा और इनका है सी०पी०आई०(एम०एल०), तो हमलोगों के नेता थे जॉर्ज साहब, इतना पुराना रिश्ता, तो कभी जो पुराना संबंध है इसलिए इस बात का ख्याल रखिये, जो हमलोग कह रहे हैं मतलब शराब के खिलाफ हैं और कोई गंदा शराब पीकर मर जाए तो उसके प्रति कोई सिम्पथी नहीं होनी चाहिए बल्कि इसका और प्रचार करना चाहिए । गरीब तबके का है तो गरीब तबके में जाकर कहना चाहिए कि इस तरह से मत काम करो, तुमको काम करने के लिए सरकार मदद देना चाह रही है, मदद लो, आगे बढ़ो, ये सब करियेगा तो बहुत अच्छा होगा । हम तो इन लोगों को भी कह रहे हैं लेकिन एक माननीय सदस्य ने भी कहा तो इसलिए हम खड़ा होकर बोल रहे हैं, नहीं तो बाकी ये बोल ही रहे थे, इसलिए हम इतना बात कह दिये । इसलिए मेरी बात को मानिये, यही हम आग्रह करेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण आज शुक्रवार है इसलिए अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-8/सुरज/16.12.2022

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष, महोदय बहुत बड़ी घटना बिहार के अंदर फिर घटित हो गयी...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष महोदय, सुना जाय ।

अध्यक्ष : आप सुनाईये, क्या कह रहे हैं ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष, महोदय जिस जहरीली शराब को लेकर के सदन के अंदर इतना हंगामा और चर्चा चल रहा है । फिर आज सीवान के अंदर आप ही का गृह जिला है और एक दर्जन से ज्यादा लोग फिर मौत के मुंह में चले गये, बेगुसराय के अंदर । महोदय, इससे बड़ा कोई विषय नहीं है इस पर चर्चा होनी चाहिये । सरकार को इस पर जवाब देना चाहिये । कब तक लाशों के ढेर पर सरकार शासन करने का प्रयास करेगी ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष अब आप स्थान ग्रहण करिये । अन्य कार्य होने दीजिये, अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

(व्यवधान जारी)

अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष-2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों का व्यवस्थापन होगा । उक्त विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों की कुल संख्या-44 है । आज इसके लिए एक दिन का समय निर्धारित है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अतः किसी एक विभाग के अनुदान की मांग के प्रस्ताव पर वाद-विवाद और सरकार का उत्तर तथा मतदान हो सकता है । मैं मांग संख्या-42 ग्रामीण विकास विभाग को लेता हूँ, जिस पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । शेष मांगों का व्यवस्थापन गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा किया जायेगा । इसके लिये 03 घंटे का समय उपलब्ध है ।

विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिये भी समय दिया जायेगा:

राष्ट्रीय जनता दल	-59 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-58 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	-34 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-14 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	-09 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-03 मिनट
सी0पी0आई0एम0	-01 मिनट
सी0पी0आई0	-01 मिनट
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन	-01 मिनट
कुल 180 मिनट	

माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें।

(व्यवधान जारी)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“ ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिये 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिये बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1895,05,29,000/- (एक हजार आठ सौ पंचानवे करोड़ पांच लाख उनतीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।”

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री अख्तरूल ईमान से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जो व्यापक हैं। जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं। माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद का प्रस्ताव प्रथम है।

अतएव, माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद।

(मूव नहीं किया गया)

माननीय सदस्यगण, कटौती प्रस्ताव मूव नहीं हुआ, इसलिये अब मूल प्रस्ताव पर वाद-विवाद होगा।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य, श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, आज अनुपूरक व्यय के पक्ष में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात को रख दिया है, सबलोग सुन लिये हैं ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है और इसी के तहत बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री और आदणीय उप मुख्यमंत्री...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या है आपका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर ?

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, आज जिस बजट पर विचार होना है तो स्वाभाविक रूप से जब माननीय मंत्री जी ने अपनी बात रख ली तो हमेशा से परंपरा रही है कि विरोधी पार्टी की ओर से लोग अपनी बात रखते हैं । महोदय, जब नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं तो कैसे अनुमति नहीं हो सकती है, किस नियम से नहीं हो सकती है ? महोदय, आप कार्य संचालन नियमावली देखिये, इस कार्य संचालन नियमावली में क्या लिखा है । नेता प्रतिपक्ष अपनी कुर्सी पर बैठे हुये हैं फिर भी इनको अनुमति नहीं देना कहीं से न्यायसंगत नहीं है । मेरा आपसे आग्रह होगा...

(व्यवधान जारी)

महोदय, लोकतंत्र में केवल विचार-विमर्श ही होता है और विमर्श का तरीका यही है कि सत्तारूढ़ दल भी अपनी बात कहता है और विपक्ष भी अपनी बात कहता है । महोदय, हम असहमत हो सकते हैं लेकिन हमको बोलने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है । मेरा आपसे आग्रह है कि नेता प्रतिपक्ष जब बोलना चाहते हैं तो हमेशा पहले वही बोलते हैं या वे किसी को जब अधिकृत करते हैं तब वह बोलता है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कुछ कह रहे हैं उसको मैं सुन रहा हूँ लेकिन यह जो प्रस्ताव आया हुआ है, पहले आपके दल के माननीय सदस्य लोग वेल में खड़े हैं, उनको आप व्यवस्थित करके अपने सीट पर कहिये जाने के लिये नेता प्रतिपक्ष ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर चले गये)

माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी को 58 मिनट है । अभी जो माननीय सदस्य को मैंने उन्हें चूँकि...

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, सदन परंपरा से चलता है और आप जानते हैं आप बहुत पुराने आदमी हैं । हमसे भी पहले से विधायक हैं, मुझे भी 27 साल हो गया है । कभी ऐसा नहीं हुआ हमेशा मंत्री महोदय के बाद विपक्ष के लोग ही बोलते रहे हैं ।

अध्यक्ष : आप भी पुराने सदस्य हैं । माननीय नेता प्रतिपक्ष ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष, महोदय लोकतांत्रिक परंपरा और संसदीय व्यवस्था में आप सत्ता पक्ष और विपक्ष के संरक्षक हैं । विपक्ष को भी सरकार का अंग माना जाता है ये लिखा हुआ है । महोदय, भारतीय जनता पार्टी सदन में विपक्षीय भूमिका को सकारात्मक और रचनात्मक रूप से निभाने के प्रति दृढ़ संकल्पित है । लेकिन आपका इसमें संरक्षण आवश्यक है निरपेक्ष भाव से । हम सदन को चलाने और सार्थक विमर्श कर जनहित के मुद्दों को उठाने वाले लोग हैं । महोदय, कल जब सारण शराब कांड में मृत व्यक्तियों का मामला उठाया गया तब नेता प्रतिपक्ष को...

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष मैं आप से बहुत विनम्र कहूंगा कि आज ग्रामीण विकास विभाग पर बहस है और आउट ऑफ सब्जेक्ट न जा करके आप ग्रामीण विकास विभाग पर बोलें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, उसी विषय पर आ रहे हैं...

अध्यक्ष : आप शराब पर बोल रहे हैं जबकि वह बात ही खत्म हो गयी है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, खत्म कहां वह तो शुरू हुई, आपके जिले के अंदर 12 लोग मरे हैं कल पूछियेगा । आसन पर बैठ करके इतने गंभीर विषय को आप चर्चा के लिये कहें, क्या जवाब देंगे ।

टर्न-9/राहुल/16.12.2022

अध्यक्ष : सरकार ने आज जवाब दिया है । माननीय मुख्यमंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब दिया है । आपने सुना नहीं, बिना सुने आप सदन से बहिर्गमन कर गये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : सीवान की चर्चा हुई उसमें ? सीवान, बेगुसराय की यह घटना अभी आई है महोदय...

अध्यक्ष : अभी की घटना नहीं । मैं आपसे कहता हूं सुनिये...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : आप सीवान के हित से जुड़ जाते हैं...

अध्यक्ष : आप ग्रामीण विकास विभाग पर बोलिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : वही बोल रहे हैं...

अध्यक्ष : वही बोलिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : सुना जाय महोदय...

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, ग्रामीण विकास नहीं होने के कारण ही तो ये घटनाएं हो रही हैं...

अध्यक्ष : माननीय नंद किशोर बाबू, देखिये....

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, ग्रामीण विकास अगर सही से हो जाता तो ये घटनाएं नहीं घटती...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य नंद किशोर बाबू आसन ने आपको इजाजत नहीं दी, न आपने आसन से इजाजत ली, बिना इजाजत के आप इंटरफेयर कर रहे हैं, आप माननीय सदस्य हैं मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता हूँ ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, सभी सदस्यों के संरक्षक आप हैं...

अध्यक्ष : ग्रामीण विकास विभाग पर बोलिये न ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, सुना जाय । सभी सदस्यों के संरक्षक आप हैं और सदस्यों की भावनाओं को जनता के सेवक के रूप में इस लोकतंत्र के बड़े पवित्र मंदिर में हम लोग आते हैं और अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए जो तात्कालिक विषय होता है, जिस पर सदन विमर्श करता है ताकि बहरी, अंधी सरकार को अपनी बात से जगा सकें । यह गूंगी सरकार इस तरह की हत्याओं से, जहरीली शराब हो, अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार की घटना हो उस पर सजग कर सकें महोदय, लेकिन जब आप ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो महोदय, बिहार गांवों का देश है । महोदय, आप भी सहमत हैं कि बिहार गांवों का देश है, गांव के अंदर विकास की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं । आज ग्रामीण क्षेत्र...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति-शांति ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कितनी योजनाएं चली हैं और आज उस ग्रामीण क्षेत्र के विकास/डेवलपमेंट के लिए हम सुशासन की बात करते हैं, गांधीजी की कल्पना को साकार करने की बात करते हैं । गांव का विकास होगा गांधीजी के विचारों से, गांधीजी के सिद्धान्तों से । गांधीजी का सिद्धान्त क्या था महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति-शांति । बड़ी प्रसन्नता की बात है कि नेता प्रतिपक्ष पूज्य महात्मा गांधी जी के संबंध में बड़े आदर के साथ बोल रहे हैं मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सब लोग शांति बनाये रखिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : कम से कम...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप शांति बना लें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, देर से ही सही कम से कम इस आसन की गरिमा को आपने प्रकट किया । महोदय, जब मैं आपके आसन पर था तो जो यहां गांधीजी की मूर्ति थी सत्र से पहले उसपर माल्यार्पण करता था, पुष्प अर्पित करता था यह

परंपरा इस बार क्यों टूट गई । मैंने आज दोबारा किया लेकिन क्यों टूटी, गांधीजी की बात है महोदय...

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप जो कह रहे हैं न मैं उसका जवाब नहीं दूंगा इसलिए कि पूज्य महात्मा गांधीजी का जो चित्र है वह विधान सभा स्पीकर की कुर्सी के ऊपर लगा हुआ है मैंने माल्यार्पण उनके ऊपर किया है...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : मूर्ति भी लगी हुई है...

अध्यक्ष : आगे बढ़िये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, गांधीजी का ही सपना था, ग्रामीण कार्य विभाग के अंदर...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : भाई विरेन्द्र, आपसे निवेदन होगा कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जाय ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग के अंदर ही, ग्रामीण विकास विभाग के अंदर ही महात्मा गांधीजी के सपनों को साकार करने की सारी संरचनाएं बनी थीं । उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हम लोगों को विकारों से मुक्त होना होगा । महोदय, समाज के अंदर जो विकार है, जो सामाजिक ताना-बाना को तोड़ देता है विकास उसमें प्राथमिकता में था । उस प्राथमिकता के पथ पर जब बढ़ने लगे तो हमारे विकार के अंदर नशा का भी एक बड़ा पहलू था । महोदय, इतने वर्षों से बड़े भाई, छोटे भाई के अंदर ही ग्रामीण कार्य विभाग रहा, ग्रामीण विकास विभाग रहा । महोदय, गांव की हालात क्यों नहीं सुधरी, गांव के अंदर नशाखोरी क्यों नहीं बंद हुई, गांव के अंदर सामाजिक समरसता का ताना-बाना क्यों टूटा ? विकास की गति अगर बढ़ती तो हमारे नौजवान शराब लाकर के घर-घर होम डिलिवरी नहीं करते । क्यों शराब की होम डिलिवरी, कल जब हम वहां गये सारी घटना को देखे...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप शांत हो जाइये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : घर गांव के अंदर था और घर में होम डिलिवरी । महोदय, आपने उस गरीब परिवार को, ग्रामीण विकास मंत्री बैठे हैं आज भी गांव के अंदर झोंपड़ी में रहने वाला, जिसका पति मर गया, तीन-तीन जवान बेटी, बच्चे अनाथ हो गये तो क्या सरकार का अधिकार नहीं है कि हम उसके संरक्षक और अभिभावक बनें । सरकार उसको मुआवजा देकर के, उसको रोजगार का अवसर देकर के उसका प्रतिपालन करने का अधिकार नहीं है महोदय । क्यों नहीं कर सकते हैं ग्रामीण विकास विभाग के अंदर ? महोदय, सरकार जो नियम देती है कि नियम के विरुद्ध जो करेगा वह भोगेगा । महोदय, नियम सरकार बनाती है, उसका पालन...

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : नियम का पालन पुलिस को कराना है । महोदय, अगर नियम का पालन नहीं होता है, हर घर नल का जल पहुंचाने का, हर घर के अंदर विकारों से, नशे से मुक्त कराने का तो फिर पुलिस की जिम्मेवारी, गृह विभाग के मंत्री, मुख्यमंत्री जी हैं क्यों जिम्मेवारी नहीं उठाते हैं, क्यों नहीं लेते हैं कि आज गांवों का विकास नहीं होने के कारण 100 से ज्यादा लोगों की मौत, एक हजार से ज्यादा जहरीली शराब से मौतें हुई क्या यही ग्रामीण विकास है, यही गांव का विकास है, गांधीजी के प्रति यही समर्पण है ? महोदय, गांधीजी के सात संकल्प लिखे हुए हैं, आप भी देखे हैं, हम भी देखे हैं । सिद्धान्त के बिना राजनीति, उन्होंने यह कहा था कि सिद्धान्त के बिना राजनीति करने वाले लोग गांव का विकास नहीं कर सकते, काम के बिना धन, भ्रष्टाचार से बहुत लोग अरबपति, खरबपति बन गये आपके थाने के अंदर...

अध्यक्ष : आप प्रॉक्सी नहीं करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, आपके थाने के अंदर लाशों के ढेर पर भ्रष्टाचार की बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी हो गई ग्रामीण विकास यह है ? महोदय, लोग आज बंधुआ मजदूर की जिंदगी जीते हैं । महोदय, आज बेगुसराय के अंदर साहेबपुर कमाल विधान सभा अन्तर्गत साहेबपुर कमाल पंचायत विशनपुर में दो-दो लोगों की मृत्यु हो गई । महोदय, आज 13 करोड़ से अधिक राशि इस मद के अंदर, आज नशे के मद में ग्रामीण विकास के माध्यम से कितना खर्च हुआ, क्या उसकी परिणति है ? पूर्ण शराबबंदी बिहार में है और पूर्ण शराबबंदी के बाद भी शराब कैसे आती है, नशाखोरी कैसे हो रही है यह किसकी जिम्मेवारी है, शासन-प्रशासन में बैठे लोगों की जिम्मेवारी है महोदय । शासन-प्रशासन की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए थी उस पर...

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, आप दिशा से भटक रहे हैं इसलिए दिशा से न भटके, आउट ऑफ सब्जेक्ट न जायें, जो विषय है उस पर बोलिये, आपको बोलने के लिए कहा गया है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, विषय पर हैं । कटू सत्य को सुनना चाहिए, सच्चाई है कटू सत्य । विपक्ष का काम है सरकार को सजग करना, विपक्ष का काम है समाज के अंदर जो सरकार की नीति फेल हो रही है उस पर अपनी बात को रखना । महोदय...

(क्रमशः)

टर्न-10/मुकुल/16.12.2022

क्रमशः

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, आज कुव्यवस्था के कारण, आज भ्रष्टाचार और नशाखोरी में सरकार की उदासीनता के कारण नौजवानों के अंदर एक नई बीमारी शुरू हो

गई है । महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री बैठे हैं । मंत्री जी, आज हमारी और आपकी पीढ़ी शराबबंदी का जो रियेक्शन, जो शराबबंदी का परिणाम, प्रशासन की ओर से लगा तो नशा बढ़ गया । आज मादक, नशाखोरी, अफीम और चरस खुलकर के गांव के अंदर पहुंच गया, बिहार के अंदर ये नहीं थे, दूसरा स्टेट सिर्फ पंजाब इसका शिकार हुआ था, अब बिहार शिकार होने लगा, गांव के अंदर विकास करना चाहिए, जागरूकता पैदा करना चाहिए । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या जागरूकता पैदा कर रहे हैं, सिर्फ शराबबंदी, शराबबंदी और शराबबंदी । हमलोगों ने जो कहा था, आज भी हम हाउस में कहें कि मैं विपक्ष में ही बैठा था और उस समय भी गांव की पीढ़ी को बचाने के लिए, आने वाली भावी जेनरेशन को बचाने के लिए.....

(व्यवधान)

आप चुप रहिये । आप तो खुद....

श्री महबूब आलम : आप पहले यह बताइये कि आप शराबबंदी के पक्ष में हैं या विपक्ष में ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर आप कार्य संचालन नियमावली को पढ़े हुए होंगे तो बिना इजाजत के, आसन जब तक इजाजत न दे, आप न खड़े हों और माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं और इनसे भी मैं चाहूंगा कि भूमिका में न जाएं, ग्रामीण विकास विभाग के बारे में कुछ अच्छा कहा जाय ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं । ग्रामीण विकास विभाग.

...

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर हूं....

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के अंदर जो योजनाएं लागू की गई हैं.....

(व्यवधान जारी)

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कर लें, अभी मैं आपको समय नहीं दे रहा हूं, आप अपना स्थान ग्रहण कर लें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के अंदर जो योजनाएं चली हैं, सच्चाई है कि सुविधा शुल्क लिये बिना काम नहीं हो रहा है, यहां पर सभी माननीय विधायक बैठे हैं, सब अपने हृदय पर हाथ रखें कि क्या हो रहा है । महोदय, आज हिटलर की नीति का पालन कर राइस मिल वाले को पहले अरवा चावल और अब

उसको कूटने, फिर बदलकर उसना करने का निर्देश जारी होता है । महोदय, आप जानते हैं कि यह गांव का देश है, हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र धान का है, कभी अरवा-कभी उसना। उसना चावल आपने दो व्यक्ति को जो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नालंदा से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ देने के लिए पूरे बिहार को, हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया । महोदय, आज...

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, जब तक स्पेसिफिक कोई सबूत न हो तो स्पेसिफिक किसी जगह का नाम नहीं लिया जाता है, मेरा यही कहना है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, मैं सबूत उपलब्ध करवा दूंगा, हम सदन को सबूत उपलब्ध करवा देंगे ।

अध्यक्ष : वह अलग बात है, आप टेबल पर सबूत नहीं दिया और आप नालंदा की बात कह रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए, आप ग्रामीण विकास पर बोलिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, ग्रामीण विकास पर, नालंदा जिला से नहीं, किसी खास व्यक्ति के द्वारा उसको उपकृत करने के लिए सभी अरवा चावल को बंद करवाया जा रहा है । रोजगार का बड़ा अवसर गांव के क्षेत्र के अंदर था, रोजगार से बेरोजगार बनाया जा रहा है, महोदय । अगर आज खाद के लिए ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत किसानों को जागरूक करते, अगर यहां के हमारी और इनकी व्यवस्था के तहत बहुत सारे जागरूकता अभियान चलते हैं तो खाद और बीज का ब्लैक मार्केटिंग नहीं होता । आज वहां के बी0डी0ओ0 के माध्यम से क्या खेल हो रहा है, आप जब भ्रष्टाचार जो फैला रहा है, उसकी मॉनिटरिंग और निगरानी की व्यवस्था बना रहे हैं । महोदय, जाकर गर्दनीबाग के अंदर देखिये कि आज किस तरह से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान, कई लोग टेंट लगाकर धरना पर बैठे हैं । महोदय, शैक्षणिक वातावरण से लेकर राइस मिल के अंदर काम करने वाले मजदूर तक, गांव के विकास के लिए जो योजनाएं चल रही हैं सात निश्चय, जल-जीवन-हरियाली । महोदय, हमलोगों ने क्या हद कर दिया है, सात निश्चय चला रहे हैं, सात निश्चय के अंदर 17 हजार करोड़ आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन गांव के अंदर हमारे बच्चे जो बैठे हैं उनको पढ़ने के लिए कक्ष नहीं हैं, उसको पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं । महोदय, अगर वही पैसा उसमें खर्च होता तो ग्रामीण विकास का एक अलग चेहरा बनता, एक अलग रोल मॉडल बनता । महोदय, गांव के अंदर स्वास्थ्य की स्थिति भी कितनी बदतर है, हम क्या कर रहे हैं, विकास के अंदर आप गंगा बहाने की बात करते हैं और स्वास्थ्य के अंदर, आपका फिर से ध्यान आकृष्ट करता हूं कि महोदय, जब हम कल गांव में घूम रहे थे तो 16, 17 जगहों पर हमने पीड़ित परिवार से मिला और उन लोगों ने कहा कि हम एम्बुलेंस के लिए तड़पते रह गये, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया, मेरा पति मर गया, बाप मर गया और मासूम बच्चे रो रहे

थे। महोदय, जो पटना आया वह बच गया, अगर हम उन 50 लोगों को अच्छे हॉस्पिटल के अंदर भेज देते, जो हॉस्पिटल जाता है तो उसको कोई देखने वाला नहीं है। महोदय, आज ग्रामीण विकास के अंदर कई विभाग जुड़े रहते हैं, विभाग को मजबूत करने की व्यवस्था....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नहीं, गिलोटिन है, गिलोटिन है।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, आज हजारों लोग धरना पर बैठे हैं गांव के लोग, आज गांव के अंदर जो विद्यालय हैं, प्राइमरी स्कूल, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय। महोदय, शिक्षक अभ्यर्थी का मामला भी आपके सामने आया था, एक बार तो आप भी उसकी चर्चा कर रहे थे। महोदय, हम जब रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार भी ग्रामीण विकास का ही तो मामला है। कहते हैं हम रोजगार देंगे, सबको रोजगार देंगे, महोदय, वह भी बच्चा जो धरना पर बैठा है, शिक्षक, अभ्यर्थी हो या विकास से जुड़े हुए जो भी लोग धरना पर बैठे हैं क्यों उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं, क्यों रोजगार को रोक दिये। महोदय, आज विधायक इस पवित्र मंदिर में विमर्श के लिए बैठे हैं, बात बनाने के लिए नहीं। जब वे अपनी मांग उठाते हैं तो लाठी से पीटा जाता है, आवाज को दबाया जाता है। महोदय, जिस तरह से आज 4 लाख लोगों पर मुकदमा हुआ और सभी गांव के लोग हैं, सभी ग्रामीण विकास के लाभार्थी हैं, सब पर केस हो गया और बहुत लोगों पर तो झूठा केस हुआ। महोदय, जिस तारीख की बात करते हैं, उस तारीख को हमलोग नीरा कहेंगे कि नीरा करके लेंगे, आपको रोजगार देंगे, क्या हुआ महोदय। उस पासी समाज के लोग, कितनों पर मुकदमा हुआ, जब आवाज उठाया तो लाठी से पीटा गया।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आज विमर्श का मुख्य विषय ग्रामीण विकास विभाग है।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, यह ग्रामीण विकास विभाग का ही है।

अध्यक्ष : नहीं, आप थोड़ा आउट ऑफ सब्जेक्ट जा रहे हैं।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, यह ग्रामीण विकास विभाग का ही है।

अध्यक्ष : आप नेता प्रतिपक्ष हैं, स्मरण कीजिए।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, यह ग्रामीण विकास का ही है।

अध्यक्ष : मैं आपको एक इंडिकेटर दे रहा हूं, आप विषयांतर न होइये, विषय पर बोलिये।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, ये ग्रामीण विकास की बात करते हैं, ग्रामीण विकास के अंदर, जो ब्लॉक के अंदर गांव के लोग जाते हैं, उनका एक भी बिना घूस के कोई काम नहीं हो रहा है, ये भ्रष्टाचार के रूप में जो बैठे हैं, बहुत सारे लोग जानते हुए भी मौन क्यों हैं, चुप क्यों हैं। भ्रष्टाचार की इमारत पर, भ्रष्टाचार के धन पर बड़ी-बड़ी इमारतें बनाने वाले लोगों पर ग्रामीण विकास की ओर से किन-किन पर कार्रवाई हुई, कौन

से प्रखंड विकास पदाधिकारी की संपत्ति जब्त हुई । माननीय मंत्री जी, 'जीरो टॉलरेंस' भ्रष्टाचार में, हम तो मुख्यमंत्री जी की नीति को ही पालन करते हैं भ्रष्टाचार पर 'जीरो टॉलरेंस' । क्यों भ्रष्टाचार पर 'जीरो टॉलरेंस' नहीं हो रहा है माननीय मंत्री जी जवाब दें, खानापूर्ति के लिए, आप ही की जगह पर हम बैठे थे और जब 'जीरो टॉलरेंस' भ्रष्टाचार में उठाया तो क्या दृश्य देश के अंदर बना, क्या माहौल बना । गरीब लोगों को, गांव के नौजवानों को जेल के अंदर बंद कर दें, महोदय, चार लाख लोग आज इस पीड़ा के दर्द से कराह रहे हैं, जिस तरह से उनके साथ....

(व्यवधान)

टर्न-11/यानपति/16.12.2022

अध्यक्ष: आंकड़े सही हैं न ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल: 4 लाख, आप आंकड़े की जांच कराइये और सारे, मैं चुनौती देता हूं महोदय सभी जिले के अंदर से मैंने तो आज कहा है सभी जिले से आंकड़ा मंगवाइये । थाने के अंदर और आपको जानकारी देंगे महोदय कि थाने के अंदर अब केस नहीं ले रहे हैं । गरीब लोग जाते हैं भ्रष्टाचार के मामले को लेकर थाना में केस करने भगा देते हैं । भगा देते हैं महोदय, उसको टारगेट करते हैं, आर0टी0आई0 से जो मांगते हैं उसका जवाब नहीं मिलता है और जो आर0टी0आई0 केंद्र बार-बार लिखता है उसको सजा और जेल के अंदर भेजने का प्रयास करते हैं, यह किस की जिम्मेवारी है महोदय । आप विकास करेंगे, विकास की बात तब होती है महोदय, नीति तब सफल होती है जब नीयत साफ हो, नीयत में खोट रहेगा और भ्रष्टाचारियों की जमात के साथ बैठिएगा, कभी नीति सफल नहीं होगी महोदय । **xxx**

अध्यक्ष: बिना सबूत के मंत्रिमंडल में बहुत सारे भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं, यह कहना उचित नहीं है इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल: महोदय, अगर सबूत चाहिए तो 17 हजार करोड़ का ग्रामीण विकास से जुड़ा मामला है, खुली चुनौती देते हैं महोदय कि नल का जल के नाम पर जो 17 हजार करोड़ सात निश्चय में खर्च हुआ है, 80 जगह, 80 परसेंट बंद है ।

अध्यक्ष: ऐसा लगता नहीं है नेता प्रतिपक्ष ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल: 80 परसेंट बंद है, महोदय, क्या इनकार करेंगे, सारे विधायक बैठे हैं...

अध्यक्ष: इन्कार नहीं करेंगे ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल: 80 परसेंट बंद है ।

अध्यक्ष: लेकिन जो भी मामले रहे हैं, नाजायज तो नहीं, हुआ होगा लेकिन स्वयं उस समय सरकार में आप भागीदार थे ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल: महोदय, हम तो खुद, इसीलिए जांच कराना चाहते हैं, आपको खुला चुनौती देते हैं कि जांच कराइये ।

अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट जगह लीजिए, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे हालांकि मूल विषय ग्रामीण विकास है लेकिन नल-जल योजना पी0आर0डी0 से हुआ है या पी0एच0ई0डी0 विभाग से हुआ है, सारे भाजपा के मंत्री रहे हैं **xxx**

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, मैंने कहा कि अब इनको, अभी सोच में आई हुई है, आखिर वे कौन-कौन लोग रहे हैं, यह क्या उनलोगों के बारे में बोल रहे हैं या जो अभी तुरंत व्यवस्था बनी है उसपर बोल रहे हैं । मैंने कहा कि आप अपने, मतलब ज्यादा रास्ता को नहीं बढ़ाकर के आप ग्रामीण विकास विभाग पर बोलिये न ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल: उसी से जुड़ा है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री नंद किशोर यादव जी, मैं आपको बोलने की इजाजत देता हूं ।

(व्यवधान)

आप शांति बनाए रखें । मैं बिहार के बाहर का नहीं हूं और मैं भी यहां हूं । जो उचित बात होगी वह जरूर सुनेंगे, अगर कहीं बिना सबूत के अनुचित होगी वह प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगी ।

श्री नंद किशोर यादव: महोदय, बहुत अच्छा निर्णय आपने दिया, मैं आपके निर्णय के साथ हूं लेकिन जब बिना किसी का नाम लिए हुए नेता प्रतिपक्ष ने भ्रष्टाचार की बात की आपने प्रोसीडिंग से निकाल दिया...

अध्यक्ष: नहीं...

श्री नंद किशोर यादव: महोदय, आपने निकाला अभी और माननीय मंत्री ने वही बात दुहराई दूसरे के बारे में, आपने उसे कैसे रहने दिया महोदय...

अध्यक्ष: दो-तीन कहे...

श्री नंद किशोर यादव: महोदय, उन्होंने भी यही बात कही...

अध्यक्ष: स्पेसिफिक नालंदा के बारे में बोलें...

श्री नंद किशोर यादव: उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर कहा महोदय । महोदय, यह तो नहीं हो सकता है, यह गलत है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: नंद किशोर बाबू...

श्री नंद किशोर यादव: आप नेता प्रतिपक्ष की बात को बाहर निकाल देंगे और मंत्री महोदय...

अध्यक्ष: मैंने नेता प्रतिपक्ष से कहा कि आप जो है बिना...

श्री नंद किशोर यादव: आपने इसको निकलवा दिया...

अध्यक्ष: मैंने इसलिए निकलवा दिया कि ये दो-तीन लोगों पर कह रहे थे...

श्री नंद किशोर यादव: नहीं महोदय, यह गलत बात है...

अध्यक्ष: बिना सबूत के साथ...

श्री नंद किशोर यादव: यह कैसे हो सकता है...

अध्यक्ष: आप सुन रहे थे, पूरा सदन सुन रहा था । नालंदा के दो-तीन लोगों को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाई गईं ताकि उनको लाभ पहुंचाया जा सके । यह बात नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे, मैंने कहा कि बिना सबूत के नहीं कहा जाय इसलिए मैंने उसको निकलवा दिया ।

श्री नंद किशोर यादव: उन्होंने जो कहा कि भाजपा के मंत्री थे वह आपको नहीं लग रहा है बिना सबूत के बोल दिए, है सबूत उनके पास, है सबूत...

अध्यक्ष: अच्छा सुनिये...

श्री नंद किशोर यादव: है सबूत...

अध्यक्ष: मैं कहना चाहता हूं...

श्री नंद किशोर यादव: है सबूत इसका, बाहर कीजिए बात को ।

अध्यक्ष: बैठिये । माननीय नंद किशोर बाबू, नेता प्रतिपक्ष एक जिम्मेवारी का पद है, कंस्टीट्यूशनल पद है, अगर इन्होंने कहा उसको मैंने निकलवा दिया और हमारे माननीय लोक स्वास्थ्य मंत्री जी भी अगर कहे कि भाजपा के लोग थे तो मैं कहना चाहता हूं कि न उनकी बात रहेगी, न इनकी बात रहेगी जो सही होगा वही होगा, मैं दिखवा लूंगा और वह अनुचित होगा तो मैं कार्यवाही से निकलवा दूंगा । बोलिये, नेता प्रतिपक्ष ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार के हेड मुख्यमंत्री होते हैं, प्रशासनिक मुखिया होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी का हर विभाग के अंदर के भ्रष्टाचार पर जांच करानी चाहिए, मॉनिटरिंग रखनी चाहिए और हमने ग्रामीण विकास विभाग का कहा कि 80 परसेंट नल का जल बंद है इसकी जांच कराने की मांग करता हूं और वह जांच कराकर के सभी सदस्यों, जिस विधान सभा क्षेत्र के हैं उनको अवगत कराएं, सरकार को हिम्मत है तो यह चुनौती स्वीकार करे ।

अध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष, भारतीय जनता पार्टी को...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल: हर एक सेन्टेन्स के बाद महोदय आप टोकेंगे तब कैसे होगा ।

अध्यक्ष: 58 मिनट समय आर्वण्टित है । दो बजकर आठ मिनट में आप अपनी बात को कहना शुरू किए हैं आप समय का भी ख्याल रखेंगे ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल: महोदय, समय से एक मिनट पहले ही हम फ्री करेंगे लेकिन महोदय मेरी बात को ध्यान से सुनें ।

अध्यक्ष: बड़ी उदारता होगी ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल: आप उदार रहेंगे तो मेरी भी उदारता रहेगी महोदय ।

अध्यक्ष: मैं हमेशा उदार रहूंगा लेकिन आप सहयोग तो करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल: अब सुना जाय महोदय । बहुत सारा समय तो जो ले लिया जा रहा है...

अध्यक्ष: आप ही घुमा रहे हैं । सब्जेक्ट पर नहीं जा रहे हैं । आप एक पुराने सदस्य होकर के इस आसन पर रहे हैं, आप क्यों घुमा रहे हैं । आप जो है...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल: महोदय, मैं लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करता हूं...

अध्यक्ष: बहुत अच्छी बात है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल: और तानाशाही प्रवृत्ति को लोकतंत्र में मैं कतई स्वीकार नहीं करता हूं । जो वो वातावरण बनाते हैं तभी मैं प्रतिवाद करता हूं महोदय । महोदय, अब मंत्री हैं ही नहीं तो मैं किन को बोलूं । महोदय, ध्यान दिया जाय । मंत्री कहां हैं । अभी बैठे हुए थे और जब हम जांच की बात करते हैं तो मंत्री सदन छोड़कर चल देते हैं । अब महोदय...

अध्यक्ष: नंद किशोर बाबू अब बतलाइये, इतने मंत्री बैठे हुए हैं, एक दो मंत्री और आगे आइये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल: महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि गांव का विकास बिहार के हित में तभी होगा जब गांव के नौजवानों को हम बचा लेंगे महोदय । गांव के नौजवान हमारे आज जिस नशा के शिकार हो रहे हैं, जिस ग्रामीण क्षेत्र में जिस शराब के कारण उनपर केस हो रहा है, जिनको जेल भेजा जा रहा है, जेल में जाने के बाद वह अपराधी होकर निकलेंगे, समाज के लिए एक अभिशाप बनेंगे और मैं बता दूं गांव के अंदर क्या हो रहा है, गांव के अंदर जो लोग बेरोजगार थे महोदय, जो बेरोजगार थे, एक शराब घर-घर डिलीवरी कर के एक अपराधियों का ग्रुप खड़ा कर लिया और आज इतना क्राइम जो बढ़ रहा है बिहार में उसकी भूमिका बड़ी है महोदय ।

टर्न-12/अंजली/16.12.2022

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल (क्रमशः) : महोदय, ये ग्रामीण विकास विभाग को संज्ञान में लेना होगा कि आज शराबबंदी का का साइड इफेक्ट कहां-कहां पड़ रहा है । महोदय,

एक वर्ग नौजवानों का आपने अपराधियों का खड़ा कर दिया, आपके अहंकार के कारण, आपके अहंकार के कारण अपराधियों का एक वर्ग खड़ा हुआ है और वह अपराधी किस तरह से गांव के विकास को अवरुद्ध कर रहा है । पहले जो चलता था कि दो चार अपराधी खड़ा हो जाते थे और वह विकास को रोक देता था । अब तो हर गांव के अंदर में नौजवानों की एक टोली खड़ी है । वह टोली, अपराधियों की टोली का कौन निर्माण कर रहा है महोदय, अहंकारी, सरकार में बैठे हुए लोग क्यों नहीं गंभीरता से विचार करती है महोदय, क्यों यह वातावरण बनने दे रहा है और इससे बिहार की छवि गिर रही है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आसन का निर्देश है कि अगर माननीय नेता प्रतिपक्ष या अन्य कोई भी बोले तो आसन के बिना इजाजत के आप नहीं बोलें और नियम का आप पालन करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, चर्चा होती है तो पूरे विषय पर विस्तार से विमर्श होता है । महोदय, शॉर्टकट चलने वाले हमेशा एक्सीडेंट कर जाते हैं

अध्यक्ष : यह नया है क्या ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : ये एक्सीडेंट करते हैं । महोदय, शराबबंदी का जो मामला है । आज बता दें कि मेरे नौजवान, जो अपराधियों की एक बड़ी जमात खड़ा करके विकास रोक रहे हैं, इस सदन के अंदर बैठे सरकार में लोगों की जिम्मेवारी नहीं थी कि एक शराब की फैक्टरी चलाने वाले व्यक्ति को हम उम्मीदवार बनाते हैं, एक शराब की फैक्टरी चलाने वाला उम्मीदवार गोपालगंज में बनता है ये कैसा दोहरा चरित्र है, ये कैसी दोहरी नीति है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी क्या कहना चाहते हैं ? माननीय नेता प्रतिपक्ष एक मिनट ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि हम भाषण के अपना जो है चमकाने के चक्कर में हम सही को उलट कर के क्यों बात कर रहे हैं । हम यह कहना चाहते हैं कि दो करोड़ नौजवानों को 2014 में वादा किया गया और कहीं रोजगार नहीं मिला । हम विपक्ष के नेता से यह मांग करेंगे कि इसका जवाब पहले उनको देना होगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें । माननीय नेता प्रतिपक्ष ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अब सदस्य ने रोजगार की बात की ...

अध्यक्ष : आप अपना कहिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : तो जिन लोगों का, शिक्षक अभ्यर्थी का एग्जामिनेशन लेकर रोजगार क्यों नहीं दिया । अभियंत्रणा के लोगों के रिजल्ट के बाद रोजगार क्यों नहीं

दिया । बी०पी०एस०सी० में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है किसी की मेधा को, किसी की प्रतिभा को क्यों रोक रहे हैं, शर्म लगनी चाहिए इस सरकार को ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति-शांति ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, इस सरकार को, आपने रोजगार का, हमारी सरकार के समय 4 लाख लोगों का अवसर निकला, क्यों रोक कर रखे हैं, किसका चेहरा चमका रहे हैं ? आज गांव के अंदर, मैं कहना चाहूंगा महोदय कि हम जब विधायक बनते हैं तो लोगों के विश्वास और अपेक्षा पर खड़ा उतरते हैं और इस विश्वास पर खड़ा उतरने के लिए, उस विश्वास पर जब हम संवेदनशील होते हैं और कोई घटना को जाकर के विधायकों का गुप देखता है तो कहां चर्चा करेगा, रोड पर चर्चा नहीं करेगा, सदन के अंदर चर्चा करेगा, आपके संरक्षण में चर्चा करेगा । जब 30 विधायकों का लगभग विधान पार्षद, विधायक मिलकर के जो दृश्य देखकर के आया, गांव का दृश्य देखकर के आया, नशाबंदी और शराबबंदी की इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और आज हम उम्मीदवार खड़े करते हैं गोपालगंज में, हम कुर्मी में दारू पीने वाले को उम्मीदवार बनाते हैं ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष रिपिटेशन करने से आप ही का समय भी जाएगा और सही चीज आप नहीं बतला पायेंगे । इसलिए बार-बार एक ही चीज को रिपीट क्यों कर रहे हैं । ग्रामीण विकास विभाग है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, ये शराब पीने वाले लोग, ग्रामीण विकास से, गांव के 4 लाख नौजवान जिस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया, आपके थाने के संरक्षण में वसूली की जा रही है । ऐसे लोगों को उस अपराध से मुक्त करें मुख्यमंत्री जी की घोषणा है महोदय ।

अध्यक्ष : ग्रामीण विकास के बारे में नेता प्रतिपक्ष कोई दिशा, उसकी दशा पर अपना कोई विचार नहीं दे सके इसलिए इस पर बोलिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, नहीं देंगे तो फिर बात करने का क्या औचित्य है ।

अध्यक्ष : शराब पर सिर्फ बोल रहे हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : दारू, बालू और भ्रष्टाचार पर सरकार की इमारत खड़ी है । यह दारू, बालू और भ्रष्टाचार का माफिया अगर जो सरकार को संरक्षित मिलेगा तो कैसे गांव का विकास होगा महोदय, कैसे विकास होगा ? ये दारू, बालू और भ्रष्टाचारी की जमात संरक्षित कर रही है ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, जब आप इस आसन पर बैठे थे और हमलोग वहां थे और इस तरह का, जब लघु सत्र आया था, लघु सत्र में अगर इसी तरह के गिलोटिन हो जाता था तो आप

कहते थे कि अन्य चीजों पर आप नहीं बोल सकते जो विषय आया है उसी पर बोलिए, प्रोसीडिंग गवाह है, आप कहते थे और विषय पर आदमी बोलता था । आज ग्रामीण विकास है, उस समय शिक्षा विभाग था । आप बोलिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, आपने सही कहा, उस आसन का निर्देश यही होता है, नोट कर लीजिए, 30 नवंबर, 2021 नेता प्रतिपक्ष यहीं बैठे थे, बार-बार रोकने के बाद भी विषय से हटकर मुख्यमंत्री जी को कह रहे थे कि शराब के माफिया का सरदर, सरदार मुख्यमंत्री हैं । महोदय, क्यों नहीं, उस समय आप यहां थे, जब हमने बैठाया तो आप ही कहे कि बोलने दिया जाय, आपके तो कई आग्रह हम स्वीकारते थे महोदय ।

अध्यक्ष : बढ़िया बात है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : तो फिर विषय से भटक क्यों रहे हैं, आज उप मुख्यमंत्री कहे थे कि पलटू राम ।

अध्यक्ष : अगर अच्छे रास्ते के बारे में अगर आसन से कोई आग्रह करेगा, कंस्ट्रक्टिव होगा तो आसन क्यों नहीं सुनेगा, सुनना चाहिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, उम्मीद यही है । आपको कह दें महोदय, उसी दिन विषय से हटकर के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहे थे कि ये पलटू राम हैं, ये कुर्सी कुमार हैं ।

अध्यक्ष : आप ग्रामीण विकास पर नहीं बोल रहे हैं । मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं कि आप ग्रामीण विकास विभाग पर बोलिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, आप बोल दिए, आप याद दिलाए तो मैं बोल रहा हूं ।

अध्यक्ष : आपको जो कहना था वह कह दिए, आप ग्रामीण विकास विभाग पर बोलिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के अंदर जब तक उसकी नीति को नीयत साफ करके लागू नहीं करेगी शराबबंदी, नशाबंदी को जब तक हकीकत में ईमानदारी के साथ नहीं उतारेगा और शराब माफिया को जब तक संरक्षित करेगा कैसे विकास चलेगा, कैसे चलेगा विकास ? लोग दारू, बालू और भ्रष्टाचार पर चलने वाली सरकार कैसे ग्रामीण विकास का विकास करेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य भाई वीरेन्द्र जी कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अब हमारे बोलने के समय में सब लोगों को बुलाएंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, आसन और सदन को मैं सूचना देना चाहता हूं कि ये शराब पर बोल रहे हैं और इनके सम्बन्धी के यहां 104 कार्टून पकड़ा गया है आज ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : यह उचित नहीं है । महोदय, यही लोग तो संरक्षित करने वाले लोग हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र आप स्थान ग्रहण करें । नेता प्रतिपक्ष को बोलने दें । आपको समय दिया कि आप एक मिनट कुछ कहना चाहें तो कह दें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, आज बिहार के अंदर गांव का विकास रूक गया है सिर्फ दारू, बालू और भ्रष्टाचार के कारण और ग्रामीण विकास के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है ब्लॉक से लेकर जिला तक, महोदय, इंकार नहीं किया जा सकता और जब तक गांव के अंदर शराब के नाम पर नया धंधा, नया उद्योग चलेगा कैसे विकास होगा महोदय, कैसे हमारे नौजवान विकास के रास्ते पर चलने के बजाय शराब बेचने में लग गए हैं, शराब की तस्करी कर रहे हैं और जेल के अंदर जा रहे हैं । उसका परिवार विलख रहा है, जहरीली शराब के कारण आज हजारों लोग से ज्यादा मर गया । आज भी तो महोदय, आपके जिला में एक दर्जन लोग मर गए हैं । महोदय, आसन से आपको भी इस पर बहस करानी चाहिए ।

टर्न-13/सत्येन्द्र/16-12-2022

अध्यक्ष: नन्द किशोर बाबू, ये चार बार कह चुके हैं । ये बार-बार क्या बोल रहे हैं एक ही बात को, चार बार बोल चुके, आप बैठे हैं बगल में ही न ।

श्री नन्द किशोर यादव: महोदय, नेता प्रतिपक्ष को जो अपनी बात कहनी है, कहने देना चाहिए । स्वीकार करना, नहीं करना अलग बात हो सकती है। लोकतंत्र में होता क्या है- विमर्श होता है और विमर्श में हर आदमी अपनी बात कहता है तो उनकी बात को रोकते क्यों हैं आप ? कोई जरूरी नहीं है..

अध्यक्ष: मैं एक बार भी आपको रोका ।

श्री नन्द किशोर यादव: सुन लीजिये न । सत्तारूढ़ दल को जो बात अच्छी लगे, वही बोलेंगे हम क्या, हम इसी के लिए यहां आये हैं ?

अध्यक्ष: नहीं, आप अपनी बात को बोलिये लेकिन क्या एक ही बात को चार बार बोलने..

श्री नन्द किशोर यादव: मेरे पास जो समय है, जो निर्धारित समय बजट में दिया गया है बी0जे0पी0 को उससे अधिक बोलेंगे तब न आप कहियेगा । हम तीन बार उसी को बोलेंगे तो उसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है ।

अध्यक्ष: नहीं, सुनिये आप नेता प्रतिपक्ष हैं । आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव जो ग्रामीण विकास विभाग और आज की परिस्थिति उसके तहत आपको कुछ कहना चाहिए ।

श्री नन्द किशोर यादव: महोदय, सुझाव तो अंतिम में देंगे न, पहले आक्रमण करेंगे तब न सुझाव देंगे ।

अध्यक्ष: पहले यही सब बोलियेगा ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा,नेता विरोधी दल: महोदय मेरा समय बर्बाद किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी । आप बैठें, आप अपने स्थान को ग्रहण कीजिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,नेता विरोधी दल: महोदय, आप हमें अवसर दें, संरक्षित करें । बहरी गुंगी सरकार को महोदय, जनता के दुख तकलीफ से अवगत करना विपक्ष की जिम्मेवारी है । त्राहिमाम मच रहा है, सदन को अवगत कराना हमारी जिम्मेवारी है ।

अध्यक्ष: सकारात्मक सहयोग करना भी आपकी जिम्मेवारी है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,नेता विरोधी दल: महोदय सुना जाय । कहा जा रहा है कि हम प्रश्नकाल बाधित कर रहे हैं । जब प्रश्न काल में उठाये गये मुद्दों से ज्यादा ज्वलंत और संवेदनशील मुद्दा है तो क्या हम मौन रहे महोदय ? इस प्रश्न से ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है, त्राहिमाम बिहार के लोग कर रहे हैं और जब हम बात उठाते हैं तो कहते हैं कि इस विषय को छोड़कर क्या सरकार सरकार के रुचि के हिसाब से हम बोलेंगे ?

अध्यक्ष: नहीं, नहीं रुचि के मुताबिक नहीं, जो विषय है उस पर बोलना है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,नेता विरोधी दल: महोदय, भारतीय जनता पार्टी का एक सैनिक के नाते हमको क्या करना है, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में उसके लिए मैं सजग रहता हूँ महोदय, मैं मुखर रहता हूँ दुखियों के लिए, दीन हीन गरीब, बंचित, शोषित पीड़ित के साथ भारतीय जनता पार्टी अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के साथ खड़ा रहता है महोदय । रोटी की व्यवस्था करके राजनीति करता है । कुछ लोग महोदय राजनीति से रोटी निकालकर अपनी दुकान चलाते हैं । महोदय, मैं मंत्री का भी भूमिका निभाया, अध्यक्ष का भी भूमिका निभाया और प्रतिपक्ष का भी भूमिका निभाया..

अध्यक्ष: इसीलिए ज्यादा अनुभव आपके पास है तो अनुभव को सकारात्मक रूप दीजिये।

श्री विजय कुमार सिन्हा,नेता विरोधी दल: उम्र की किताब आपके पास है महोदय लेकिन आप लोगों ने सदन के अंदर जो सिखाया, जो बतलाया और जो व्यवहार किया है, ये एक मेरी नई अनुभव है । मैं ईमानदारी के साथ, सत्ता दल के लोग भी इंगित करते थे कि प्रतिपक्ष को ज्यादा महत्व देते हैं लेकिन मैं उधर कम देखता था इधर देखता था लेकिन आज महोदय मुझे एक नया अनुभव हुआ है।

अध्यक्ष: हम तो बहुत देर से उधर देख ही नहीं रहें हैं, इधर ही देख रहे हैं और हम नेता प्रतिपक्ष के तरफ देख रहे हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,नेता विरोधी दल: महोदय, एक आग्रह करेंगे । आप उम्र के अंतिम दहलीज पर खड़े हैं अभिभावक के रूप में महोदय..

(व्यवधान)

अध्यक्ष: शांति शांति। आसन बिल्कुल सक्षम है आप इत्मिनान से रहें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,नेता विरोधी दल: महोदय, लेकिन उनलोगों को आप पर विश्वास नहीं है इसलिए बार-बार इंगित करते रहते हैं ।

अध्यक्ष: नहीं, नहीं पूर्ण विश्वास है। आप विश्वास करें, पूर्ण विश्वास सबको है।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल: महोदय, एक आग्रह करेंगे कि आप बार-बार जिस विभाग की ओर बोलने की बात कर रहे हैं, क्या वह विभाग गिलोटिन के अंदर है ?

अध्यक्ष: ग्रामीण विकास विभाग है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,नेता विरोधी दल: आप बतला दें महोदय, सभी विभाग बजट में शामिल है महोदय..

अध्यक्ष: क्यों नहीं । शामिल कैसे नहीं रहेगा आप बतलाईए।

श्री विजय कुमार सिन्हा,नेता विरोधी दल: यह बजट 19हजार 48 करोड़ का है महोदय और आप हमको बार-बार बांध रहे हैं।

अध्यक्ष: मैं एक बात और कह रहा हूँ नन्द किशोर बाबू, क्या गिलोटिन में सब डिमांड नहीं रहेगा क्या? देखिये जो सही बात है उसको कहना चाहिए ।

श्री नन्द किशोर यादव: वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष के बीच मुझको क्यों घसीट रहे हैं।

अध्यक्ष: क्यों नहीं आपको, आप पुराने हैं, आपको नहीं पुकारें। प्रेम कुमार जी बगल में ही बैठे हैं

श्री विजय कुमार सिन्हा,नेता विरोधी दल: महोदय, जितना ये वाद-विवाद में मेरा समय गया, 10 मिनट और समय बढ़ाया जाय महोदय।

अध्यक्ष: नहीं समय नहीं बढ़ेगा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,नेता विरोधी दल: तो एक चीज सुन लिया जाय, अंतिम आग्रह है महोदय जो सबसे ज्यादा ज्वलंत विषय है महोदय, उस पर खुलकर के आप समय बढ़ा दें आज, दो घंटे का समय बढ़ा दें और बहस करायें चर्चा करायें इस शराब पर आज महोदय तीन तीन जिला प्रभावित हो गया जहरीली शराब से मौत हुई है महोदय,शराबबंदी के अहंकार में लोगों की जिन्दगी के साथ खिलबाड़ नहीं किया जा सकता है महोदय, ये व्यवस्था नहीं चलेगी । जो ज्वलंत मुद्दा है सत्ता पक्ष के लोग का भी डिमांड रहा है शराबबंदी पूरी तरह से इनके तंत्र के कारण फेल हुआ है महोदय और जब फेल है तो उस पर सत्ता सम्पोषित ये नरसंहार महोदय,ये सत्ता सम्पोषित नरसंहार है यह जहरीली शराब से मौत नहीं है । यह सत्ता सम्पोषित नरसंहार है महोदय और शासन तथा प्रशासन के देखरेख में ये नरसंहार हो रहा है, 54 बार इस तरह से..

अध्यक्ष: आपके पास माननीय नेता प्रतिपक्ष मैंने कहा कि बिना कोई सबूत के ऐसे बात को नहीं उठाईए जो बात आप कह रहे हैं..

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल: आप इसकी जांच करवाईए महोदय । हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं।

अध्यक्ष: यह कोई समय नहीं है जो बात आप कह रहे हैं।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल: आप तो जेनरल बोलने का समय देते नहीं है। आप कार्यस्थगन स्वीकार नहीं करते हैं..

अध्यक्ष: आप तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, बराबर रन आउट होते हैं और चले जाते हैं।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल: महोदय इसकी न्यायिक जांच हो । अब माननीय उमुख्यमंत्री जी आ गये हैं और वे प्रतिपक्ष नेता के रूप में क्या-क्या शराब पर बोले थे उनका बयान अभी चल रहा है सोशल मीडिया पर, इन्होंने कहा था कि शराब माफियों का सरदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं । महोदय, कैसे भाषा सत्ता के लिए बदल जाता है । कुर्सी के लिए कितना मौन हो जाते हैं, कितना समर्पण कर देते हैं । मालिक जनता है, ऐसे कुर्सी के लोभियों को महोदय मौका नहीं मिलता है । एक तरफ उम्मीदवार खड़ा करेंगे शराब फैक्ट्री के मालिक को और दूसरी तरफ शराब पर शराबबंदी का नारा देंगे । एक मुख्यमंत्री का सपना, एक प्रधानमंत्री का सपना कभी साकार नहीं होगा महोदय और इस तरह के लोग, इस तरह के वातावरण बनाने वाले महोदय, ये सरकार महोदय बालू, दारू और भ्रष्टाचार में लिप्त में रहकर बिहार को बर्बाद कर दिया । ये बिहार की बर्बादी की कहानी लिख रही है । सुनो समय रहते सभी सदस्य, इस सरकार से अगर जो सजग होकर सुधार की ओर नहीं बढ़ेंगे तो किसी का अस्तित्व नहीं बचेगा । बिहार की जनता देख रही है त्राहिमाम में है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, नये रोजगार दे दिये महोदय, नया रोजगार अपराध का यह वातावरण बनया जा रहा है महोदय । महोदय, पूरी तरह से सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और न्यायिक जांच की घोषणा करनी चाहिए । अब तो संसदीय कार्य मंत्री जी भी आ गये हैं, उपमुख्यमंत्री है अगर जो आप शराबबंदी के पक्ष में है, विजेन्द्र बाबू भी हैं तो इतनी इतनी मौत हुई है तो न्यायिक जांच क्यों नहीं करवा देते हैं । करें घोषणा, न्यायिक जांच में मुख्यमंत्री बोले थे आप ही लोग कराते हैं तो सत्ता में बैठने का क्या औचित्य है जब एक अपराधी को भी नहीं पकड़ पाते हैं। यह दुर्भाग्य है महोदय ।

टर्न-14/मधुप/16.12.2022

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, यही ग्रामीण विकास विभाग है ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : मैं तो सारे विभाग पर बोला हूँ । कैसे गाँव का विकास होगा जब ग्रामीण विकास में भ्रष्टाचार चरम पर हो ।

अध्यक्ष : आसन उम्मीद करता था कि आप ग्रामीण विकास पर कुछ कहेंगे लेकिन नहीं कह पाये ।
 श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, आप डिमोरलाइज नहीं कर सकते हैं । मैंने बिहार की जनता की आवाज को उठाया है, ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा की है ।

अध्यक्ष : आदमी किसी को डिमोरलाइज नहीं करता, आदमी अपनी ही करनी से डिमोरलाइज्ड हो जाता है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, आपकी निरपेक्षता दिखलायी पड़े । सत्तापक्ष के ही नहीं बल्कि आप विपक्ष के भी संरक्षक हैं । इस तरह की भाषा उचित नहीं है ।

अध्यक्ष : मैं कहाँ कहता हूँ कि संरक्षक नहीं हूँ लेकिन जो विषय है उसपर आप नहीं कह पाये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : विषय पर बोले हैं । महोदय, आधा तो हमारा टाइम आप लोग बीच में बोल-बोलकर कम कर दिया इसलिये महोदय, हमारा समय बढ़ाया जाय । महोदय, समय बढ़ाया जाय ।

महोदय, बालू, दारू और भ्रष्टाचारियों की जमात के लिए आपके पास समय है?

अध्यक्ष : आपको 3 बजकर 10 मिनट तक के लिए 10 मिनट का समय हम बढ़ा रहे हैं । बोलिये-बोलिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, ग्रामीण विकास ही नहीं, ग्रामीण विकास मुख्य के साथ-साथ....

अध्यक्ष : फिर कहते हैं कि ग्रामीण विकास नहीं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : ग्रामीण विकास ही नहीं, सभी विभाग से जुड़ा हुआ गिलोटिन है ।

अध्यक्ष : हाँ, गिलोटिन है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : तो महोदय, ग्रामीण विकास के ही अन्दर बिहार के गाँव के विकास के लिए नौजवानों के भविष्य जिस कारण से अंधकारमय हो रहे हैं उसपर क्यों चर्चा नहीं होगी ? उसपर क्यों नहीं बहस होगी ?

अध्यक्ष : उसका कारण एक ही है क्या ? अन्य कारण आपको नहीं दिखलायी दे रहा है ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : सिर्फ शराबबंदी अपराध की ओर ले जा रहा है, शराबबंदी पर आप चर्चा कराने का आश्वासन दें । महोदय, जहरीली शराब से मरने वाले लोगों पर आप चर्चा करायें । उसपर बहस करायें ।

महोदय, आज जितनी भी योजनाएँ चल रही हैं सबसे आगे दारू, बालू और भ्रष्टाचार ही तो चर्चा में गाँव के अन्दर है । हमारे नौजवान तो इसी ओर मुड़ रहे हैं । हमारे नौजवानों का एक नया वर्ग जो अपराधियों का बना है, उसी के कारण तो बना है ।

आपकी नीति सब फेल हो रही है । थाने के अन्दर बैठकर शराब माफियाओं को संरक्षित किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : पुनः मैं कह रहा हूँ कि विषय से आप विषयांतर हो रहे हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : यह ज्वलंत मुद्दा है, महोदय ।

अध्यक्ष : लगता है कि ग्रामीण विकास विभाग के बारे में आपको जानकारी नहीं है, हमको तो यही लगता है ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : हमको बोलने दीजिएगा ? ऐसे इस तरह से थोड़े चलेगा ।

अध्यक्ष : आप बोलिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : नहीं महोदय, आप इस तरह से रोक करके...

अध्यक्ष : हम आपको रोक रहे हैं ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : आप तो बार-बार टोक रहे हैं ।

अध्यक्ष : कभी नहीं टोक रहे हैं । आपको यह कह रहे हैं कि विषय से आप भटकिये नहीं, यदि आपके पास विषय की जानकारी है, आप स्पीकर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, आप जो विषय है, अन्य विषय गिलोटिन में चला गया है, ग्रामीण विकास विभाग मुख्य है, आप उसपर थोड़ा बोलिये तो । नेता प्रतिपक्ष का कुछ सुझाव भी होना चाहिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : सुन लीजिए, महोदय । महोदय, सुना जाय । ग्रामीण विकास के अन्दर 4 लाख लोग जेल चले गए । किसका विकास करना चाहते हैं ? आप बता दें, किसका विकास करना चाहते हैं ? 45 हजार लोग मासिक अपराध में फँस रहे हैं, फँस नहीं रहे हैं बल्कि फँसाये जा रहे हैं । किसका विकास करेंगे, महोदय ? महोदय, 15 हजार लोगों के उपर.....

अध्यक्ष : आंकड़े को थोड़ा ठीक से देख लीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : 15 हजार लोगों को जिस तरह से घटनाओं के अंदर शराबबंदी में चिन्हित किया गया है, उस शराबबंदी के अंदर आज क्यों उन माफियाओं की सम्पत्ति जब्त नहीं हुई ? क्यों करनी-कथनी एक नहीं हुआ ? करनी-कथनी में अंतर रखिएगा, नीयत साफ नहीं रखिएगा, माफियाओं को संरक्षित करिएगा और कहिएगा कि इसपर बहस नहीं करायेंगे । यह कोई विषय है ? ग्रामीण विकास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है । महोदय, एक और आंकड़ा आपको बता दें । आज शराब के मृतक को बीमारी का बहाना बनाया जाता है इनके द्वारा । आज जितने लोग छपरा के जहरीली शराब के कारण मरे, उनके शव को जलाने के लिए पैसा नहीं था, चंदा कर रहा था । चंदा करके शव जलाया जा रहा है । यही ग्रामीण विकास है ? क्या हुआ इनका ? चल तो रही थी

इनकी योजनाएँ ? कहीं नहीं पैसा मिला शव जलाने के लिए । बता दें मंत्री जी कि कहीं पैसा दिया गया है ?

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, पूरे बिहार को आपने नहीं देखा है । केवल आप छपरा चले गए उसी को देखकर पूरे बिहार के बारे में आप समझ रहे हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : सीवान भी जायेंगे, महोदय । मैं न्यायिक जाँच की माँग करता हूँ । इनके विभाग के द्वारा और सरकार की गैर-जिम्मेदारी और लापरवाही के कारण जिस तरह से भ्रष्टाचार का वातावरण बना है...

(व्यवधान)

महोदय, इस विषय पर न्यायिक जाँच का गठन हो । एक चीज बता देते हैं, महोदय । आप सुन लीजिए ।

अध्यक्ष : किस चीज पर ? ग्रामीण विकास विभाग पर ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : हम तो कह रहे हैं, आप सुन लीजिए महोदय ।

अध्यक्ष : विषय है ? राघवेन्द्र बाबू, आप पुराने सदस्य हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : वे आपको सलाह दे रहे हैं, महोदय ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : जनता के हितों का तात्कालिक विषय यही है ।

अध्यक्ष : आज अभी यह विषय इसमें है ? आप पुराने सदस्य हैं, सरकार में भी आप रहे हैं ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : तात्कालिक विषय है ।

अध्यक्ष : देखिये, एक आदमी को एक बीमारी पकड़ लेता है कि तीन-गो, दु-गो, पाँच-गो, तीन-गो, दु-गो, पाँच-गो, तीन-गो, दु-गो, पाँच-गो, एक हजार बार वह रटता है । वही हाल तो आज हम इनका देख रहे हैं ।

(व्यवधान)

उसके कुछ प्रक्रियात्मक क्रियाएँ बनायी गयी हैं, उसके तहत ही न कुछ करेंगे ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, हमारा समय समाप्त हो जायेगा, अब एक मिनट समय बचा है ।

अध्यक्ष : बोलिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, न्यायिक जाँच की माँग हम करते हैं । सुन लिया जाय महोदय, पहले की भी कार्यवाही निकाल कर देख लें कि नेता प्रतिपक्ष सभी विभाग पर बोलते थे और महोदय, आप जिस तरह का कमेंट किये हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है । यह कहीं से निरपेक्षता नहीं दिखायी पड़ती है । नेता प्रतिपक्ष यहाँ से बैठकर सभी विभाग की चर्चा करते थे और आप बार-बार हमको रोक रहे हैं । यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है ।

अध्यक्ष : आपको मैं नहीं रोक रहा हूँ, कहीं भी ग्रामीण विकास विभाग के आंकड़े को आप नहीं प्रस्तुत कर सके ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : सुन लीजिए, महोदय । हमने कहा था, हमने आपको वचन दिया था कि समय से एक मिनट पहले हम अपना स्थान ग्रहण करेंगे लेकिन आपकी निरपेक्षता बरकरार रहे क्योंकि आप सर्वसम्मति से चुने गए हैं । एकपक्षीय वातावरण कहीं नहीं बननी चाहिए, यह उम्मीद हमलोगों को है ।

अध्यक्ष : पूरा भरोसा रखिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय नन्द किशोर बाबू, आपने एक बात उठायी...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, ग्रामीण विकास विभाग की माँग पर.....

अध्यक्ष : फिर बिना इजाजत के आप खड़े हो रहे हैं । मैंने पहले नन्द किशोर बाबू का नाम रखा है। उनको मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान)

फिर देखिये । कितना बढ़िया चल रहा है, इसको चलने दीजिए । बैठिए न । बैठिए आप । आप स्थान ग्रहण कीजिए । यही तरीका है ? यही आप आसन पर बैठकर देखे हैं ? यहीं नेता प्रतिपक्ष, तेजस्वी प्रसाद यादव जी आंकड़े के साथ बात करते थे लेकिन आपने कोई आंकड़ा नहीं दिया ।

...क्रमशः...

टर्न-15/आजाद/16.12.2022

अध्यक्ष : (क्रमशः) नन्दकिशोर बाबू, आपने एक बात उठायी थी, परम्परा की बात कही थी, नेता, विरोधी दल के पहले बोलने देने की बात कहे थे । आपलोग कोई, आप कहां फंसे हुए हैं, श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह जी फंसेंगे ?

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा सदन का बहिर्गमन किया गया)

अब चलिए । राष्ट्रीय जनता दल के श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव जी बोलेंगे ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हम तो आपकी इजाजत से कुछ बोलना चाह रहे थे ।

अध्यक्ष : मैं चाहा कि एक चीज मैं पहले आपको बतला दूँ, इसलिए कि जो भी बोल गये, कहीं भी कोई तथ्य ही नहीं था, तथ्यहीन बातें चल रही थी, इसलिए मैंने बार-बार कहा कि ग्रामीण विकास विभाग पर बोलिए, लेकिन वे नहीं बोल पाये । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हालांकि हम तो बोलने की इजाजत आपसे मांगे थे, जब ये विपक्ष के सभी माननीय सदस्य उपस्थित थे, हमें अच्छा लगता, अगर वे रहते और

हम अपनी बात कहते । लेकिन अब तो वे है नहीं, वैसे भी आपसे हमने कल भी कहा था, हमलोग चाहते हैं, सरकार हमेशा चाहती है और सरकार ने देखा है कि आसन भी हमेशा चाहता है कि विपक्ष के सभी सदस्य नियमसंगत ढंग से सदन की कार्यवाही में हिस्सा लें लेकिन मुझे अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य तब होता है, जब बार-बार आपकी तरफ ऊँगली उठाकर आप ऐसा करिए, अब हमारे बारे में कह रहे थे कि इनको बोलने दीजिए । मैंने आपसे इजाजत मांगी, अब हमें बोलने का कब मौका देंगे, हम तो इजाजत मांगकर बैठ गये और वे आपसे कह रहे थे कि अब हमको बोलने दीजिए, नन्दकिशोर जी के बारे में नहीं बोलिए, अब ये आसन को निर्देश देना, यह तो बिल्कुल अशोभनीय होता है । दूसरी बात कि वे भी बराबर आपसे निष्पक्षता की बात कह रहे थे कि आपको निष्पक्ष रहना चाहिए । महोदय, हमलोगों की सरकार की भी आसन से यही अपेक्षा है कि आप निष्पक्ष रहें । हमारी नियमावली भी यही कहती है कि आसन की नजर में पक्ष या विपक्ष दोनों की अपनी-अपनी अहमियत है और सरकार भी मानती है कि विपक्ष के बिना जैसे अभी सदन का स्वरूप देख लीजिए, सदन सुना-सुना लगता है । वे जाते हैं सदन छोड़कर के, महोदय, सरकार और सत्तापक्ष का दिल कचोटता है कि वे जायं नहीं क्योंकि वे रहते हैं तो सदन भी खूबसूरत लगता है, प्रजातंत्र भी खूबसूरती के साथ काम करती है । अब है नहीं तो समझिए कि उदासी कटती है । मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि वे भी आपसे निष्पक्षता की उम्मीद रखते हैं, सरकार भी आपसे निष्पक्षता की उम्मीद रखती है, पक्ष और विपक्ष को नियमानुसार आप सामान्य रूप से तरजीह देखिए । लेकिन महोदय, अचरज तब होता है, जब आप विपक्ष के पक्ष में झुक भी जाते हैं और वही आप पर आरोप भी लगाते हैं । आप हमेशा उनके पक्ष में झुके रहते हैं । अभी हमने देखा कि उनका जो पार्टी का एलॉटेड आवॉटित समय था, पता नहीं अब नियमावली की प्रति लेकर के बराबर फहराते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जिस विभाग की मांग पर विमर्श तय होगा, अमूनन उसी विभाग से संबंधित बातों की चर्चा होगी । लेकिन एक तो शराबबंदी कानून, पता नहीं बनाने में जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूँ, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूँ । बनाने का जब लोगों में इसकी सराहना हो रही थी तो मुझे याद है, ये लोग बार-बार बढ़-चढ़कर कहते थे कि हमलोग भी हैं, हमलोग भी हैं और आज अगर हिम्मत है तो कह दें कि शराबबंदी गलत है, शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, क्या वे कहते हैं । उनकी यह भी हिम्मत नहीं है कि शराबबंदी गलत है और फिर से शराब शुरू कर देना चाहिए और लोगों को खूब शराब पीना चाहिए, यही कह दें । लेकिन महोदय, हम तो इतना कह रहे थे कि आसन से हमलोग भी चाहते हैं कि आप निष्पक्ष रहिए, सरकार कभी किसी तरह के दबाव में आसन को देखना नहीं चाहती है लेकिन एक आप है कि बराबर विपक्ष के पक्ष में झुक जाते हैं लेकिन हमसे यदि सच

पूछते हैं तो सरकार को भी अच्छा लगता है । इसलिए कि हम चाहते हैं कि आपके उनकी तरफ झुकाव से भी अगर वो सदन की कार्यवाही में हिस्सा लें । इस प्रजातांत्रिक प्रणाली या इस प्रजातंत्र के मंदिर को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग दें तो सरकार को भी खुशी होगी कि आप विपक्ष के पक्ष में झुके रहिए लेकिन सदन नियम से चले, यही हम कहना चाह रहे थे ।

अध्यक्ष : अब माननीय विधायक श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, आपको 15 मिनट ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : विपक्ष तो भाग ही गया ।

अध्यक्ष : उनका काम भी वही है, आप अपना काम कीजिए ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण विकास विभाग की मांग के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और अभी जो सदन में विपक्ष शराब-शराब रटकर चले गये, मैं सदन को बताना चाहता हूँ, जैसा कि हमलोगों को भी मालूम हुआ है कि यू0पी0 से बारात आयी थी वहां और कुशीनगर से बारातियों ने शराब लेकर आया और जो यहां पिलाया, उससे यहां भी मौत हो गई और वहां जाने के बाद बाराती का भी मौत हो गया तो जहां भी भाजपा शासित राज्य आपके बोर्डर पर है, यू0पी0 है, बिहार के विधि-व्यवस्था को, सरकार को बदनाम करने की पूरी साजिश कर रही है, नहीं तो जितना बी0जे0पी0 शासित राज्यों में शराब पीकर जो मरा है, जैसा कि केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा है, हमारे उप मुख्यमंत्री ने भी कल प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि एक नम्बर पर है मध्यप्रदेश, जहां 1200 आदमी मर गया, कर्नाटक में जो है, वहां 1000 आदमी मर गया, गुजरात में मरा तो उसके लिए ये लोग तो एक बार भी नहीं बोलते हैं । इनकी मंशा केवल यह है कि सरकार के खिलाफ बोलना, काम तो कुछ है नहीं । जैसा कि हम एक शब्द उनको कहते, लेकिन वे तो यहां पर है नहीं । कहा गया है कि -

बेहिसाब हसरते न पालिए, जो मिला है, उसको केवल संभालिए ।

इसलिए उनको जो मिला है प्रतिपक्ष में रहने का, वे प्रतिपक्ष को संभालते रहे, उनको कोई दूसरा मिलने वाला नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, हमारा देश गांवों का देश है और राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, चौधरी चरण सिंह इत्यादि महान पुरुषों ने कहा कि गांवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता और ग्रामीण विकास विभाग सबसे अहम विभाग है आमजन के लिए । जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने एक विचारधारा की जो सरकार बनी है सामाजिक न्याय की सरकार, दोनों आदमी की धारा एक है सामाजिक न्याय और सभी लोग लोहिया, कर्पूरी और महात्मा गाँधी के सिद्धांतों को, बाबा भीमराव अम्बेदकर के सिद्धांतों को मानने वाले हैं तो स्वाभाविक है कि हमलोगों का सबसे ज्यादा जोर गांव-ग्रामीण की तरफ है । भारतीय जनता पार्टी के लोग

एक बार कहा था कि हमारे लोग शहर में बसते हैं, गांवों में नहीं बसते हैं । आदरणीय राज्यसभा सदस्य श्री सुशील कुमार मोदी जी का ब्यान आया था तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हमको शहर की तरह गांवों को भी स्मार्ट बनाना है और उसी के तहत आज जो गांवों में काम हो रहा है, चाहे वह सड़क का हो, बिजली का हो या शौचालय का हो, कैसे हमारा गांव सुन्दर और सुसज्जित हो, आज पूरी कोशिश की जा रही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा लेकिन उसके बाद भी भारत सरकार के द्वारा बाधाये उत्पन्न हो रही है । इंदिरा आवास का पोर्टल बन्द कर दिया जा रहा है, बिहार में गरीबों को इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिले, कर्मचारी हड़ताल पर चल जाते हैं, पार्टल बन्द कर देता है, कई जिला में गरीबों की सूची नहीं गयी है । मुख्यमंत्री आवास योजना, हमारे यहां मुजफ्फरपुर जिला में पाँच प्रखंडों में ए0ई0एस0 की बीमारी से मरने वाले प्रखंडों में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आवास योजना है, उसमें हजारों लोगों को आवास दिया गया। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जीर्णोद्धार आवास योजना में, जो गरीब लोग अपना आवास नहीं बना पाये, अपना अधूरा आवास छोड़ दिये, उनको 50हजार रू0 तक का सहायता दिया जा रहा है ग्रामीण विकास के लिए ।

..... क्रमशः

टर्न-16/शंभु/16.12.22

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : क्रमशः..मैं कहना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार में मनरेगा में जब केन्द्र की सरकार थी, स्व0 रघुवंश बाबू ने मनरेगा योजना लाया था और उन्होंने कहा था कि सौ दिन मजदूरों को काम मिलेगा और उसके तहत काफी संख्या में मजदूर हमारे यहां काम करने लगे, मजदूरों का पलायन रूक गया, लेकिन केन्द्र में बैठी सरकार अब मनरेगा को भी खतम करना चाह रही है । मजदूरों की सीमा लिमिट कर दी गयी है । पहले था कि जितना आवेदन होगा उतना मजदूर काम करेगा अब कर दिया कि 19 से ज्यादा नहीं होगा और 19 से ज्यादा करोगे तो आपको मोबाइल से उसका उपस्थिति दर्ज कराना होगा जिससे गांव में मनरेगा से काम नहीं होता । गरीब लोग विस्थापित हो रहे हैं उनको घर बनाने के लिए मिट्टी भराई की जरूरत है । मैं कहना चाहूंगा कि जो गरीब विस्थापित है पहले था कि गरीब अपने खेत खलिहान को भरेगा उसको इसमें से हटा दिया गया । रोजगार गारंटी योजना जो लाया गया जिसमें सौ दिन मजदूर का काम हमारी सरकार ने प्रस्ताव भेजा है मजदूर गारंटी योजना का और उस मजदूर गारंटी योजना के तहत मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उसमें नियम है बनाकर सरकार ने भेजा है कि जो मजदूर किसान के खेत में मजदूर गारंटी योजना के तहत काम करेगा उसको 50 परसेंट

बिहार सरकार देगी और 50 परसेंट किसान देगा और अपने देखरेख में किसान काम करायेगा। ऐसी स्थिति में किसानों को मजदूर की समस्या कम हो जायेगी, हमारे किसान खुशहाल हो जायेंगे और हमारे राज्य में पैदावार भी बढ़ जायेगा। मजदूर के दिक्कत के कारण हमारे यहां लोग खेती करना कम कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से भी कहूंगा अभी विपक्ष के लोग रहते तो सुनते कि वे लोग जो यहां से प्रस्ताव गया है उसको पारित करावे। किसी भी योजना में बिहार के साथ सारी योजना में कटौती की जा रही है चाहे वह सड़क की योजना हो, स्वास्थ्य का मामला हो सारे में जिसमें केन्द्र का पैसा आना है सब रोक रहा है। बिहार के साथ सौतेलापन का व्यवहार किया जा रहा है। अभी जो किसानों के लिए समस्या जीविका दीदी महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा- इस सरकार ने सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण का कदम उठाया है ये जीविका समूह को- अब इसके तहत महिलाएं 1 परसेंट ब्याज पर ऋण ले लेती हैं मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन ये सब करके स्वावलंबी बन रही हैं जिससे गांव में महिलाओं का नहीं पूरे समाज का विकास हो रहा है। सतत जीविकोपार्जन योजना- जो गरीब महिलाएं हैं उनको मुफ्त में सरकार पैसा दे रही है बिना ब्याज के फ्री में सरकार पैसा दे रही है ताकि वे अपना कुछ रोजगार करें। गांवों में तो ये विकास का चल रहा है। शौचालय का निर्माण आप देख रहे हैं कि पूरा पहले जो स्थिति था कि हमलोग गुजरते थे सड़क से तो थोड़ा अपने खराब लगता था हमारे घर की बहु बेटियाँ सड़क पर जाती थी, लेकिन जब से शौचालय का निर्माण सरकार ने करवाया उसके बाद जहां जगह नहीं है जिस गरीब का उस टोला में सामुदायिक शौचालय का व्यवस्था किया किया जिससे हमारी महिलाओं का काफी सम्मान बढ़ रहा है। उसके बाद लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत स्वच्छताकर्म की बहाली की गयी कि गांव में जो कूड़ा कर्कट जमा होता है उस कूड़ा कर्कट को इकट्ठा करके उसमें लोगों का पैसा पर बहाली किया गया। उससे रोजगार भी मिला और गांवों में सफाई भी हुआ। उस कूड़ा कर्कट से आज कितना खाद वर्मी कम्पोस्ट बन रहा है जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। अभी हम जो देख रहे हैं कि हमारे यहां अभी जो किसानों की स्थिति है कि खाद की काफी किल्लत है। अभी केन्द्र से खाद का आवंटन कम दिया, पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है और जब किसानों की खेती का समय खतम हो जाता है तब खाद का रैक लगता है। मैं तो आग्रह करूंगा मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि खेती के समय में किसान की हालत इतनी खराब है उनको सारी सुविधा जिस तरह से सरकार ने किसान के लिए खेत तक बिजली का व्यवस्था किया है, समूचित व्यवस्था खाद का भी होना चाहिए, चूंकि खाद के बिना किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। लघु और सीमान्त किसान के लिए सरकार ने छोटे-छोटे पोखरे और तालाब बनवाना शुरू किया उसमें किसान अपना मछली पालन भी

कर लेते और मछली पालन के अलावा उसी पानी से अपने फसलों की सिंचाई कर लेते इससे उनको आमदनी हो जाता । अब इतनी सारी व्यवस्थाएं हो रही है सरकार के द्वारा लेकिन केन्द्र सरकार पिछला बार हमलोग देखे थे अक्टूबर में गृह मंत्री आये थे पूर्णियां में अपने भाषण में कहे कि मैं पूर्णियां में एयरपोर्ट दे दिया कोई ताली नहीं बजाया तो मंच से कहते हैं कि अरे बजाओ ताली- हमको बड़ा आश्चर्य हुआ हमलोग बच्चा थे तो देखते थे कि मदारी वाला आता था बंदर को नचाता था और कहता था कि बजाओ ताली तो हमलोग छोटे थे खूब ताली बजाते थे- हमको लगता है कि मदारी लोग ही आ गया है । इसी पर एक कहावत है कि मेरा जमीर मेरा एतवार बोलता है, मेरा जमीर मेरा एतवार बोलता है, मेरी जुबान पर परवार दीगार बोलता है, दिल्ली की सरकार को कुछ काम तो आता ही नहीं, मगर वह झूठ शानदार बोलता है । गजब का झूठ बोलता है, अब एक बार बोलता है कि गुजरात में मर गया दारू पीकर, एक बार बोलता है कि मध्यप्रदेश में मर गया दारू पीकर एक बार विपक्ष नहीं बोलता कि बगल में भाजपा की सरकार है और बिहार में राज्य सरकार को बदनाम कर रही है और इतना ही नहीं बोलता तो क्यों नहीं बोलते कि शराब को चालू कर दिया जाय, क्यों नहीं बोलता इतना । अरे हमारे यहां शराब बंद है तब मरता है जहरीली शराब पीकर और जहां चालू है वहां हजारों की संख्या में मर रहा है लोग शराब पीकर यह कहने की तो हिम्मत नहीं है । कल तक यहां हमारे साथ बैठे थे तो उसी कुर्सी पर बैठे थे और नीचे में सम्राट चौधरी जी बैठे थे मंत्री थे तो इनको कहा एक बार नेता प्रतिपक्ष को कि ज्यादा व्याकुल नहीं होइये तो लगा हमलोगों को कि इस्तीफा दे देंगे, दो दिन तक सदन में नहीं आये । हमलोगों को लगा कि जमीर इनका जाग गया है कि एक मंत्री इनको धमका दिया- और देखते हैं कि एक इधर नेता प्रतिपक्ष हो गये और एक उधर नेता प्रतिपक्ष हो गये । उससे अच्छा था कि बचौल जी को बना देते, नहीं तो बड़े-बड़े लोग थे नन्दकिशोर बाबू थे, प्रेम बाबू थे, तारकिशोर बाबू थे इनको नहीं बनाया और जब उनको बनाया तो बचौल जी को बना देते । कोई बात नहीं करेंगे मुद्दा का और सीधे कहेंगे सरकार के खिलाफ- भ्रष्टाचार पहले से कम हुआ है । अभी स्वास्थ्य विभाग में जाकर देखिए हमलोग भी देखते हैं कि दहशत है डाक्टरों में कि कब तेजस्वी यादव जी, कब स्वास्थ्य मंत्री जी आ जायेंगे । हमलोग कैपस में रहते हैं तो पूछता है कि आज आनेवाले हैं क्या, हमेशा भय लगा रहता है कि कहीं रात में ही न आ जाएं । चूंकि ये तो रात में ही चले जाते हैं और आज यह स्थिति है स्वास्थ्य विभाग में उपाध्यक्ष महोदय कि डाक्टर टाइम पर आना शुरू कर दिया है, गरीबों का इलाज उचित ढंग से हो रहा है और कोई प्राइवेट में नहीं जा रहा है, लेकिन पहले वही था हास्पिटल के अगल बगल में सैंकड़ों नर्सिंग होम खुलवाया गया । किसके स्वास्थ्य मंत्री रहते खुलवाया गया जिस समय मंगल पाण्डेय जी स्वास्थ्य मंत्री थे और हास्पिटल के अगल

बगल में सैंकड़ों नर्सिंग होम खुलता था उस समय, हास्पिटल को लूटा जा रहा था, कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी न टेक्नीशियन था न कोई व्यवस्था था वहां, लेकिन आज स्वास्थ्य विभाग का आज सड़कों की व्यवस्था- मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में लोगों से पूछता हूँ कि कोई सड़क बचा हो तो बताइये । सारी व्यवस्थाएं अब सुचारू रूप से चल रही है । मैंने पहले भी कहा कि अब समान विचारधारा की सरकार है दोनों आदमी एक अनुभवी हैं एक नौजवान हैं । मुझे भरोसा है कि बिहार आगे बढ़ा है और आगे बढ़ता रहेगा और इसीलिए जो मांग की गयी है मैं उसका समर्थन करता हूँ, धन्यवाद ।

टर्न-17/पुलकित/16.12.2022

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललित नारायण मंडल । आपका समय 15 मिनट है ।

श्री ललित नारायण मंडल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग का जो प्रस्ताव है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । मैं सुलतानगंज विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ । माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी जी और ग्रामीण विकास मंत्री बड़े भाई श्रवण बाबू का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको चंद मिनट यहां पर विधान सभा में, समर्थन में अपने विचार को रखने का मौका दिया है । उपाध्यक्ष महोदय, हम सब लोग जानते हैं कि बिहार की ही नहीं, पूरे भारत की 85 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है । जबतक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक हिन्दुस्तान का विकास संभव नहीं है । ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार में कितना काम हुआ है उसको हम पन्द्रह मिनट में तो बता नहीं सकते हैं लेकिन संक्षेप में आपके आदेशानुसार कुछ बिंदुओं पर हम जरूर आते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, सात निश्चय कार्यक्रम से बिहार के गांवों का बहुत विकास हुआ है । हर घर नल जल हम लोग अपने गांवों में देखते हैं कि हर घर जल पहुंचा है इसके अतिरिक्त भी कुछ कार्य रह गये थे जो ग्रामीण विकास के द्वारा संभव हुए । महोदय, जैसे हम जल-जीवन-हरियाली की बात करते हैं जल, जीवन, हरियाली एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उठाया है और पूरे विश्व का यह समीचीन मुद्दा भी है । इस मुद्दे को अगर हम भूल जाते हैं तो हमारी पृथ्वी की आयु बहुत घट जायेगी और पृथ्वी विनाश की ओर चली जायेगी । माननीय मंत्री जी की जल-जीवन-हरियाली योजना है इसके तहत हम समझते हैं कि हरियाली है तो जल है, जल है तो जीवन है इसीलिए जल के बिना कोई भी जीव, पेड़-पौधा हो या सजीव हो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता है । इसलिए हरियाली के लिए वृक्षारोपण हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनाया है और आप जानते हैं कि नहर के किनारे गांव, घर में इधर-उधर और हमलोगों को सदस्यता के क्रम में भी मुख्यमंत्री जी ने वृक्षारोपण हमलोगों से करवाया था । इसलिए हरियाली तो बहुत जरूरी है और हरियाली

के बिना पृथ्वी की आयु ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी और हरियाली नहीं रहेगी तो जल भी उपलब्ध नहीं होगा । आज जल की जो स्थिति है चाहे ऊपरी परत का जल हो या भूमिगत जल की स्थिति हो, बहुत बुरी स्थिति में है । इसलिए हरियाली पर हमारे मंत्री महोदय ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय ने और हमारी सरकार ने जो ध्यान दिया है यह काबिल-ए-तारीफ है । जब हरियाली बढ़ेगी तो वनों का आच्छादन बढ़ेगा और जल की आपूर्ति हमको होगी और प्राकृतिक जल हमको मिलेगा इससे जीवन हमारा सुरक्षित होगा । इसके लिए हमारी सरकार ने खासकर के इस विभाग ने नहर, पोखर, कुआं, तालाब सबकी देखभाल करने का जिम्मा लिया है और यहां तक कि चापाकल के बगल में भी सोखता बनाकर के जल को सुरक्षित करने की बात की है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जल-जीवन-हरियाली में ऊर्जा की बात है कि हम ऐसी ऊर्जा को हम दुनिया के सामने लाये । जिसको फिर से हम उत्पन्न कर सकते हैं जैसे सौर ऊर्जा की बात हुई, जैसे पवन ऊर्जा की बात हुई, जैसे जल ऊर्जा की बात हुई इसका हम अधिक उपयोग करेंगे तो प्रदूषण भी कम होगा और हमारी ऊर्जा की भी बचत होगी। इसलिए जल-जीवन-हरियाली में एक ऐसी बात है जिस पर हम घंटों बात कर सकते हैं । लेकिन समय कम है इसलिए हम दूसरी बात पर आते हैं मनरेगा योजना पर । इस विभाग की मनरेगा योजना भी एक ऐसा मील का पत्थर है जिसने बिहार के गरीबों को ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में ठहरने का साधन दिया है । गांव में गरीब को जब काम नहीं मिलता है तो वे प्रदेश चले जाते हैं लेकिन हमारे मंत्री जी ने हमारी सरकार ने गरीबों के लिए काम की व्यवस्था की है। अभी इस साल की बात करते हैं हमारे विपक्ष के साथी नहीं है । इस साल मंत्रालय द्वारा 30 करोड़ मानव दिवस सृजन की बात की थी लेकिन ऊपर से स्वीकृति मात्र 20 करोड़ मानव दिवस के श्रम का बजट पास हुआ है । इसमें क्यों इतनी अधिक कटौती हुई है ? बिहार के साथ यह उपेक्षा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर बिहार के साथ इस तरह की उपेक्षा केन्द्र सरकार के द्वारा रहेगी तो हमारे गरीब भाई को काम नहीं मिलेगा । पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं । बात तो इधर-उधर की बहुत करते हैं लेकिन गरीबों के हित में काम करना नहीं चाहते हैं। मनरेगा विभाग में मजदूरों की मजदूरी बढ़ाकर 210/- रुपये कर दी गयी है, जो काबिल-ए-तारीफ है और मजदूरों का जीवन-यापन इससे संभव है । उपाध्यक्ष जी, वृक्षारोपण की जब बात आती है तो वर्ष- 2023 तक 1.7 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरुद्ध अभी तक 1.49 करोड़ वृक्षारोपण हो गया है, यह बहुत बड़ी सफलता है और वनों का आच्छादन, वृक्षों का आच्छादन बिहार में धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है और यह जीवन के लिए बहुत जरूरी है । हमारे ग्रामीण विकास विभाग द्वारा खेल के मैदान और सरकारी स्कूलों की चहारदीवारी के घेराव का भी निर्माण कार्य कराया जाता

है । जो स्कूल में बच्चों को खेलने के लिए बहुत जरूरी है । कहा जाता है कि जबतक बच्चे खेलेंगे नहीं, बच्चे कूदेंगे नहीं तो सफल इंसान नहीं बनेंगे, स्वस्थ इंसान नहीं बनेंगे इसलिए हमारे बड़े भाई मंत्री साहब ने, श्री श्रवण बाबू ने स्कूलों की चहारदीवारी की और खेल मैदान की चहारदीवारी के स्वीकृति की बात की है । हम इसके साक्षी हैं हम अपने विधान सभा में कम से कम दस चहारदीवारी के निर्माण की स्वीकृति हम मंत्री महोदय से प्राप्त कर चुके हैं । यह कोरी कल्पना नहीं है बल्कि यह सच्ची बात है । मनरेगा में काम हो रहा है कि नहीं, विरोधी बोलते हैं कि काम नहीं होता है लेकिन मोबाइल सिस्टम लागू किया गया है इसलिए वहां पर कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना के तहत पहले गांव में हमलोग जब बच्चे थे तो देखते थे कि महिलाएं सब खुले में और पुरुष भी खुले में शौच के लिए जाते थे और रात में छुपकर के महिलाएं जाया करती थी लेकिन आज इस विभाग के द्वारा जो ग्रामीणों में शौचालय का निर्माण कराया गया है इससे हमारी माताओं-बहनों को बहुत फायदा हुआ है और उनको अब किसी तरह की परेशानी नहीं होती है । पहले समय पर शौचालय नहीं जाने पर तरह-तरह की बीमारी होती थी और शाम में या सुबह में शौच के लिए जाने में बाध्यता होती थी, उसके चलते बहुत तरह की बीमारी महिलाओं को होती थी लेकिन आज हमारे मंत्री जी के सौजन्य से ग्रामीण घरों में शौचालय का निर्माण हुआ है । बहुत तरह की बीमारियों से हमारी माताएं और बहनें बची हैं । मनरेगा के तहत इच्छुक ग्रामीण परिवारों को एक सौ दिन के कार्य का प्रावधान मिला है, इससे पलायन बढ़ा है ।

(क्रमशः)

टर्न-18/अभिनीत/16.12.2022

श्री ललित नारायण मंडल (क्रमशः) : महोदय, इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 4283 परिवारों को रोजगार मिला है । भुगतान की समस्या में पहले कहा जाता था कि वहां पर गड़बड़ी होती है । मुखिया या बीडियो या कोई दूसरे लोग गड़बड़ी करते हैं पेमेंट में लेकिन अब तो पेमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मजदूर को उसके खाते में भेजा जाता है जिसमें गड़बड़ी की संभावना नहीं है, यह योजना भी बहुत काबिले तारीफ है । इस विभाग में जो मनरेगा के मजदूर हैं उनके लिए तय किया गया है कि उनको समय पर मजदूरी मिले और समय पर मजदूरी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था के द्वारा उनके खाते में डाला जाता है । यदि किसी कारण पेमेंट में विलंब हुआ तो उसकी क्षतिपूर्ति करने की व्यवस्था हमारे मंत्री महोदय ने की है, यह भी बहुत काबिले तारीफ है और गरीबों के हित, मजदूरों के हित की यह एक योजना है । प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों को सामान्य जिलों में

प्रति लाभुक एक लाख बीस हजार रुपये और इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान जिलों में एक लाख तीस हजार रुपये लाभुकों को दिया जाता है और किशतों में सीधे उनके खातों में दिया जाता है, बीच में कोई ब्रोकर नहीं होता है। यह बहुत बड़ी बात है, यह भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है और इससे गरीबों को, मजदूरों को बहुत फायदा हुआ है।

महोदय, इसके बाद बात आती है मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना की कि आवस योजना देनी है, पैसा देना है लेकिन जिस आदमी को वास का जमीन नहीं है वह कैसे अपना घर बनायेगा, तो इसके लिए हमारे मंत्री महोदय ने, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने व्यवस्था की है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ी जाति को जमीन खरीदने के लिए 60 हजार रुपया, यह बहुत बड़ी बात है। 60 हजार रुपया उन गरीबों को सरकार द्वारा दिया जाता है और उसके बाद घर बनाने के लिए पैसा अलग से मिलता है।

हमारे विपक्ष के साथी नहीं हैं। उनको तो केवल शराब की बात समझ में आती है। उनको सुनना चाहिए था कि सरकार ने और हमारे इस ग्रामीण विकास मंत्रालय ने क्या-क्या काम किया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बहुत सारे काम हुए हैं। इसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना भी है जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा लाभार्थियों को जिनके मकान जीर्णशीर्ण हैं और बहुत पहले मकान बन गया है, रहने में परेशानी होती है उनको सरकार ने मरम्मत की के लिए गरीबों को 50 हजार रुपये प्रति लाभार्थी देने की व्यवस्था की है। यह भी काबिले तारीफ है। यह सरकार गरीबों की सरकार है, यह साफ जाहिर है सर, अगर इस विभाग के कार्यों का विश्लेषण किया जाय तो साफ लगता है कि यह जो हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार है वह गरीबों की है, गरीबों के द्वारा है और केवल गरीबों के लिए है।

जीविका दीदी की बात आती है। 1042 सहायता समूहों का निर्माण हुआ है और इसके तहत 01 करोड़ 28 लाख परिवार जुड़े हुए हैं। केवल ऐसे ही नहीं जुड़े हुए हैं, इन परिवारों को 25 हजार 691 करोड़ रुपये ऋण के रूप में वितरित किये गये हैं जिनको जीविका दीदी अपनी आवश्यकतानुसार शादी-विवाह में या अन्य त्यौहारों में या बच्चों की पढ़ाई और घर बनाने में खर्च करती है। समय का अभाव है..

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए।

श्री ललित नारायण मंडल : महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राकेश कुमार रौशन।

श्री राकेश कुमार रौशन : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट और ग्रामीण विकास विभा के मंत्री द्वारा बिहार के लिए अनुदान मांग का जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसके समर्थन में मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो बिहार की वर्तमान सरकार है, इस सरकार का लक्ष्य है सस्टेनेबुल गोल ऑफ डेवलपमेंट का और ये सस्टेनेबुल गोल ऑफ डेवलपमेंट इस बिहार में समाजवादियों और साम्यवादियों के चिंतन के आधार पर ही किया जा सकता है, चूँकि हमलोगों का जो लक्ष्य रहा है समाजवादियों का वह सोशल जस्टिस का लक्ष्य रहा है और बिना सामाजिक न्याय की परिकल्पना किये हुए इस बिहार के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। चूँकि जो समाजिक न्याय की बात है यह हमने अपने पुरखों डॉ० राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण जी, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी जैसे लोगों से सिखा और उन्हीं के सीख पर इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए 1990 में माननीय श्री लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में बिहार में गरीब-गुरबों की सरकार बनी। यह सरकार बनने के बाद जो सोच थी हमारी समाजिक न्याय की, धर्मनिरपेक्षता का तो कभी भी हमारे दल ने या हमारे दल के नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी नीतियों और वसूलों से समझौता नहीं किया और लाख प्रताड़ना के बावजूद भी वे अपनी नीतियों के समर्थन में खड़े रहें। आज जो देश के सामने वर्तमान हालात पैदा हुए तो देश के अंदर अधिनायकवादी ताकतों को बढ़ावा मिलने लगा। देश के लोकतंत्र की जब हत्या होने लगी और सभी संवैधानिक संस्थाओं पर एक तरह से एक दल का कब्जा हो गया तो इस देश और समय की मांग के अनुसार हमलोगों ने अपने नेता के आदर्शों पर चलते हुए, हमारे दल ने और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पुनः इस बिहार की सरकार को तमाम भेदभाव भुलकर समर्थन देने का काम किया। यह विश्वास आमजन में देने का काम किया कि जब कभी भी देश के ऊपर लोकतंत्र पर खतरा पैदा होगा, अधिनायकवादी ताकतें मजबूत होंगी तो वैसी परिस्थितियों में हमलोग हमेशा मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं।

हम बधाई देना चाहते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने भी देश की परिस्थितियों से समझौता न करते हुए संघ और भाजपाइयों के खिलाफ लड़ाई का आह्वान किया और उसी लड़ाई को मजबूती देने के लिए, मंजिल तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस सरकार को सदन में समर्थन देने का काम किया और हम सरकार के साथ चलकर सरकार की नीतियों को बढ़ाने का काम किये। महोदय, जब हम बिहार के विकास की चर्चा करते हैं तो बिहार के अंदर व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई इन मुद्दों की चर्चा होनी आवश्यक है। अभी चार महीने इस सरकार की हुई है और इस चार महीने के अंदर सरकार ने जो अपनी नीतियों को पारदर्शिता के

साथ आम जनता के सामने रखने का काम किया है उससे बिहार के आवाम में एक आशा की किरण दिखाई पड़ी है ।
(क्रमशः)

टर्न-19/हेमन्त/16.12.2022

श्री राकेश कुमार रौशन (क्रमशः) : हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के लोगों को चुनाव के समय में यह वादा किया था कि बिहार के बेरोजगारों को हम हतोत्साहित नहीं होने देंगे और बिहार के अंदर रोजगार देने का काम करेंगे, रोजगार सृजन का काम करेंगे और आज आपने देखा कि मात्र चार महीने में बिहार के अंदर भिन्न-भिन्न विभागों में बहुत तरह की वैकेंसियां निकाली गयीं और अभी तक लगभग 24 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है । यह बिहार की जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार की उपलब्धि है । महोदय, इसीलिए हम लोगों के सामने जो परिस्थितियां हैं, हम लोगों के सामने जो बिहार के हालात हैं, उस हालात में हम समाजवादियों का, साम्यवादियों का गठबंधन निश्चित रूप से बिहार को एक दिशा देगा और विकास के रास्ते पर ले जायेगा, यह हमारी समझदारी है ।

आज माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी ने जो अनुदान मांग रखी है और आज गिलोटिन का जो सब्जेक्ट ग्रामीण विकास का है उसके संबंध में भी मैं कुछ बातें माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कहना चाहता हूं । आप सभी लोग जानते हैं कि अभी बिहार में अनुमानित जनसंख्या 14 करोड़ है । 14 करोड़ के आसपास बिहार में जनसंख्या पहुंच गयी है । 2020 में बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ 38 लाख थी, लेकिन अभी जनसंख्या 14 करोड़ के आसपास है और इसमें 88 प्रतिशत लोग गांव के अंदर निवास करते हैं । इसलिए गांव के विकास के लिए सरकार को गरीबी को दूर करना और आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं का जो संचालन किया जा रहा है उसमें और तेज गति लाने की आवश्यकता है । महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो योजनाएं चलायी जा रही हैं, उसमें जल-जीवन-हरियाली अभियान से गांव के अंदर जो सिंचाई की समस्या है, जो पर्यावरण की समस्या है, उस समस्या को दूर करना है और इस विभाग के अंदर यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2 करोड़ पौधा रोपण का कार्य यह सरकार करेगी और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और लगभग 1 करोड़ 51 लाख पौधे पूरे बिहार के अंदर हम इस जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत लगाये हैं । इसके अलावा इसी जल-जीवन-हरियाली में खेल मैदान और सरकारी विद्यालय हेतु चहारदीवारी का जो निर्माण करना है और महोदय, यह एक

बहुत ही मूलभूत समस्या है बिहार के अंदर । बिहार के अंदर जितने भी चाहे राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय हों, मध्य विद्यालय हों, प्राथमिक विद्यालय हों सब जगह पर बाऊंड्री वाल नहीं रहने के कारण विद्यालय सुरक्षित नहीं हैं और विद्यालय में अनधिकृत लोगों का जमावड़ा लगा रहता है । जिसके चलते पढ़ाई-लिखाई, पठन-पाठन बाधित हुआ है और विद्यालय में चोरी वगैरह भी प्रारंभ हुई है । इसीलिए चहारदीवारी निर्माण का जो सरकार का लक्ष्य है इसको निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि हमने अपने इलाके की भी लिस्ट माननीय मंत्री जी को दी थी, वहां एक-दो जगह पर उन्होंने स्वीकृति दिलायी है । हम अलग से मिलकर और भी लिस्ट देंगे । हमारे इलाके के अंदर बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां चहारदीवारी का निर्माण होना आवश्यक है । महोदय, इसके अलावा इस योजना के तहत तालाब, पईन, पोखर का निर्माण करना है । तो तालाब, पईन, पोखर के पीछे जो जल संचय का सरकार का लक्ष्य है, इस लक्ष्य को भी पूरा करने की जरूरत है । चूंकि अभी भी जो नेशनल सर्वे की रिपोर्ट है उसके हिसाब से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अभी भी जो हमारा 22 प्रतिशत अनाज है, सिंचाई के अभाव में उस अनाज का उत्पादन नहीं हो पाता है । इसलिए हर खेत को पानी, हर घर को पानी पहुंचाना, यह जो सरकार का लक्ष्य है इसको पूरा करने की जरूरत है और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है । दूसरा, जो ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत मनरेगा का कार्यक्रम चल रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसमें पिछले वित्तीय वर्ष में 30 करोड़ मानव दिवस का सृजन होना था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि केंद्र सरकार ने उतनी स्वीकृति नहीं दी, मात्र 20 करोड़ मानव दिवस का सृजन हुआ है । इसीलिए केंद्र सरकार की भेदभावपूर्ण नीति के चलते भी मनरेगा का जो मकसद है, वह पूरा नहीं हो रहा है और इसमें माननीय मंत्री जी ने काफी प्रयास करके 198 रुपये प्रति मजदूर मजदूरी तय करायी है, जो न्यूनतम मजदूरी के आसपास है इसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और 36 लाख 97 हजार परिवारों को इसका लाभ भी मिला है जिसकी माननीय मंत्री ने चर्चा भी की है । महोदय, एक नयी बात यह हुई है कि मनरेगा का जो कार्य है उसका ऑनलाईन परफोर्मा तैयार करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया है । सॉफ्टवेयर ऑफ स्टीमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट्स फॉर इम्प्लायमेंट सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है । तो यह जो सॉफ्टवेयर है इसके आधार पर यदि कोई मानक तय करके जो स्टैंडर्ड निविदा का स्वरूप होगा, तो उससे समय की भी बचत होगी और काम में भी प्रगति होगी । महोदय, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना है जहां 23 लाख 45 हजार 51 लाभुकों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिला है । लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस योजना के अंतर्गत सरकारी पदाधिकारियों की जो भूमिका है,

उस भूमिका के चलते हम उस लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं करते और इस कार्यक्रम में खासकर ग्रामीण इलाकों में जो भ्रष्टाचार की स्थिति है पदाधिकारियों द्वारा उस पर सरकार को अंकुश लगाने की जरूरत है जिससे कि इस योजना को सफलीभूत किया जाय । महोदय, जीविका की जो योजना चल रही है, वह जीविका भी बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, जिससे स्वयं सहायता समूह का गठन कर लाखों लोगों को रोजगार देना है । कोरोना काल में भी जीविका के लोगों ने अच्छा काम किया था और अभी भी जीविका के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है, यह सरकार की उपलब्धि है । महोदय, ग्रामीण विकास विभाग हर ब्लॉक, मुख्यालय में प्रखंड भवन का निर्माण कर रहा है । महोदय, संयोग से मंत्री जी भी हमारे ही जिला से आते हैं । हमारे विधान सभा क्षेत्र में दो ब्लॉक हैं, इस्लामपुर और एकंगर । एकंगर का भवन माननीय मंत्री जी ने बना दिया है । हम माननीय मंत्री जी से मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस्लामपुर में भी प्रखंड-सह-अंचल भवन की स्थिति काफी जर्जर है । इसीलिए इस जर्जर स्थिति में सुधार लाने के लिए इस्लामपुर के भी प्रखंड भवन का निर्माण जल्द-से-जल्द कराया जाय, यह मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं और महोदय, इसके अलावा बहुत सारे टोला और बसावट हैं, वह भी सड़क से छूटे हुए हैं जिसमें भटवावाद, पालीपुर, दौलतपुर इत्यादि गांव हैं, जहां सड़क का निर्माण होना है । इन बातों पर भी माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे । महोदय, अंत में मैं अपनी बात को दिनकर की इस पंक्ति के साथ समाप्त करना चाहता हूं । महोदय, दिनकर ने लिखा है कि-

“तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर,
पाते हैं सम्मान जगत में अपना कर्तव्य दिखलाकर ।”

यह सरकार अपना कर्तव्य दिखलाकर जनता में सम्मान पाने का प्रयास करेगी । मैं इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपनी पार्टी के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, अपने सचेतक जी को, सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

टर्न-20/धिरेन्द्र/16.12.2022

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री छत्रपति यादव ।

श्री छत्रपति यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम 149-खगड़िया विधान सभा की जनता की ओर से सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ । कांग्रेस पार्टी के विधान मंडल दल के नेता एवं सचेतक के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे सदन में ग्रामीण विकास पर बोलने का अवसर दिये हैं । ग्रामीण विकास पर बोलने के पूर्व मैं अपने पिता स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री, ग्रामीण

विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जोकि माननीय स्वर्गीय बिन्देश्वरी दूबे, पूर्व मुख्यमंत्री वर्ष 1985-90 के दरमियान विकास का सराहनीय कार्य किये थे । 1985-90 के दौर में कांग्रेस का शासनकाल था और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास में बेहतर प्रगति किया था । ग्रामीण विकास की जब बात शुरू होती है तो निश्चित ग्रामीण विकास से जुड़े अन्य विभाग जैसे-सिंचाई विभाग, बाढ़ नियंत्रण, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, बिहार पशुपालन, कृषि, सहकारिता आदि का समावेश माना जाता है । प्रायः ग्रामीण विकास विभाग का अभिप्राय सिर्फ विकास से ही नहीं किया जाता है, ये वाजिब नहीं है । गांव में वर्तमान सरकार के नेतृत्व में सड़कों की बेहतर सुविधा प्राप्त हुई है, सात निश्चय की सुविधा भी प्राप्त हुई है । इसी क्रम में सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट खगड़िया विधान सभा की सड़कों के बेहतर विकास एवं सुविधा के लिए करता हूँ । पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी खगड़िया विधान सभा में नौका दुर्घटना के दौरान अशोक घाट पर उपस्थित होकर घोषणा किये थे कि यहां पर एक पुल बनेगा जो आज तक लंबित है । खगड़िया शहर के राजेन्द्र चौक से बखरी रेलवे गुमटी तक की सड़क पी०डब्ल्यू०डी० को नगर विकास विभाग ने दो वर्ष पूर्व हस्तांतरित कर दिया है, जिसको पी०डब्ल्यू०डी० ने अभी तक अधिग्रहण नहीं किया है, जिससे मुख्य सड़क स्टेशन रोड पर आये दिन दुर्घटना होते रहती है, पी०डब्ल्यू०डी० को अधिग्रहण करना चाहिए । खगड़िया शहर के बाईपास सड़क की स्वीकृति पी०डब्ल्यू०डी० के द्वारा किया गया है जो कि सिंचाई विभाग के सशर्त अनुमति के कारण अवरुद्ध है । आशा है कि सिंचाई विभाग बिना शर्त पी०डब्ल्यू०डी० को कार्य करने की अनुमति देगा । ग्रामीण विकास का अभिशाप यह है कि खगड़िया में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है जिससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें टूट जाती हैं । अतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पांच से छः फीट ऊँची सड़क निर्माण की दिशा में निर्णय होना चाहिए । इसी क्रम में मधुरा दियारा ग्राम की चर्चा करना लाजमी है । यहां सिंचाई विभाग द्वारा बांध निर्माण नहीं होने से यह गांव कभी भी गंगा में विलुप्त हो सकती है । अतः बांध नहीं होने से प्रायः प्रत्येक वर्ष ग्रामीण सड़क बर्बाद हो जाती है जिससे सरकार को करोड़ों रुपये की क्षति होती है । ग्रामीण विकास की परिकल्पना तथा अवधारणा के तहत शिक्षा को नहीं छोड़ा जा सकता है, इस प्रति आग्रह है कि अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय, रहीमपुर के विकास की आवश्यकता है जो संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा से एफिलेटेड है और वर्ष 1981 में बनी है, हजारों बिगहा जमीन है और आज तक यहां भवन का निर्माण नहीं हुआ है । हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसकी ओर ध्यान देना चाहिए । खगड़िया शहर के विस्तार की आवश्यकता है, इस प्रति गंडक नदी पर नये पुल के निर्माण की आवश्यकता है, इस प्रति ग्रामीण विकास अथवा पी०डब्ल्यू०डी० स्तर से पुल निर्माण कराने

की मांग करता हूँ। खगड़िया विधान सभा में दसों ग्राम मधुरा और समसा के पास एक पुल निर्माण होने से जितने ग्रामीण गांव हैं उसका विकास हो सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खगड़िया विधान सभा में खेती और पशुपालन प्रभावित है, वहां उद्योग नहीं है इसलिए हम चाहते हैं कि गांव के बेहतर विकास के लिए ग्रामीण विकास के द्वारा एक टीम गठित कर जितने गांव में विभिन्न सड़कें और ट्रैक लंबित हैं और सरकार के द्वारा जितनी स्वीकृति दी गई है, उसकी छानबीन की जाए और उसका उत्तरोत्तर वृद्धि किया जाए। सदन में बोलने का आपने जो अवसर प्रदान किया है इस प्रति मैं सदन को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम।

श्री सत्यदेव राम : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान मांग के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और जोरदार समर्थन कर रहा हूँ। इसलिए कि माननीय मंत्री जी ये सारे पैसे लेकर बिहार के गाँवों के विकास का काम करेंगे, इसलिए मैं समर्थन दे रहा हूँ। महोदय, अब बात तो रखनी थी, इस पर जब बहस चल रही है और विपक्ष नदारद है। महोदय, एक बात का बड़ा दुःख होता है कि विपक्ष के जो नेता चुने गए हैं उनको संसदीय कोई अनुभव नहीं है और इसलिए अभी सदन पूरा खाली है। बोलने के लिए हल्ला कर रहे थे और जब समय दिया गया बोलने के लिए तो वे सदन छोड़ कर भाग गए। महोदय, ग्रामीण विकास विभाग पर हमने तो तैयारी कर के आया था कि हम बिहार के गरीबों के, वर्कर-मजदूरों के सारे प्रश्नों पर बात करेंगे, सरकार से मांग करेंगे लेकिन अभी थोड़ा केंद्रित हो गया है ग्रामीण विकास विभाग तो हम कहना चाहते हैं कि उसी में मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून है जिसमें मजदूरों को काम करने का अधिकार है तो सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून है या योजना है? कारण कि केन्द्र सरकार के नोटिफिकेशन को हमने पढ़ा तो मुझे लगा कि देश के, बिहार के अकुशल मजदूरों के लिए एक कानून बना है लेकिन जब हम गाँव में देखते हैं तो कानून के रूप में नहीं है। हम तो यह जानना चाहेंगे चूँकि ये बात तो हम अब यहां कर रहे हैं, ये केन्द्र प्रायोजित योजना है और केन्द्र के प्रतिनिधि भी यहां कोई नहीं हैं, भाग गए लोग। उनको पता था कि सत्यदेव राम जब ग्रामीण विकास विभाग पर बोलेंगे तो इसका जवाब मांगेंगे, देना पड़ेगा और पहले ही डर से भाग गए। इसलिए एक तो यह कानून है, हम जानना चाहेंगे, मंत्री जी जब बोलेंगे तो निश्चित रूप से अपने वक्तव्य में इस बात को रख देंगे। साथ-ही-साथ जो मनरेगा में मजदूर है, हमलोगों को सोचना चाहिए, पूरे सदन को सोचना चाहिए कि जो मजदूर 210 रुपये में आठ घंटा सर पर टोकरी ढोता है, कोई बता दे हमको कि क्या वह मजदूर कहीं कमीशनखोरी करता है क्या? क्या कहीं वह पैसे लेता है? क्या कहीं घोटाला करता है?

वह तो दिनभर टोकरी ढोता है । 210 रुपया में उसका परिवार कैसे चलेगा ? मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंसान के जीवनयापन के लिए बात कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि इस सवाल पर सभी लोगों को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और मैं साथ-ही-साथ, जब वह कोई भ्रष्टाचार नहीं करता है, कोई घोटाला नहीं करता है, कोई कमीशन नहीं लेता है तो वही उसका 210 रुपया है तो निश्चित रूप से हमलोगों को विचार करना चाहिए और मैं सरकार से यह मांग कर रहा हूँ कि मनरेगा मजदूरों के मजदूरी का प्रस्ताव विधान सभा केन्द्र सरकार के पास भेजे । इसमें मांग दो हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि एक परिवार जो पांच सदस्यीय परिवार होता है, एक परिवार को जीवनयापन करने के लिए कम-से-कम इस महंगाई के दौर में 18 हजार रुपया मंथली चाहिए लेकिन मंत्री जी तो योग्य मंत्री हैं, हम बहुत बात नहीं करना चाहते हैं वे खूद समझते हैं । मैं उम्मीद करता हूँ कि कम-से-कम जो बिहार की न्यूनतम मजदूरी है, आप 18 हजार नहीं देंगे तो नियम के अनुसार कानूनी तौर पर जो बिहार की न्यूनतम मजदूरी है उस मजदूरी को तो आप केन्द्र सरकार से मांग कीजिये और यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजिये । साथ-ही-साथ मैंने यह भी मजदूरों से ही सुना और अखबार में पढ़े हुए थोड़ा ज्यादा दिन हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से प्रतिदिन मजदूरों के मजदूरी में 25 रुपया जो सीधे सरकार का पैसा है उन्होंने दिया था और उस समय मजदूर थोड़ा खुश थे लेकिन वह भी वापस हो गया ।

(क्रमशः)

टर्न-21/सुरज/16.12.2022

(क्रमशः)

श्री सत्यदेव राम : हम इस सदन में यह कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार को भी इस गंभीर मसले पर विचार करते हुये अपनी तरफ से कम से कम 51 रुपया मनरेगा मजदूरों की मजदूरी में जोड़े, इस बात की गारंटी करे । जो इसमें और बहुत तरह की धांधलियां हैं सारी बातों को रखने में काफी समय लगेगा । बहुत तरह की धांधलियां हैं पंचायत से लेकर के गांव तक अभी भी मजदूरों की इतनी कम मजदूरी जो है वह भी मजदूरी नहीं मिल रही है, बहुत जगह बकाया है और जब मजदूर मजदूरी मांगने जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि सॉफ्टवेयर बंद है । अब वह कई महीनों से बंद है और मजदूरों को जीवन-यापन करने में समस्या खड़ी है । तो इन सारी चीजों पर मंत्री जी नजर रखें और जो जितना काम करे सरकार उतने काम के दाम की गारंटी करे । यह आपकी जवाबदेही है आप अपनी जवाबदेहियों से पीछे नहीं हट सकते हैं । हमारी पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि हम महागठबंधन को पूर्ण रूप से, सम्पूर्ण रूप से, जोरदार ढंग से समर्थन करते हैं लेकिन साथ ही साथ हम जनता के प्रश्नों को भी, गरीबों के सवालों को भी कहने और मांगने में पीछे

नहीं रहेंगे । ये भी हमारी लाईन है । अब तो ये घेरा पड़ गया है । लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं जो भी मंत्रिगण यहां उपस्थित हैं कि जितने स्कीम वर्कर मजदूर हैं, जो काफी कम पैसे पर जैसे रसोईया है, मात्र 50 रुपये पर रोज काम करती है, 8 घंटा काम करती है । इस पर विचार होना चाहिये सदन में और मंत्रिमंडल में और अभी हम कहना चाहेंगे कि कम से कम रसोईया को न्यूनतम मजदूरी ही आप लागू कीजिये, हम आपसे ज्यादा पैसे की मांग नहीं कर रहे हैं । आप न्यूनतम मजदूरी रसोईया को दीजिये क्योंकि वह 8 घंटे मेहनत करती है । ऊपर से जो शिक्षक हैं वह भी अपमानित करते हैं और सफाई से लेकर के खाना बनायी, खाना खिलाई और बर्तन मंजाई तक उसको डांट-डांटकर बोलते हैं और उसको अपमानित भी करते हैं । तो हम समझते हैं कि वह भी एक कर्मचारी है भले वह अभी कर्मचारी का दर्जा नहीं पाया है लेकिन आपके महत्वकांक्षी योजना को वही लागू कर रही है, तभी आप मिड-डे-मिल की बात करते हैं। वह बच्चों को खाना बना करके खिलाती है वह एक बड़ा काम है और इसलिये उसकी भी मजदूरी में न्यूनतम मजदूरी की मांग हम आपसे करना चाहते हैं । इसी तरह से आशा है जिनकी बिहार में लाखों की संख्या है । कोरोना के समय में सारे बड़े-बड़े निजी हॉस्पिटल, क्लीनिक, डॉक्टर सब भाग गये लेकिन वही एक आशा थी जो अपनी जान की बाजी लगा करके कोरोना में और सरकारी हॉस्पिटलों में लोगों का ईलाज करती थी और इंजेक्शन देती थी । हमने तो देखा कि सीवान में एक जज साहब के पिता की मृत्यु हो गयी और वह देखने तक नहीं गये कि कोरोना हमको पकड़ लेगा और पैसे पर मजदूर रख करके किसी तरह उनका दाह संस्कार कराया गया । लेकिन वैसी परिस्थिति में आशाओं ने सबका देखभाल किया, इंजेक्शन दिया, दवा दिया उसके चलते एक बड़ा योगदान मिला और इसकी स्वास्थ्य विभाग ने भी सराहना की । लेकिन आज उसकी हालत क्या है । हमने कई बार माननीय मंत्री जी से कहा कि आशा कर्मियों को एक सम्मानजनक वेतन दिया जाय लेकिन अभी उनको क्या दिया जाता है पारितोषिक । पारितोषिक का अर्थ आपलोग समझते हैं । जबकि वह 24 घंटा काम करती है और 24 घंटा काम करने वाले को पारितोषिक दिया जायेगा तो हम समझते हैं कि यह न्याय नहीं है...

उपाध्यक्ष : अब समाप्त किया जाय ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, आज एक दिन गरीबों की बात कहना है कह लेने दीजिये । तो उस पर हम मांग करते हैं और आज पूरे बिहार में गरीबों की, भूमिहीनों की जो स्थिति है एक करोड़ लोगों के पास बिहार में 1 धूर जमीन नहीं है और उनके गर्दन पर तलवार लटकी हुई है और अभी सी0ओ0 लोग जाकर के गांव-गांव उनसे कह रहे हैं कि जल्दी से अपना इंतजाम कर लो नहीं तो उजाड़ेंगे भी और उजाड़ने का किराया भी लेंगे । पूरे

गरीबों के अंदर एक आतंक मचा हुआ है । हमने इस आशय का आवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी को कल दिया...

उपाध्यक्ष : अच्छा अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री सत्यदेव राम : सकारात्मक आश्वासन है लेकिन यहां भूमि सुधार मंत्री जी बैठे हुये हैं और हम उनसे कहेंगे कि आप इस पर थोड़ा और तेजी से काम करिये और सभी बिहार के जिलाधिकारियों को खबर भेजिये कि कम से कम इस समय से एक भी भूमिहीन गरीब की झोपड़ी न टूटे । नहीं तो हाई कोर्ट के फैसले की आड़ में फैसला होता है कि एक रूम हटाना है, एक झोपड़ी तोड़ना है और ये अंचलाधिकारी, दरोगा और डी०एस०पी० जाकर के टोला का टोला साफ कर देते हैं और गरीबों को उजाड़ देते हैं । निमर्मता से उजाड़ता है इसलिये इस पर सख्ती से रोक लगनी चाहिये । मैं यह आपसे मांग करता हूं और इसी मांग के साथ कल हमारी पार्टी के सुदामा प्रसाद जी ने सवाल उठाया था कि धान नहीं बिक रहा है तो अधिकारियों की रिपोर्ट तो मंत्री जी ने पढ़ दिया था लेकिन गांव-देहात में, समाज में धान नहीं बिक रहा है । आज ही आप देखें होंगे अखबार में कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं धान बेचने के लिये । वह रिपोर्ट कहां से आ गया उसकी जांच होनी चाहिये कि ये गलत और झूठा रिपोर्ट किस अधिकारी ने दिया, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिये । यह हम आपसे मांग करते हैं और अपनी समाप्त करते हुये कहना चाहते हैं कि दरौली प्रखंड मुख्यालय पूरे तौर पर जर्जर हो गया है और वह एकदम सुदूर इलाका है कोई कर्मचारी नहीं रहता है इसलिये दरौली प्रखंड मुख्यालय को बनाने की मांग करता हूं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती रेखा देवी ।

श्रीमती रेखा देवी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज सदन में ग्रामीण विकास विभाग पर बोलने का मौका मिला है । महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं परम आदरणीय गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी को, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं युवा सम्राट् उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को जिन्होंने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया है । महोदय, महागठबंधन की सरकार बिहार में विकास की गाड़ी को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तेजस्वी जी के सहयोग से चौमुखी विकास की ओर अग्रेषित है । महोदय, यह सरकार सिंचाई, पढ़ाई, सुनवाई, दवाई और कार्रवाई वाली सरकार है । ग्रामीण विकास का उद्देश्य है गरीबी दूर करना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत गरीब मजदूरों को सौ दिन का रोजगार दिया जा रहा है । जिससे ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर खुशहाल महसूस कर रहे हैं । महोदय, भारत एक ग्राम प्रधान देश है और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है । महोदय, जब 1990 के दशक में सूबे के मुखिया

माननीय गरीबों के मसीहा परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी थे तो उस समय गरीब-गुरबा जो नीचे पायदान पर था उसका सबसे पहले उन्होंने उत्थान करने का प्रयास किया जिससे वे अपना दिनचर्या बदल सके ।

(क्रमशः)

टर्न-22/राहुल/16.12.2022

श्रीमती रेखा देवी : (क्रमशः) सूबे के मुखिया श्री लालू प्रसाद यादव जी ने गांव-गांव जाकर गरीबों के रहने के लिए घर नहीं था उनका पक्का मकान बनवाये ताकि ये काम करके आयें तो अपने घर में ठीक ढंग से रह सकें । उन्हें बोलने और बैठने का अधिकार दिये । उन्हीं के बचे हुए कार्य को आगे बढ़ाते हुए युवा सम्राट आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उन्हीं के कदमों पर चहलकदमी करते हुए गरीबों के उत्थान का जिम्मा लिये हैं । महोदय, विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जल-जीवन-हरियाली योजना के तहत गांव विकास का माध्यम बना जिससे छोटे-छोटे किसानों के हर खेत तक पानी पहुंच सके जिससे मेरा छोटा किसान भी खुशहाल बन सके । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विकसित भारत और विकसित बिहार का सपना तभी पूरा होगा जब भारत की ग्रामीण जनता का विकास होगा और ग्रामीण जनता का तभी विकास होगा जब गांव विकसित होगा । क्योंकि आज भी करीब देश की 70 फीसदी जनता गांवों में निवास करती है । बिना गांवों के विकास के विकसित बिहार विकसित देश की कल्पना करना बेमानी होगा । हमारी सरकार ग्रामीण स्तर पर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पेयजल में सुधार और उनको मजबूत करने की जरूरत है ताकि हमारे गांवों में रहने वाली आबादी को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके । उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि जो गरीब-गुरबा को पहले इंदिरा आवास की राशि 14 हजार या 16 हजार रुपये मिली थी उससे वह गरीब मकान नहीं बना पाया । वह आज आधे-अधूरे मकान में अपना जीवनयापन कर रहा है । मैं सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि जिन लोगों का मकान आधा-अधूरा है उन सभी गरीबों को फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाय ताकि वे अपना मकान बनाकर रह सकें । महोदय, साथ ही साथ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि बहुत से लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हैं, बहुत-सी पंचायतों की सूची में भी उनका नाम नहीं है । महोदय, एक बार फिर से उनका सूची में नाम जोड़ा जाय ताकि मकान से वंचित गरीबों का भी मकान का सपना पूरा हो...

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये मैडम ।

श्रीमती रेखा देवी : अंत में मैं महागठबंधन के सभी नेताओं को चरणवंदन, अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं । जय लालू, जय राबड़ी ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जीतन राम मांझी जी ।

श्री जीतन राम मांझी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ग्रामीण विकास के विषय पर बोलने के लिए मुझे अनुमति दी है और बिहार सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास का जो बजट आया है उसका मैं समर्थन करता हूँ और तहेदिल से समर्थन करता हूँ । उपाध्यक्ष महोदय, आज विकास का दौर है । यह कहना अन्याय होगा कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है । बिहार में विकास को हम लोग देख रहे हैं बहुत अच्छे से और सबसे पहली बात तो यह है कि जहाँ हमारा बजट कुछ हजार करोड़ रुपये में हुआ करता था आज लाख करोड़ रुपये में हमारा बजट चला गया है । उसी प्रकार से ग्रामीण विकास विभाग का जो बजट है स्वाभाविक है कि बिहार और देश गांवों का राज्य और देश है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश और राज्य का विकास नहीं होगा । इसलिए विकास गांव का हो, ग्रामीण विकास हो यह बहुत आवश्यक है और इस मायने में माननीय नीतीश कुमार जी ने एक अच्छे मंत्री श्रवण कुमार जी के हाथों में इसका प्रभार दिया है और बहुत सलीके से बिहार के गांव विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं । चाहे स्वयं सहायता समूह का मामला हो, जल-जीवन-हरियाली का मामला हो हर दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं । महोदय, सारी बातों को कहने में समय लगेगा, हमारा समय क्या है हमको मालूम है...

उपाध्यक्ष : दो मिनट समय है ।

श्री जीतन राम मांझी : महोदय, इसलिए हम अपने क्षेत्र की कुछ बात कहना चाहते हैं और कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं । महोदय, सुझाव यह है कि अभी हाल ही में हम गांव में थे तो प्रखंड विकास पदाधिकारी और कुछ पदाधिकारी हमारे पास आये थे । हमने उनको कहा कि आप लोग क्यों नहीं स्वास्थ्य विभाग को देखते हैं, क्यों बाल विकास परियोजना को नहीं देखते हैं, स्कूलों को क्यों नहीं देखते हैं क्या आप कर रहे हैं तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह सब देखना हमारा काम नहीं है इसके लिए कोई दूसरे पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं वही देख रहे हैं तो हम सुझाव यही देना चाहते हैं कि प्रखंड स्तर पर नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी को जो पहले नामित था नहीं नामित होने के कारण स्कूल में अच्छे काम नहीं हो रहे हैं, स्वास्थ्य केन्द्रों में हम लोग देखते हैं कि ठीक काम नहीं हो रहा है या आईसीडीएस केन्द्रों पर भी लापरवाही है तो हमारा कहना है कि लोकल पदाधिकारी वीडीओ है या सीओ है तो उसको इस सबका प्रभार देना चाहिए, नोडल प्रभार देना चाहिए कि वह भी देखें और नहीं तो ये लोग जाते हैं तो जो पदाधिकारी होता है वह इनको रजिस्टर नहीं देता चाहे हेडमास्टर, चाहे डॉक्टर हो बात नहीं करते । इसलिए हमारा अनुरोध है कि प्रखंड स्तर पर बीडीओ, सीओ को नोडल पदाधिकारी के रूप में निश्चित रूप में अनुश्रवण करने के लिए देना चाहिए ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

ताकि स्कूल में, अस्पताल में, आंगनबाड़ी योजनाओं में इन सबमें काम ठीक ढंग से हो यह सुझाव हम देना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत पुरानी बात है हमारे क्षेत्र के लिए कि एक बांके बाजार प्रखंड है गया जिले में, उसका सरकारी भवन बनने के लिए पैसा चार-पांच साल पहले गया हुआ है, अभी तक वह बन जाना चाहिए था लेकिन बांके बाजार का प्रखंड और अंचल मुख्यालय नहीं बन पाया है, बड़ी खराब स्थिति में है उसका कारण वन विभाग ने आपत्ति की है तो वन विभाग को भी शायद बिहार सरकार की 7 एकड़ जमीन दे दी गई है, ट्रांसफर की गई है उसमें मात्र 24 लाख रुपये या 22 लाख रुपये वन विभाग को देने हैं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा लेकिन 4 वर्षों से यह पैसा नहीं दिया गया है मात्र 22 लाख या 32 लाख रुपये। अगर यह पैसा चला गया होता तो आज बांके बाजार का प्रखंड और अंचल कार्यालय निश्चित रूप में बन गया होता। यह मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द और यह देखा जाय कि ग्रामीण विकास विभाग में इतने दिनों से मात्र 22 लाख रुपया रोककर के रखा गया है और बड़ी योजना जो हमारे प्रखंड मुख्यालय की है, अंचल मुख्यालय की है वह नहीं बन पाई है इसका दोषी कौन है और शीघ्र से शीघ्र उसको बनाया जाय।

(क्रमशः)

टर्न-23/मुकुल/16.12.2022

क्रमशः

श्री जीतन राम मांझी : अध्यक्ष महोदय, जब ग्रामीण विकास विभाग की बात आती है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार, हम पहले ही कह रहे थे कि मुझे बोलने का मौका कम मिलेगा, चूंकि मेरा समय कम है। महोदय, मैं चाहता हूं कि आप इसमें मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए। महोदय, इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार सभी पहाड़ी और जंगल क्षेत्र हैं और ग्रामीण विकास में देखा कि चेक डैम बनाने की व्यवस्था है और उसके लिए हमलोगों ने ग्रामीण विकास को, लघु सिंचाई विभाग को और अन्य विभागों को पत्र लिखा है जिसमें दर्जनों चेक डैम बनाने की बात कही गई है। अगर हमें कहा जायेगा तो हम उसे पुनः भेज देंगे और हम आज अनुरोध करते हैं कि हमारे इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार, बाराचट्टी और मोहनपुर ये सब ऐसी जगहें हैं जहां पर चेक डैम की बड़ी संभावनाएं हैं और चेक डैम बन जाने से वहां पानी का ठहराव होगा और उससे ग्राउंड वाटर लेवल जो है वह भी अप होगा और पशुओं, मनुष्यों को पीने के लिए बड़ी सुविधा होगी। अध्यक्ष महोदय, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। महोदय, दूसरी बात है कि जब मनरेगा की बात आती है, मनरेगा की बात अभी माननीय सदस्यों ने बोला है, सबने पुरजोर शब्दों में उसकी चर्चा की, हम भी कहना

चाहते हैं, हम देहात में रहने वाले हैं प्रायः हम देहात में ही रहते हैं । हम तो यही कहना चाहते हैं, इसको शिकायत नहीं माना जाय, इसको सुझाव माना जाय कि क्या मनरेगा का काम मजदूर के द्वारा हो रहा है, हम तो इस सदन यही सूचना देना चाहते हैं कि मनरेगा का काम मात्र 10 या 20 परसेंट मजदूरों के द्वारा हो रहा है, बाकी सब मशीनों के द्वारा हो रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय नेता, आप अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि सरकार का उत्तर भी होना है ।

श्री जीतन राम मांझी : महोदय, एक मिनट । हम तो कम बोलते ही हैं, लेकिन यह बहुत अहम विषय है कि आज हमारे मनरेगा में एक तो मजदूरी जिसकी चर्चा कर रहे थे कि 210 रुपया मिलता है, किस आधार पर 210 रुपया मजदूरी दी जाती है । जब हमलोग किसी से मजदूरी करवाते हैं तो 350 या 400 रुपया प्रति दिन देते हैं तो फिर मनरेगा से 210 रुपया क्यों मिलता है, आदमी कैसे काम करेगा, इसका मतलब यह है कि काम नहीं होता है, सब मशीनों से काम होता है । इसलिए महोदय, हम तो कहेंगे कि इसकी जांच करवाई जाय, इसमें बहुत भारी अनियमितता है कि काम मास्टर रोल वोगस बनाया जाता है और जिसका नाम रहता है, जिसका आधार कार्ड रहता है वह सब दूसरे का रहता है, वह उस योजना में काम कभी नहीं करता है, इस तरह से वहां पर यह बात होती है । महोदय, हम आपसे थोड़ा समय लेकर अपने क्षेत्र इमामगंज, डुमरिया के बारे में कहना चाहते हैं कि वहां पर जंगल विभाग के क्षेत्र ज्यादा हैं और हमारे यहां कोई भी काम चाहे चेक डैम का हो, चाहे सड़क बनाने का हो, हर चीज में जंगल विभाग कहता है कि हम आपको अनुमति नहीं देंगे, आप अनुमति लीजिए इसलिए इन्हें बनाने में बहुत दिक्कत होती है । महोदय, हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आदेश हो ग्रामीण विकास विभाग को या कंसर्न्ड विभाग को कि जब वे एस्टीमेट बनाते हैं तो उसके पहले ही जंगल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लें तो हम समझते हैं कि योजना पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और एक बात कहकर हम अंतिम बात कहेंगे, इसी में हमलोगों का एक-दो योजना लंबित है, कम-से-कम तीन-चार ऐसी योजना लंबित है कि जंगल विभाग के द्वारा खासकर के आपत्ति व्यक्त किया है जिसके चलते हमारे यहां सड़कें या पुल नहीं बन पा रही हैं और ग्रामीण विकास विभाग का जहां तक सवाल है तो महोदय, हम कहना चाहते हैं कि सोचना चाहिए कि आखिर हमारे मजदूर का पलायन क्यों हो रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार का भी उत्तर होना है इसलिए आप अपनी बात को समाप्त कीजिए ।

श्री जीतन राम मांझी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । आज उत्तर बिहार में चले जाइये या दक्षिण बिहार के रेलवे को देखिये, मजदूरों से भरा हुआ ट्रेन जाता है और आता है, हर जगह हमारा मजदूर वहां काम करता है इसलिए चूंकि यहां पर कम मजदूरी मिलती है या

मजदूरी मिलती ही नहीं है, इसलिए इतना विकास ग्रामीण विकास का होने के बावजूद भी इतना मानव दिवस सृजन करने के बावजूद भी मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती है और लोग बाहर जाते हैं और पलायन करते हैं ।

अध्यक्ष : आप बहुत पुराने सदस्य हैं, समय का ख्याल रखें ।

श्री जीतन राम मांझी : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात हो गयी है । इसलिए हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे मजदूरों का पलायन न हो, चूंकि जब नीतीश कुमार जी शुरू-शुरू आये थे तो पहले यही कहे थे कि हम बिहार से मजदूरों का पलायन रोकेंगे लेकिन आज मजदूरों का पलायन नहीं रुका है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और मजदूरों को उचित मजदूरी मिलेगी, काम मिलेगा तो उनका पलायन नहीं होगा । यही कहकर हम ग्रामीण विकास विभाग का जो बजट है उसका समर्थन करते हैं, धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सरकार का उत्तर होना है और मात्र जो दो सदस्य हैं उनसे मैं चाहूंगा कि आप मुख्य जो बातें हैं एक-एक मिनट में रखने का काम करेंगे ताकि सरकार को बोलने का कुछ ज्यादा समय मिल सके । माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार, सी0पी0आई0एम0, आपके पास 1 मिनट का समय है ।

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास 1 मिनट का समय है, मैं बहुत ही कम बात रखकर के और खासकर के, पहली बात तो यह है कि मैं समर्थन में खड़ा हूं और दूसरी बात यह है कि विपक्ष चला गया है लेकिन उनके लिए भी मुझे कहना था कि उन्हें भागकर के नहीं जाना चाहिए, 15 साल तो उन्होंने राज चलाया है, एक दिन में आज यह स्थिति नहीं हुई है और जब सुधारने की बात हुई है तो वे छोड़कर भाग गये हैं । खासकर के ग्रामीण विकास विभाग के मार्फत जो दो-तीन काम हैं, जो गांव की जनता से जुड़ा हुआ सवाल है उसमें मनरेगा है और मनरेगा के बारे में हमारे कई साथियों ने चर्चा में अपनी बात को रखा है और सरकार से मांग की है, हम भी मांग करना चाहते हैं कि 210 रुपया किस आधार पर सरकार ने मजदूरी रखी हुई है । केरल की सरकार ने जब एक दिन की मजदूर की दैनिक मजदूरी 650 रुपया तय की हुई है और केरल जहां मनरेगा में भी ज्यादा मजदूरी दे रहा है तो क्या बिहार की सरकार अपने मजदूरों की बेहतर जिंदगी के लिए मजदूरी को कुछ और बढ़ाने का प्रयास या कोई विचार रखती है कि नहीं, रखना चाहिए । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मनरेगा को अगर ठीक से संचालित करना है तो कुछ जो आप प्रस्ताव पारित किये हैं, जो मैं सुन रहा था कि सरकार ने, एक साथी बोल रहे थे कि कृषि से मनरेगा को जोड़ना सबसे ज्यादा लाजिमी है । अगर कृषि से मनरेगा को जोड़ दीजिए तो इससे किसानों को भी फायदा होगा, मजदूर को भी काम मिलेगा और इससे राज्य का विकास भी होगा । दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि मनरेगा से सिर्फ मिट्टी तक ही क्यों, पोखर, तालाब उसमें तो ज्यादा

गड़बड़ी हो रही है। अभी तुरन्त हमारे पीछे एक साथी/बंधु बोल रहे थे कि स्कूल के जो बाउन्ड्री वॉल है उसको क्या मनरेगा से हम नहीं करवा सकते हैं, अगर करवा सकते हैं तो इससे जोड़ने की जरूरत है। मेरा दूसरा प्वाइंट है, मैं सीधे प्वाइंट की बात कह रहा हूँ कि ग्रामीण विकास विभाग से आपने लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आये हुए हैं कि वास के लिए गरीबों को जमीन खरीदने के लिए 60 हजार रुपया, 60 हजार रुपये में कहीं वास के लिए बिहार में जमीन मिलती है क्या। मैं समझता हूँ कि 60 हजार रुपया में कहीं घर बनाने के लिए जमीन नहीं मिलती है इसलिए इसमें इसकी राशि को बढ़ाने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए, मैं सुझाव दे रहा हूँ, मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ कि सरकार इस पर जरूर विमर्श करे। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि आवास योजना जो है, आवास योजना को थोड़ा सरल बनाना चाहिए, चूँकि उसमें पोर्टल और कई चीजें हैं, जैसे किसी को पेमेंट होना है, अगर सिर्फ उसका खाता का एक नम्बर अगर मिस्टेक से गलत चला गया तो उसको कई साल तक आवास योजना का पैसा का पेमेंट नहीं होता है और वह होना है पटना से। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर आप जरूर कुछ विमर्श करेंगे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सेकंड कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि अभी प्रखंड कार्यालय की चर्चा है कुछ बना है, कुछ बनना बाकी है। मंत्री जी भी यहां पर बैठे हुए हैं विभूतिपुर, उजियारपुर और दलसिंहसराय का प्रखंड मुख्यालय जर्जर हो चुका है, अगर इसको बना दिया जाय। सब जगह तो बनाना ही है अगर इसको प्राथमिकता में रखकर बना दीजिए, मैं यही कहते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

टर्न-24/यानपति/16.12.2022

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री सूर्यकान्त पासवान, सी0पी0आई0, एक मिनट।

श्री सूर्यकान्त पासवान: अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के पक्ष में हूँ, हमारा देश गांवों का देश है, अध्यक्ष महोदय, खासकर के हमारे राज्य बिहार में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है इन ग्रामीण जनसंख्या के विकास के बिना राज्य और देश का विकास संभव नहीं है महोदय। मनरेगा की चर्चा बहुत जोरों से हो चुकी है, जितने भी हमारे माननीय सदस्य इसपर विचार किए हैं मैं इनके समर्थन में हूँ। हमारी सरकार ने हर घर नल-जल योजना जो चलाई है कभी हमलोग यह कल्पना नहीं करते थे कि गांव के लोगों को स्वच्छ जल पीने को मिलेगा लेकिन यह सरकार गांव के गरीब से गरीब इलाके में हर कस्बे, मुहल्ले में स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया है, हम अपने विधान सभा की जनता की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं और महोदय वर्तमान सरकार ने गांवों में 10+2 विद्यालय का

निर्माण किया जिससे हमारे गरीब-गुरबा के बच्चे घर बैठे ही 10+2 विद्यालय के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। महोदय, लोहिया स्वच्छता योजना के तहत आज गांव के अंदर शौचालय बन गया। महोदय, गरीब-गुरबा की महिलाएं जो खेत-खलिहान में जाया करती थीं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। आज हमारे राज्य के अंदर वह बंद हो गया है। महोदय, मैं कुछ बातों की ओर खासकर के ग्रामीण कार्य विभाग की ओर इशारा करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री सूर्यकान्त पासवान: महोदय, एक मिनट, हमारे विधान सभा के अंदर बखरी प्रखंड में ब्लॉक की जर्जर स्थिति है जो भी चार ब्लॉक हमारे यहां हैं वह ब्लॉक जर्जर स्थिति में हैं। महोदय, जल-जीवन-हरियाली योजना के तहत जो पोखर पर हमारे गरीब-गुरबा बसे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पहले उनको बसावट मिले उसके बाद हटाया जाय। महोदय, बहुत बड़ी आबादी हमारे क्षेत्र के अंदर शेष भूमि पर लोग बसे हुए हैं, हकबंदी से फाजिल जमीन पर बसे हुए हैं, हमारे जिला के अंदर। महोदय, मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि उनलोगों को बासगीत का पर्चा हो या जमीन का पट्टा हो तभी उनलोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिलेगा। मैं इतनी ही बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

अध्यक्ष: श्री अखतरूल ईमान।

श्री अखतरूल ईमान: अध्यक्ष महोदय, द्वितीय अनुपूरक बजट की हिमायत के लिए खड़ा हुआ हूँ। सरकार ने इन्साफ के साथ तरक्की का दावा किया है। बजट का पैसा अवाम के खून और पसीने की कमाई है। बिहार की तरक्की से इनकार नहीं किया जा सकता है फ्लाईओवर, मरीन ड्राइव, ग्लास ब्रीज, हेलीपैड हॉस्पिटल, रबर डैम ये सारे बन रहे हैं लेकिन इन्साफ के साथ तरक्की के दावे में कमी है। मैं इन्साफ की तरफ सरकार को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। सीमांचल के पिछड़ेपन की वजह सैलाब है, नदियों का कटाव है रसीली और खाड़ी ब्रीज 9 साल से पड़ा हुआ है और 40 कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ती है उसपर जरा तवज्जो दी जाय। महानंदा में कुट्टी, बंकरदुआरी छतरगाछ में पुल की जरूरत है ध्यान दिया जाय। कनके के सिमलबारी और विषंभरा में, खरखरी में, परवान के बलुआघाट में और 72 पुलों का यहां पर एस्टिमेट आया हुआ है जो सैलाब में कट गया उसकी स्वीकृति प्रदान की जाय। महानंदा बेसिन के ताल्लुक से जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, हमारे लिए कटाव सबसे बड़ा मसला है, हमको सैलाब से बचाने की कोशिश की जा रही है उसपर पुनर्विचार किया जाय। कटाव से विस्थापित लोग अभी भी सड़कों पर हैं उनको मुआवजा देकर बसाया जाय। तालिमी मरकज का फैसला जुलाई 2022 में आया है और हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उनपर विचार किया जाय।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप समाप्त कीजिए ।

श्री अखतरूल ईमान: महोदय, मैं प्वाइंट पर बात कर रहा हूँ । मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की बहाली कराई जाय, मदरसे बंद हो रहे हैं 2449 में 123 की इन्क्वायरी हो गई है...

अध्यक्ष: सरकार का उत्तर भी है ।

श्री अखतरूल ईमान: महोदय, सबसे कम समय मैं ही ले रहा हूँ । मेरे खून से तो मजलिस में बहार आई है, कुछ तो रहम कीजिए हुजूर । कोचिंग पर जी0एस0टी0 से मुक्त कराया जाय । उर्दू के टी0ई0टी0, उर्दू मशावरती कमेटी, उर्दू लॉइब्रेरी, उर्दू एकेडमी, 80 हजार उर्दू टीचरों की जगह, हाईस्कूलों में उर्दू टीचरों की बहाली को यकीनी बनाया जाय । पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया जाय, इलेक्ट्रिक बॉलन में हमारे क्षेत्र में सर, क्षेत्र की समस्या कह रहा हूँ सर...

अध्यक्ष: नहीं-नहीं । आप अपने क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं । सरकार के उत्तर का समय है इसलिए अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री अखतरूल ईमान: एक अंतिम बात सर । दरभंगा में जाउर रहमान का मर्डर 08.12.2022 को हुआ और गोपालगंज में जावेद मुस्तफा का मर्डर 23.09.2022 को हुआ है उसपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है इसलिए इसपर मैं सरकार का ध्यान दिला रहा हूँ ।

अध्यक्ष: आज ग्रामीण विकास का विषय है ।

श्री अखतरूल ईमान: सर, हमको मौका नहीं मिला इसलिए मैंने फरियाद रख दी ।

अध्यक्ष: बहुत अच्छा । माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, नेता विरोधी दल सहित 11 माननीय सदस्यों ने ग्रामीण विकास विभाग के द्वितीय अनुपूरक विषय पर अपनी बात को रखा है लेकिन माननीय नेता विरोधी दल नहीं हैं और न उनके सदस्य हैं महोदय । आपने आसन से कई बार इशारा भी किया माननीय नेता विरोधी दल को लेकिन आपकी भी बातों को उन्होंने ठीक से या तो सुना नहीं या समझा नहीं लेकिन आपकी बातों को नजरअंदाज करके वायुमंडल में अपनी बात को घुमाते रहे महोदय । ऐसा लगा कि ब्रह्माण्ड के विरोधी दल के नेता हैं, बिहार विधान सभा के विरोधी दल के नेता नहीं हैं । सिर्फ शराब की चर्चा उन्होंने की, करनी चाहिए लेकिन जिस विषय को आज निर्धारित किया है आपके माध्यम से सरकार ने, उस विषय पर उनको चर्चा करनी चाहिए । ग्रामीण विकास की जानकारी उनको मैं समझता हूँ कि नहीं है इसलिए वायुमंडल में शराब की चर्चा करते रहे महोदय । जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं महोदय उन राज्यों में शराब से कितने लोग मर रहे हैं उसकी चर्चा भी उनको करनी चाहिए । जहां बंदिश नहीं है वहां पर भी मर रहे हैं

महोदय । यह आंकड़े जो लोकसभा में 19 जुलाई 2022 को जारी किए गए हैं यह 16 से 20 तक जहरीली शराब एवं नकली शराब पीने से मध्य प्रदेश में 1214 लोगों की मौत हुई है । कर्नाटक में उनकी सरकार है 909 लोग मरे हैं, आसाम में उनकी सरकार है 105 लोग मरे हैं, गुजरात में 50 लोग मरे हैं, हरियाणा में 76 लोग मरे हैं और हिमाचल में 210 लोग मरे हैं और उत्तर प्रदेश में 291 लोग मरे हैं । तो इस प्रकार से मौतें हो रही हैं लेकिन उसकी चर्चा उनको करनी चाहिए व्यापक बिहार के हित में और बिहार में कितने 21 लोगों की मौत हुई है और उसपर ये नेता विरोधी दल पूरी बात को, ग्रामीण विकास की चर्चा को ले जाना चाहते हैं, ये शराब पर चर्चा ले जाना चाहते हैं । हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी शराब के बारे में विस्तार से सदन में चर्चा की है, मैं उसपर नहीं जाना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बिहार को लक्ष्य उन्होंने 15 करोड़ दिया, हमने जब पूरा कर लिया, फिर हमने 12 करोड़ का लक्ष्य मांगा, मात्र उन्होंने ढाई करोड़ का लक्ष्य दिया और ढाई करोड़ भी पूरा कर लिया हमने और अभी दो दिन पहले हमें लक्ष्य प्राप्त हुआ है महोदय । अब बिहार का लक्ष्य 25 करोड़ उन्होंने किया है । अगर यही लक्ष्य 25 करोड़ पहले कर दिए होते तो एक महीने के अंदर हमारे जो श्रमिक हैं जिनको हम काम देते बिहार में, जिनको राज्य से बाहर नहीं जाने देते, रोक देते, वह भारत सरकार ने हमें नहीं करने दिया और हमारे जो श्रमिक हैं उनको बाहर जाने पर यह मजबूर करते हैं महोदय । 136 दिन समय पर मजदूरी का भुगतान भारत सरकार ने नहीं किया, यह भारत सरकार क्या करना चाहती है और यह सवाल रोजगार का उठाते हैं । यह कहते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, आप तो रोजगार छीनने वाले लोग हैं अगर आप रोजगार देते तो जो गांव के हमारे मजदूर हैं जिसकी चर्चा हमारे सत्यदेव जी ने, आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने, सूर्यकान्त जी ने और माननीय सदस्यों ने जिसकी चर्चा की है महोदय तो जो गांव के गरीब हैं, जो दो जून की रोटी के लिए जो मजदूरी करते हैं जब उनके लिए आप पैसा नहीं जुटा सकते हैं तो आप जो हमारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, जो बड़ी नौकरियों में जाना चाहते हैं उनके लिए पैसा आप कहां से दे सकते हैं । तो यह हालत करके रखा है महोदय और जितना दिन हमको मानव दिवस सृजन का लक्ष्य उन्होंने नहीं निर्धारित किया । 1 करोड़ 45 हजार 589 मानव दिवस हमने सृजन किया ।

(क्रमशः)

टर्न-25/अंजली/16.12.2022

श्री श्रवण कुमार, मंत्री (क्रमशः) : हमने सृजन किया और पैसे के अभाव में उनको समय पर हमने मजदूरी नहीं दिया है, यह हालत भारत सरकार ने रखी है । महोदय, ठीक ही कहा है

माननीय सदस्यों ने कि श्रमिकों की मजदूरी बढ़नी चाहिए । इस बार सरकार दिल्ली में बनी थी और गिरिराज बाबू, ग्रामीण विकास विभाग मंत्री बने तो हमको लगा कि इस बार बिहार के लोगों के बारे में जरूर सोचेंगे तो लंबा लंबा उनका भाषण चलता है करने को कुछ तैयार नहीं हैं । हमने कहा कि बिहार में जो हमारे श्रमिक हैं उनको कम से कम साढ़े 300 रुपया मजदूरी मनरेगा में मिलनी चाहिए तब वे काम करेंगे तो 210 रुपया मजदूरी देने का काम भारत सरकार करती है । मजदूरी बढ़ाने के लिए भी हम कई बार अनुरोध किए हैं, पत्र भी लिखा है, जाकर भी कहा है लेकिन आज तक उस पर उनका कोई ध्यान नहीं गया है । ठीक ही कहा माननीय सदस्य ने कि हमारे गांव के जो किसान हैं, हमारी खेती घाटे की हो रही है, हमारे किसान खेती नहीं करना चाहते हैं । 50 प्रतिशत जो उसमें श्रम लगता है 100 प्रतिशत में 50 प्रतिशत श्रम मनरेगा के मजदूरी से भुगतान किया जाना चाहिए ताकि हमारी खेती फायदे की हो, हमारे किसान खेती में रुचि लें और वे आगे बढ़ें इसके लिए भी हमने प्रस्ताव दिया है, पत्र भी लिखा है और भारत सरकार में जाकर माननीय मंत्री से मिला है लेकिन उनको कुछ इस संदर्भ में नहीं सोचना है । बिहार के मंत्री जरूर हैं, बिहार की चिंता उनको कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आना है बिहार और अखबार में लंबा-लंबा भाषण देना है, लंबा-लंबा बयान, या तो आए या न आए दिल्ली से ही छप जाता है तो उनका काम इसी पर निकल जाता है, ये काम भारत सरकार कर रही है और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, सदन के सभी माननीय सदस्यों कि हमारा जो मेटेरियल का जो पैसा है वह भी बकाया है, अब बताइए हम दो साल से, एक साल से काम कर के बैठे हुए हैं, मजदूरी भी नहीं मिल रहा है समय पर और मेटेरियल का भी पैसा नहीं मिल रहा है समय पर, तो इस प्रकार का काम ये हमारे साथ हो रहा है । 1100 करोड़ मेटेरियल का बकाया है तो आप सोच लीजिए कि इस राज्य में डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, विकास कैसे हो सकता है, इनके बलबूते बिहार का विकास नहीं हो सकता है, हमारा जो नेतृत्व है, हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हमारी जो सरकार है इनकी सोच से बिहार की तरक्की हो सकती है, बिहार का विकास हो सकता है और गरीबों का भला हो सकता है । यह पैसा हमको कितना देते हैं, हमको 75 प्रतिशत देते हैं, 25 परसेंट मनरेगा में हमको लगाना पड़ता है और नाम है केंद्र प्रायोजित योजना, हम तो अनुरोध करना चाहेंगे सदन से कि इसका नाम केंद्र प्रायोजित-सह-राज्य प्रायोजित योजना होना चाहिए, जब हम राज्य के पैसे को ही निवेश कर रहे हैं । इसी प्रकार से हमें राज्य में आगे बढ़ने के लिए, हमें जितना सहयोग इनको करना चाहिए ये करते नहीं हैं तो आप सोच लीजिए कि जो गरीब का नाम सिर्फ लेते हैं, अभी बोल रहे थे नेता विरोधी दल कि गरीब के बारे में, गरीब के बारे में, सिर्फ नाम लेने से तो गरीब नहीं चल सकता है, गरीब के लिए कुछ सोचिए, आप में हिम्मत है, आप

गरीब के बारे में कुछ करना चाहते हैं तो आप दिल्ली जाइए और दिल्ली जाकर देश के प्रधानमंत्री से मिलिए, देश के ग्रामीण विकास मंत्री से मिलिए और कहिए कि जब आप मनरेगा में भेदभाव कर रहे हैं तो कौन ऐसा डिपार्टमेंट है बिहार में जिसके साथ आपका भेदभाव नहीं हो रहा है यह बात आपसे कहना चाहते हैं । महोदय, मनरेगा योजना से जो हमने काम किया है 1 लाख 10 हजार से ज्यादा हमने पशु शेड का निर्माण किया है, हम तो गरीब के लिए काम रहे हैं और गरीब के लिए पैसे नहीं देते हैं । मनरेगा का ये जो पशु शेड का पैसा है यह भी बकाया है । मुर्गी पालनकर्ता कौन आदमी है कोई बड़ा आदमी कर रहा है क्या ? गरीब आदमी कर रहा है उसके लिए शेड बनाते हैं । 3 हजार से ज्यादा हमलोगों ने शेड बनाया है उसके पैसे बकाया हैं । बकरी के लिए हमने शेड बनाया 17 हजार उसके पैसे बकाया हैं, सूअर के लिए शेड बनाया, 131 सूअर का शेड बनाया उसके लिए भी, सूअर पालन का काम कौन करता है जो हमारा दलित परिवार है, जो हमारा महादलित परिवार है जब उसके बकाये का पैसा आपको देने का साहस नहीं है तो यहां जो दंभ भरते हैं आप नेता विरोधी दल का और कहते हैं कि दिल्ली में हमारी सरकार है, ऐसी सरकार पर लानत है जो गरीबों की भलाई नहीं करती है ।

हमारे आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने चेकडैम की चर्चा की । चेकडैम भी हमलोग बना रहे हैं । माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो सुझाव दिया है उस पर बिल्कुल अमल करेंगे, एक-एक चेकडैम का निर्माण, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का करेंगे । हम पौधा रोपण का भी काम कर रहे हैं, पौधा रोपण की चर्चा भी साथियों ने किया । बिहार में 5 करोड़ 67 लाख पौधा हम लगा चुके हैं महोदय । इसके अलावे खेल मैदान का निर्माण कर रहे हैं जिसकी चर्चा कई माननीय सदस्यों ने की । 154 खेल मैदान बनाया है । 42 हजार 618 हमने तालाब का निर्माण कराया है, 100 फीट का भी हमने निर्माण कराया है, 1 लाख 2 हजार से ज्यादा । अध्यक्ष महोदय, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ऊपर वर्णित तथ्यों के कारण जो काम किया जा रहा है लेकिन केंद्र सरकार का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है इस कारण लक्ष्य की प्राप्ति में हमें कठिनाई हो रही है । जैसा कि मैंने पहले बताया कि बिहार के श्रम बजट को बढ़ाने में लगातार अनुरोध के बाद ही दो दिन पहले बढ़ा है महोदय यह कहना चाहते हैं । इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना है, हमने सिर्फ केंद्र सरकार के बलबूते नहीं है, बिहार पहला राज्य है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने गरीबों की चिंता की है । हमारा जो घर बनता है दो साल में उसका डेंटिंग-पेंटिंग करते हैं उसके बारे में कौन सोचा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने सोचा । कहा सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों का भला नहीं हो सकता है बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना चालू किया । बिहार के गरीबों के लिए जो 1 जनवरी, 1996 से पहले जिनके मकान बने थे और उनके मकान ध्वस्त हो

गए हैं, गिर गए हैं, रहने के लायक नहीं हैं उनको राज्य के खजाने से 1 लाख 20 हजार रुपया देने का फैसला बिहार ने किया। ऐसी योजना बिहार के बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है। दूसरी योजना भी एक और शुरू की गई है 1 अप्रैल, 2010 से पहले जिसके आवास की स्वीकृति मिली उसके आवास आधे-अधूरे रह गए, उन गरीबों के लिए भी राज्य के खजाने से 50 हजार रुपया देने का इंतजाम किया गया, ऐसी योजना बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है और तीसरी योजना की जो चर्चा हमारे अजय बाबू ने किया कि उनको 60 हजार में जमीन नहीं होता है तो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि अगर उस गांव में जमीन है सरकारी तो पहले उनको सरकारी जमीन देते हैं और जहां जमीन नहीं उपलब्ध है वहां के लिए ये योजना हम चला रहे हैं, ये भी बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में नहीं है यह महत्वपूर्ण योजना हम बिहार में चलाते हैं। इसी प्रकार से हमारे बिहार के महागठबंधन की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सिर्फ गरीबों की बात नहीं करते बल्कि गरीबों की चिंता करते हैं और गरीबों को कैसे सहायता हो उसके लिए योजना बनाकर राज्य के गरीबों को मदद पहुंचाने का काम करते हैं। महोदय, इस प्रकार से हमने योजनाओं का कार्यान्वयन किया है।

महोदय, जीविका हमारी जो योजना है, जीविका के माध्यम से जो हमारे मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और मुख्यमंत्री जी बराबर इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, बराबर ध्यान देते हैं और जीविका की दीदीओं के द्वारा जो काम किया गया है उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। आज बिहार राज्य में 10 लाख 42 हजार से ज्यादा सहायता समूह बन गया है और इसके अलावे 9 लाख 67 हजार 146 खाता खोले गए हैं, 25 हजार 990 करोड़ 65 लाख राशि ऋण भी इनको मुहैया कराया गया है। महोदय, पशुपालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं 12 लाख 57 हजार से ज्यादा लोग, 2 लाख 21 हजार से अधिक जीविका के परिवार कृषि से जुड़े हुए हैं, डेयरी से जुड़े हुए हैं 1 लाख 12 हजार, मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं 1 लाख 87 हजार, बकरी पालन से 2 लाख 76 हजार, मछली पालन से 430 परिवार और मधुमक्खी पालन से 299 परिवार जुड़े हुए हैं तो इस प्रकार का काम हम कर रहे हैं। गांव में जो हमारी दीदीयां हैं जो साधारण पढ़ी-लिखी हैं, घरेलू काम कर रही हैं और घर का काम करते हुए अपना जीविकोपार्जन भी कर रही हैं, परिवार को भी चला रही हैं, आज महाजन के सामने उसको हाथ पसारने की जरूरत नहीं है ये काम किया है और ये काम बिहार की सरकार ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जीविका का शुरुआत किया तो भारत सरकार में जो लोग बैठे हैं उसका नामांकरण थोड़ा सा चेंज करके डेंटिंग-पेंटिंग करके आजीविका नाम रख दिया। नाम रखने से नहीं होता है सोच होनी चाहिए, उसके अंदर गरीबों के प्रति काम करने के लिए उसके पास क्षमता होनी चाहिए, हृदय होनी चाहिए वह है नहीं

लेकिन डेंटिंग-पेंटिंग से काम चला रहे हैं । अभी ये शराब की चर्चा कर रहे थे जीविका की दीदीओं के माध्यम से जो हमने काम किया सिर्फ उसको बताना चाहते हैं, 1 लाख 47 हजार लोगों को हमने चिन्हित किया है, जो ताड़ी और शराब बेचकर जो अपनी जीविकोपार्जन करते थे । (क्रमशः)

टर्न-26/सत्येन्द्र/16-12-2022

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: (क्रमशः) और उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है । मुख्य धारा में उनको जोड़ रहे हैं और जोड़ने के लिए पहले से जो वे रोजगार कर रहे थे उस रोजगार को छोड़कर के वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि जो परिवार अपनी रोजगार को छोड़कर वैकल्पिक रोजगार करेंगे एक रू0 से लेकर उनको एक लाख रू0 देंगे । जरूरत पड़ेगी तो और भी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है । एक लाख सैंतालिस हजार दौ सौ सतहत्तर निर्धन परिवार को एक लाख तीस हजार उनचालीस परिवार को सत्त जीविकोपार्जन योजना अन्तर्गत अन्तराल राशि दी गयी है महोदय, 1 लाख 32 हजार परिवार को परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण भी किया गया है । इन परिवारों में जिन्हें आर्थिक सहायता दी गयी, ताड़ी का उत्पादन बिक्री से जुड़े 30 हजार 619 परिवार हैं तो देशी शराब से उत्पादन एवं बिक्री से जुड़े 10 हजार 247 परिवार हैं, तो इस प्रकार से महोदय राज्य की उन्नति के लिए, राज्य की प्रगति के लिए और हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री ने जो कमिटमेंट किया है जो वादा किया है बिहार की जनता से एक एक कर के उस कमिटमेंट को हम पूरा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो हमारे सामने चुनौतियां होंगी महोदय, एक एक कर के उसको हम पूरा करेंगे । इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ और आज विपक्ष के लोग तो हैं नहीं लेकिन मैं सदन से अनुरोध करना चाहूंगा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी के माध्यम से हम सदन के समक्ष विभिन्न कार्यक्रमों यथा आवास योजना, ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम एवं अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु कुल 1895 करोड़ 05 लाख, 29 हजार रू0 की स्वीकृति के लिए उपस्थित हुए हैं इसलिए मेरा आग्रह है सदन से कि इस पर अपनी सहमति प्रदान की जाय और जो हमारा भाषण का जो पार्ट है महोदय, उसको प्रोसिडिंग का पार्ट बनाया जाय । बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया ।

अध्यक्ष: प्रोसीडिंग का पार्ट बनेगा ।

(माननीय मंत्री का भाषण -परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कटौती प्रस्ताव मूव नहीं हुआ है इसलिए मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ:

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 के उपबंध के अतिरिक्त 1895,05,29,000/- (एक हजार आठ सौ पंचानवे करोड़ पांच लाख उनतीस हजार) रू० से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।”

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांगें गिलोटिन के माध्यम से ली जायेंगी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, ये जो वित्तीय कार्य है, उसकी समाप्ति होने तक सदन की कार्यवाही विस्तारित की जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अध्यक्ष: विस्तारित की गयी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

“द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान एवं नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या संख्या-2) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त

मांग संख्या-01 कृषि विभाग के संबंध में 342,81,60,000/-

(तीन सौ बयालीस करोड़ इक्यासी लाख साठ हजार) रुपये,

मांग संख्या-02 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 106,96,91,000/-

(एक सौ छः करोड़ छियान्वे लाख इक्यानवे हजार) रुपये,

मांग संख्या-03 भवन निर्माण विभाग के संबंध में 1105,65,86,000/-

(एक हजार एक सौ पांच करोड़ पैंसठ लाख छियासी हजार) रुपये,

मांग संख्या-04 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 102,68,80,000/-

(एक सौ दो करोड़ अड़सठ लाख अस्सी हजार) रुपये,

मांग संख्या-06 निर्वाचन विभाग के संबंध में 28,00,000/- (अट्ठाईस लाख) रुपये,

- मांग संख्या-07 निगरानी विभाग के संबंध में 1,28,00,000/-
(एक करोड़ अट्ठाईस लाख) रुपये,
- मांग संख्या-08 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के संबंध में 76,00,000/-
(छिहत्तर लाख) रुपये,
- मांग संख्या-09 सहकारिता विभाग के संबंध में 63,00,77,000/-
(तिरेसठ करोड़ सतहत्तर हजार) रुपये,
- मांग संख्या-10 ऊर्जा विभाग के संबंध में 1390,81,62,000/-
(एक हजार तीन सौ नब्बे करोड़ इक्यासी लाख बासठ हजार) रुपये,
- मांग संख्या-11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में
21,04,000/- (इक्कीस लाख चार हजार) रुपये,
- मांग संख्या-12 वित्त विभाग के संबंध में 400,47,01,000/-
(चार सौ करोड़ सैंतालीस लाख एक हजार) रुपये,
- मांग संख्या-15 पेंशन के संबंध में 1136,00,00,000/-
(एक हजार एक सौ छत्तीस करोड़) रुपये,
- मांग संख्या-16 पंचायती राज विभाग के संबंध में 107,22,00,000/-
(एक सौ सात करोड़ बाईस लाख) रुपये,
- मांग संख्या-17 वाणिज्य कर विभाग के संबंध में 1,50,01,000/-
(एक करोड़ पचास लाख एक हजार) रुपये,
- मांग संख्या-18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 22,93,03,000/-
(बाईस करोड़ तिरानवे लाख तीन हजार) रुपये,
- मांग संख्या-19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में
82,67,74,000/- (बयासी करोड़ सड़सठ लाख चौहत्तर हजार) रुपये,
- मांग संख्या-20 स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 1818,39,48,000/-
(एक हजार आठ सौ अठ्ठारह करोड़ उनतालीस लाख अड़तालीस हजार) रुपये,
- मांग संख्या-21 शिक्षा विभाग के संबंध में 2247,24,92,000/-
(दो हजार दो सौ सैंतालीस करोड़ चौबीस लाख बानवे हजार) रुपये,
- मांग संख्या-22 गृह विभाग के संबंध में 38,25,94,000/-
(अड़तीस करोड़ पच्चीस लाख चौरानवे हजार) रुपये,
- मांग संख्या-23 उद्योग विभाग के संबंध में 1696,67,69,000/-
(एक हजार छः सौ छियान्वे करोड़ सड़सठ लाख उनहत्तर हजार) रुपये,
- मांग संख्या-25 सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 77,50,25,000/-
(सतहत्तर करोड़ पचास लाख पच्चीस हजार) रुपये,

- मांग संख्या-26 श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 14,33,26,000/-
(चौदह करोड़ तैंतीस लाख छब्बीस हजार) रुपये,
- मांग संख्या-27 विधि विभाग के संबंध में 54,28,83,000/-
(चौवन करोड़ अठ्ठाईस लाख तिरासी हजार) रुपये,
- मांग संख्या-29 खान एवं भूतत्व विभाग के संबंध में 7,18,00,000/-
(सात करोड़ अठ्ठारह लाख) रुपये,
- मांग संख्या-30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 27,28,000/-
(सत्ताईस लाख अठ्ठाईस हजार) रुपये
- मांग संख्या-32 विधान मंडल के संबंध में 75,00,000/- (पचहत्तर लाख) रुपये,
- मांग संख्या-33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 40,27,69,000/-
(चालीस करोड़ सत्ताईस लाख उनहत्तर हजार) रुपये,
- मांग संख्या-35 योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 2,00,00,000/-
(दो करोड़) रुपये,
- मांग संख्या-36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 1,000/-
(एक हजार) रुपये,
- मांग संख्या-37 ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 1280,00,00,000/-
(एक हजार दो सौ अस्सी करोड़) रुपये,
- मांग संख्या-38 मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 102,03,01,000/-
(एक सौ दो करोड़ तीन लाख एक हजार) रुपये,
- मांग संख्या-39 आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 730,00,01,000/-
(सात सौ तीस करोड़ एक हजार) रुपये,
- मांग संख्या-40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 66,08,67,000/-
(छियासठ करोड़ आठ लाख सड़सठ हजार) रुपये,
- मांग संख्या-41 पथ निर्माण विभाग के संबंध में 1860,00,01,000/-
(एक हजार आठ सौ साठ करोड़ एक हजार) रुपये,
- मांग संख्या-43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 58,03,07,000/-
(अठ्ठावन करोड़ तीन लाख सात हजार) रुपये,
- मांग संख्या-44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 40,00,00,000/- (चालीस करोड़) रुपये,
- मांग संख्या-45 गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 13,00,000/- (तेरह लाख) रुपये,
- मांग संख्या-46 पर्यटन विभाग के संबंध में 30,15,48,000/-
(तीस करोड़ पन्द्रह लाख अड़तालीस हजार) रुपये,

मांग संख्या-47 परिवहन विभाग के संबंध में 50,00,01,000/-

(पचास करोड़ एक हजार) रुपये,

मांग संख्या-48 नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 1000,08,00,000/-

(एक हजार करोड़ आठ लाख) रुपये,

मांग संख्या-49 जल संसाधन विभाग 162,15,72,000/-

(एक सौ बासठ करोड़ पन्द्रह लाख बहत्तर हजार) रुपये,

मांग संख्या-50 लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 203,28,82,000/-

(दो सौ तीन करोड़ अठ्ठाईस लाख बयासी हजार) रुपये,

मांग संख्या-51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 688,32,87,000/-

(छः सौ अठ्ठासी करोड़ बत्तीस लाख सत्तासी हजार) रुपये,

से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।”

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगें स्वीकृत हुईं ।

टर्न-27/मधुप/16.12.2022

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

राजकीय (वित्तीय) विधेयक

“बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2022”

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“ बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।”

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“नाम इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“ बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।”

महोदय, आसन को भी स्मरण होगा और सदन के सारे माननीय सदस्यों को कि इस सत्र के प्रारम्भ के दिन यानी 13 तारीख को ही हमने द्वितीय अनुपूरक माँग पेश किया था जिसके क्रम में आज उसे नियमानुसार ग्रामीण विकास विभाग पर विमर्श करते हुए उसकी माँग की स्वीकृति तो दी ही गयी है, साथ-ही आपने बाकी अन्य विभागों से संबंधित हमने जो द्वितीय अनुपूरक माँगों के बारे में सूची में डाली थी उसकी आपने मुखबंध के माध्यम से स्वीकृति सदन से ले ली है । अब यह खर्च एक तरह से सदन द्वारा करना अनुमोदन सरकार को प्राप्त हो चुका है ।

अब विनियोग के माध्यम से हम उस पैसे को निकाल कर जिसकी स्वीकृति सदन ने दी है, उसको खर्च करने के लिए निकालने की भी अनुमति विनियोग विधेयकों के माध्यम से लेते हैं । यह संवैधानिक व्यवस्था है कि इसको भी हम एक विधायी कार्य की तरह एक कानून बनाने वाली रीति से ही यह स्वीकृति या सदन की अनुमति प्राप्त करते हैं ।

महोदय, आप देखिएगा कि यह विनियोग संख्या-4 है । विनियोग संख्या-2 हमलोगों ने सरकार की तरफ से बजट सत्र में दिया था जो राशि की स्वीकृति ली थी सदन से, जो बीच में मॉनसून सत्र होता है वर्षाकालीन सत्र होता है, विनियोग संख्या-3 हमने उसमें लाया था और सदन की अनुमति ली थी । अब संवैधानिक व्यवस्था के तहत महोदय, कभी-कभी यह आवश्यक हो जाता है कि जो राशि खर्च करने की अनुमति हमने सदन से ली है, योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में ऐसी बातें उभर कर आती हैं कि कुछ योजनाओं में अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हमलोग जो वार्षिक वित्त विवरण जिसको बजट कहते हैं, जिस समय पेश करते हैं वह एक तरह से अनुमानित आकलन होता है और जब वास्तविक हमलोग क्रियान्वयन करते हैं उसमें राशि में अंतर होता है, कभी-कभी राशि कम पड़ जाती है तो वह अतिरिक्त आवंटन जो उन कार्यों को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आवश्यकता होती है या महोदय, आप जानते हैं कि हमलोगों की सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ समय-समय पर नई योजनाएँ भी लागू करती है । नई योजनाएँ जो हम लागू करते हैं उसके लिए भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है तो इसलिए उसके लिए संवैधानिक प्रावधान है कि हमलोग यह अनुपूरक माँग के माध्यम से सदन की स्वीकृति प्राप्त करते हैं और आज सबसे तो पहले हम सरकार की तरफ से सदन के सारे माननीय

सदस्यों के प्रति शुक्रिया अदा करते हैं, वैसे तो आपने कह दिया कि माँग के पक्ष में बहुमत है लेकिन महोदय, पक्ष में तो सर्वसम्मत था, कोई सदस्य तो विरोध कर नहीं रहे थे ।

उससे भी बड़ी बात जो आज देखने और समझने की है, वह है कि विपक्ष वित्तीय कार्य में या विधायी कार्य में कितना गंभीर रहता है, यह आज पूरे बिहार के लोगों को देखने की जरूरत है कि आज नेता प्रतिपक्ष एक घंटा बोल गए । हमने तो कहा है कि आप विपक्ष के पक्ष में रहते हैं । समय था उनका 58 मिनट, आपने दे दिया उनको 68 मिनट, घोषणा करके जो इनको 10 मिनट का टाइम हम एक्स्ट्रा देते हैं । अध्यक्ष महोदय, यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि जो संवैधानिक...

अध्यक्ष : लेकिन वे निकल गए और विषय पर कुछ नहीं बोल पाये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : निकल गए । आपने अपना उदार चरित्र दिखाया और उन्होंने अपना संकीर्ण चरित्र दिखाया । यही तो दोनों में फर्क है कि आपने उनको अधिकतम समय दे दिया लेकिन वे अपनी आदत से बाज नहीं आये ।

महोदय, मैं जिस बात की तरफ इशारा कर रहा था, यह संवैधानिक तरीका है कि आप अगर हमारी नीति से या जो माँग पेश हुई है उससे सहमत नहीं हैं या उसमें कोई संशोधन चाहते हैं तो माँग में संशोधन देने का कटौती का जो प्रस्ताव होता है ।

..क्रमशः...

टर्न-28/आजाद/16.12.2022

..... क्रमशः

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : यह पूरा देश जानता है कि कोई माँग जब सदन में प्रस्तुत की जाती है तो उसमें अपनी बात कहने का विपक्ष को अपनी बातों या हमारी माँग में यह जो हमने प्रस्ताव किया है, उसमें जो कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, जो विपक्ष समझता है, वो सरकार के संज्ञान में लाने के लिए कटौती प्रस्ताव लाते हैं । लेकिन महोदय, आपने देखा कटौती प्रस्ताव नहीं आया । हमको तो यह नहीं समझ में आता है कि विपक्ष अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक भी है, सजग भी है कि नहीं कि इसका संज्ञान ही नहीं है । महोदय, यह सरकार या हमलोगों के सत्ता पक्ष के लोगों के लिए घोर आश्चर्य की बात है कि इन्होंने अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी भी नहीं निभायी । कटौती प्रस्ताव भी नहीं दिया लेकिन बोलने को खड़े हो गये तो महोदय, हम आपको क्या कहे । आप शुरू से अन्त तक देखे, ये तो एक घंटा बोलते रहे तो शराबबंदी से तो निकल नहीं पाये । आपने पूछा भी कि ग्रामीण विकास में शराबबंदी ही ग्रामीण विकास का जरिया होता है क्या ?

लेकिन वो मानने वाले कहां थे और उसके बारे में तो हमने कह ही दिया है । हमारे माननीय मंत्री

अध्यक्ष : उनके रास्ते भटक गये थे, रास्ता ही भूल गये थे । मैंने बार-बार कहा कि ग्रामीण विकास विभाग पर बोलें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वे रास्ता तो भटक ही गये थे, तभी तो इधर से वहां पहुँच गये । रास्ता भटक ही गये थे, वे तो इधर थे और जिनकी बात आप कह रहे हैं कि रास्ता भटक गये थे, रास्ता नहीं भटकते तो वो तो आपके वाली जगह पर विद्यमान थे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हैं, इस आसन पर भी वो बैठे थे तो उनके संचालन की प्रक्रिया को पूरे सदन ने तो देख ही लिया है कि संचालन की प्रक्रिया क्या रही है और किस तरह से सदन को उन्होंने चलाने का काम किया और जो वे कहते थे कि बिल्कुल विधान सभा प्रक्रिया, कार्य संचालन नियमावली का पालन कीजिए, मैंने तो बार-बार कहा कि आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं । मांग है ग्रामीण विकास विभाग का इसपर आपको बोलना चाहिए लेकिन एक लाईन भी नहीं बोले । मैंने कहा कि आपके पास आंकड़ा ही नहीं है । आप बोलिए ।

मैंने कहा था कि आप अज्ञानी हैं, अज्ञानता है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसीलिए न हमने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को या मुख्य विपक्षी दल को अगर सदन में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं हो तो ये तो अज्ञानता की श्रेणी से भी कुछ आगे की बात की तरफ इशारा करते हैं । इसलिए महोदय.

अध्यक्ष : अज्ञानता के सुपरलेटिव डिग्री पर वे चले गये हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अब हमने जो मांग प्रस्तुत की थी, उसके संबंध में कुछ माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि हमने लगभग 19048 करोड़ से कुछ अधिक की अनुपूरक मांग हमने रखी है और इसमें अगर देखियेगा तो अधिकांश मतलब लगभग 15500 करोड़ ये राज्य की योजनाओं के लिए है । ये राज्य की योजना मतलब जो सरकार की योजनायें खासतौर से गरीबों के हित के लिए, गरीबों की माली हालत सुधारने के लिए, ग्रामीण इलाके में जो आधारभूत संरचनायें हैं, उसको सुदृढ़ करने के लिए जो योजनायें चलती हैं, अमुमन हमलोग वैसे ही योजनाओं को राज्य की स्कीम के तरफ से चलाते हैं और वो चल रहे हैं । इसके अलावे महोदय हमलोगों को कुछ पैसा अलग से इसलिए भी इन्तजाम करना पड़ा, जिसकी चर्चा श्रवण जी कर रहे थे । केन्द्र प्रायोजित योजनायें की चर्चा कर रहे थे महोदय । अभी हम गये थे केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो उनको भारत सरकार के लिए बजट बनाना है, उसमें बजट से पहले राज्य के वित्त मंत्रियों से बातचीत करते हैं । उसमें हमने कहा कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की जिसकी चर्चा श्रवण जी कर रहे थे, अनावश्यक रूप से संख्या बढ़ाते जा

रहे हैं। जबकि इसी सरकार ने मतलब नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने आपको याद होगा कि योजना आयोग का विघटन करके नीति आयोग बनाया था और नीति आयोग के गठन के साथ एक मुख्यमंत्रियों का समूह बनाया गया था, जो खासतौर से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में इसकी समीक्षा करके आवश्यक सुझाव देने के लिए वो समूह बनाया गया था। उनके ही भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके संयोजक थे और उस समूह ने सारे चीजों की समीक्षा करके अनुशंसा की कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या सीमित होनी चाहिए बल्कि उसने कहा है कि प्राथमिकता से इसकी संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए और आज हालत क्या है, इसकी संख्या दुगुनी, तिगुनी से ऊपर लगभग 90-100 पहुँच रही है। महोदय, अब कहियेगा कि इससे क्या घाटा है या क्या परेशानी है? अब परेशानी यह होती है महोदय कि वो एक योजना जिसका नाम अभी जिससे मनरेगा का नाम वे कह रहे थे। मालूम होता है कि केन्द्र सरकार चलाती है, अनेक योजनाएँ हैं - समग्र शिक्षा अभियान है या कोई दूसरी योजना है, उसका नाम तो वे रख दिये कि केन्द्र सरकार की योजना है और पूरे देश में चल रही है लेकिन करते क्या हैं कि उसमें शेयरिंग पैटर्न कर देते हैं। मतलब केन्द्र की हिस्सेदारी भी होती है और राज्य सरकार को भी वित्त लगाना पड़ता है और केन्द्र सरकार अपने दायित्वों से किस तरह पीछे भाग रही है महोदय, अगर इसपर गौर करियेगा तो सिर्फ एक चीज केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को संरचना से ही आपको स्पष्ट हो जायेगा। यह यू0पी0ए0 की सरकार में जो शुरू हुआ, यहां तक कि महोदय एन0डी0ए0 की भी हुकूमत जब दिल्ली में थी, श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी की हुकूमत जब तक थी, जब तक इस योजना का जो स्वरूप था, यह उससे बदलकर के समझिए कि केन्द्र सरकार अपने दायित्व से सीधे मुकरते जा रही है। जो योजनाएँ पहले 90-10 के अनुपात में थी यानी 90 रू0 केन्द्र सरकार देती थी, 10 रू0 राज्य सरकार को लगाना पड़ता था, वो 90-10 से 75-25 हुआ। मतलब 90 से 75 कर लिया अपना। फिर 75-25 से 60-40 हुआ और अब 50-50 कर दिया गया। अब मतलब समझ लीजिए कि 50 रू0 वे देंगे और 50 रू0 राज्य सरकार अपने संसाधन से लगायेगी, तब वह योजना चलेगी लेकिन नाम होगा कि यह केन्द्र की योजना है तो हमने केन्द्रीय वित्त मंत्री को कहा कि इस तरीके से आपके ही मुख्यमंत्रियों की समूह की अनुशंसा है, जिसे तकनीकी रूप से केन्द्र सरकार ने इनप्रिंसीपुल सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है लेकिन इसको लागू नहीं कर रही है और आप केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। एक तो अपने दायित्वों से पीछे हट रहे हैं, अपना अंशदान घटाते जा रहे हैं और दूसरा महोदय, सबसे जो दुःखदायी बात होती है, राज्यों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी का अवसर पैदा होता है कि इस कारण जो भी उनको देना रहता है, कभी समय पर नहीं देते हैं। अब समग्र शिक्षा

अभियान की बात ले लीजिए । एक तो कर दिये 90-10 से घटाते हुए, पहले शतप्रतिशत से शुरू हुआ था, अब इस अभियान के राशि से हम शिक्षकों को वेतन देते हैं । अब आप समझिए कि ये लोग 6-6 महीना तक कोई पैसा नहीं देते हैं । पिछले साल 2021-22 का आंकड़ा लीजिए तो 15500 करोड़ ₹0 में से 13500 करोड़ ₹0 कुल राशि खर्च हुई थी, उसमें से 8500 करोड़ ₹0 उनको देना था, 4500 करोड़ ₹0 हमलोगों को लगाना था लेकिन वे खुद दिये 3500 करोड़ ₹0 और हमलोगों को 8500-9000 करोड़ लगाना पड़ा

..... क्रमशः

टर्न-29/शंभु/16.12.22

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : क्रमशः..और तब जाकर हम अपने शिक्षकों को वेतन दे पाये तो इस तरीके से हमने कहा कि आप आपनी जिम्मेदारियों से मुकरकर राज्यों को जो आप वित्तीय दबाव में पहुंचाते जा रहे हैं । अब हमको अपना पैसा अपने संसाधन का भी पैसा उनकी योजना जो चलती है उस हेड में डालना पड़ता है उसका पैसा निकालने के लिए और अपने पैसा निकालने पर जो सुनियेगा महोदय शर्त तो एक से एक नये-नये शर्त लगाते जा रहे हैं जिससे कि जितना मुश्किल से राज्य केन्द्र के द्वारा लिया हुआ पैसा ले सके । एक तो हम अपना पैसा उनके फार्मेट में डालते हैं मतलब हमारी वित्तीय स्वायत्तता पर आघात हो रहा है । दूसरे हमको जो फ्लैक्सिबिलिटी थी हमको जो अपना पैसा, अपने संसाधन को अपने प्रायोरिटी के हिसाब से खर्च करने की जो स्थिति थी वह भी खतम हो गयी । अपना पैसा उनके साथ लगाकर तब उस पैसा का हम उपयोग कर सकते हैं, अगर देर करिये तो ये आंकड़े बड़े जबरदस्त रूप से कहे जाते हैं कि केन्द्र सरकार ने इतनी राशि दी बिहार सरकार को और खर्च नहीं की । ये समझिए खासतौर से जानबूझकर बिहार की वित्तीय व्यवस्था को ध्वस्त करके सरकार को जलालत की स्थिति में पहुंचाने की ये साजिश चलती है । यह हमने वहां कहा है कि ये सही तरीका नहीं है । अरे आप अगर यू0पी0ए0 या हमलोगों का सुझाव नहीं मानते हैं तो आदरणीय वाजपेयी जी का जो मोडल था उस समय जो होता था । महोदय, बिहार की वित्तीय स्थिति उनके समय में जब हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहां चल रहा था बहुत आफियत की स्थिति थी । वह कभी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में कभी राज्यों पर इस तरह का वित्तीय दबाव या वित्तीय संकट में डालने की कोशिश नहीं होती थी, लेकिन आज लगातार कर रहे हैं । अब समझिये सेस की राशि हमने वह भी कहा है कि सेस लगाने का या सरचार्ज लगाने का जो संविधान में प्रावधान है स्पष्ट है कि ये एक निश्चित समय के लिए किसी खास

काम के लिए खास मकसद से होगा । अब जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर ये सेस लगाते हैं, सरचार्ज लगाते हैं मतलब जब अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य उसका कैंश करके न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया, लेकिन ये अपना सेस बढ़ा बढ़ाकर बाजार में तेल की कीमत कम नहीं होने दिये, लेकिन सेस उससे वसूलते गये और इसमें भी इनकी चाल है कि जब वह निश्चित समय के लिए सेस लगाने का प्रावधान है संविधान में दो साल, चार साल, पांच साल, दस साल-चालीस चालीस साल से सेस और सरचार्ज चल रहा है महोदय । हमने कहा कि अगर ये सेस और सरचार्ज इस तरीके से आप स्थायी रूप से चला रहे हैं तो इसको जो ड्यूटी है, जो एक्साइज ड्यूटी है या कोई टैक्स है जिसपर आप सरचार्ज या सेस लगा रहे हैं उसका पार्ट बना दीजिए । अगर वह ड्यूटी और टैक्स का पार्ट बन जाता है तब वह डिविजिबल पुल में चला जायेगा राज्यों को भी हिस्सा मिलेगा, लेकिन वह नहीं कर रहे हैं । ड्यूटी टैक्स में उसको शामिल नहीं कर रहे हैं सेस और सरचार्ज के रूप में चला रहे हैं क्योंकि वह मतलब विभागीय नहीं है, अविभागीय है । वह सेंटर के एकाधिकार में रहता है फिर अपन मन से करेंगे, हक हमारा भी है राज्यों का भी है, लेकिन वह हक नहीं देंगे और एहसान जताने के लिए कोई योजना चला देंगे । हमने कहा है कि अगर आपको योजना चलानी है तो आप केन्द्रीय योजना के रूप में चलाइये । जो शत प्रतिशत अगर आप केन्द्र की योजना कहते हैं तो शत प्रतिशत पैसा दीजिए नहीं तो राज्यों को जो संसाधन उपलब्ध हैं राज्यों को अपने हिसाब से खर्च करने दीजिए । महोदय, ये जो हमको अनुपूरक लाना पड़ा है इसमें वो पैसे जो केन्द्रांश समय पर नहीं मिलने के कारण राज्य को अपने संसाधन से लगाने पड़ते हैं इसलिए भी उसके आगणन को कैलकुलेशन को हमलोगों को रिवाइज करना पड़ता है । वहां पर अधिक प्रावधान करना पड़ता है, वह समय पर देते नहीं हैं । इसी तरीके से महोदय अभी जो श्रवण जी बता रहे थे उसकी बात अगर देखेंगे तो इसमें जो हमलोगों ने प्रस्ताव दिया है इसमें अधिकतर स्कीम जो है समग्र शिक्षा का है, ग्रामीण आवास योजना का है जिसकी चर्चा कर रहे थे, ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए है, मनरेगा के लिए है । अब नमामि गंगे, समझिए नमामि गंगे नाम तो अपना रख दिये हैं । जो नाम सुनता है योजना उनकी है पैसा हमको व्यवस्था करके देना पड़ता है तो ये सब हमारे लिये दबाव की स्थिति बनती है जिसके कारण हमको इस सब प्रकार से द्वितीय अनुपूरक लाना पड़ा है और बाकी जो हम अपने राज्य की उपयोगी स्कीम चला रहे हैं महोदय, आपको सुनकर अच्छा लगेगा, सदन को भी खुशी होगी जो आज जिस राशि की उन्होंने स्वीकृति दी है और आज हमको इस विनियोग विधेयक के माध्यम से खर्च करने की भी अनुमति देंगे उसमें

पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए लगभग 560 करोड़ रुपये हैं, जो बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो चलती है उसके लिए लगभग 400 करोड़ रुपये हैं। महोदय, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आपके भी निर्वाचन क्षेत्र में होगा यह इतनी लोकप्रिय योजना है और इतने गरीब घर के बच्चे जो वित्तीय कारणों से आगे पढ़ाई नहीं कर पाते थे गरीबी के कारण आज वह इसका लाभ लेकर उच्चतर शिक्षा पा रहे हैं और यह इस तरीके से सफल होती जा रही है, इस तरीके से लोकप्रिय होती जा रही है कि सरकार ने शुरू में जो आगणन किया, जो सोचा, जो आकलन किया यह उससे कहीं ज्यादा लोकप्रिय हो गया है इसके लिए हमको इसमें 400 करोड़ रुपये और अतिरिक्त की व्यवस्था करनी पड़ रही है। इसी तरीके महोदय, जो प्लस टू विद्यालय में जो मुख्यमंत्री की न सिर्फ स्वर्णिम योजना है बल्कि बिहार की सूरत बदलनेवाली योजना है। जब हर गांव में, हर पंचायत में एक प्लस टू विद्यालय होगा और जब समझिए कि ग्रामीण क्षेत्र का भी कोई बालक या बालिका जो शिक्षा ग्रहण करने की उम्र में रहें वे शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे, अगर सोचिये कि हर बच्चा चाहे वह कितना भी गरीब परिवार से आता है, अगर प्लस टू तक की पढ़ाई कर लेता है क्या बिहार की तस्वीर नहीं बदल जायेगी, ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर नहीं बदल जायेगी यह इतनी महत्वपूर्ण योजना है और मुख्यमंत्री जी तो बराबर कहते रहे हैं ये तो समझिए ये मास्टर चाबी है। ये मास्टर चाबी इसलिए है कि सभी तरह की समस्याओं के मूल में जनसंख्या रहती है। जनसंख्या बढ़ती है संसाधन पर दबाव बढ़ता है। अभी पटना ही की बात देख लीजिए मुख्यमंत्री जी ने कितने फ्लाई ओवर और कितने एलीवेटेड रोड बना दिये, नेहरू पथ से जाइये आगे लोहिया पथ चक्र तक सब एक तरह से डबल डेकर रोड बन गया है चारों तरफ तो अभी तो दो-चार-पांच साल पहले तक थोड़ा आफियत लग रहा था अभी फिर उपर नीचे दोनों तरफ जाम की स्थिति बन रही है चूंकि लोग बढ़ रहे हैं, संसाधन पर दबाव बढ़ रहा है। अब ये जो हमारी बच्चियां प्लस टू तक पढ़ लेती हैं तो समझिए ये स्वतः जनसंख्या नियंत्रण का एक बहुत बड़ा जरिया हो जायेगा क्योंकि पढ़ीलिखी लड़कियां या महिलाएं कभी दो से अधिक बच्चे नहीं होने देना चाहती हैं तो ये समाज को परिवर्तित करने वाली योजना है, हर पंचायत में प्लस टू विद्यालय निर्माण की है। इसके लिए हमलोग 200 करोड़ रुपया इसमें अतिरिक्त मांग रहे हैं। महोदय, इसी तरीके से बहुत सारी योजनाएं हैं जो अत्यंत पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना जो है जिसके तहत समझिए कि निर्धनतम परिवारों के युवक जो कुछ करना चाहते हैं उनको हम ऋण उपलब्ध कराते हैं वैसी योजना के लिए समझिए हमलोग 100

करोड़ दे रहे हैं । महोदय, यह समझ लीजिए कि ये सब राशि जो है चाहे 100 करोड़ इसके लिए या 200 करोड़ विद्यालय भवन के लिए यही सीमा नहीं है ।

क्रमशः

टर्न-30/पुलकित/16.12.2022

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (क्रमशः) : हमने इसके लिए पहले भी प्रावधान किया था लेकिन योजना के क्रियान्वयन के क्रम में हमको और अतिरिक्त राशि की आवश्यकता महसूस हुई है । इसका कारण यही है कि यह योजना सब सफलता से लागू हो रही है । बिहार के ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश बदल रहा है उसकी सूरत बदल रही है इसलिए हमको इस राशि की आवश्यकता है । इन्हीं सब चीजों के लिए हमने ये जो आकलन किया फिर से हिसाब-किताब किया तो हमें लगा कि हमें और अधिक राशि की आवश्यकता पड़ सकती है जिसके लिए हमलोगों ने विभागवार अपनी मांग दी थी और आज सदन ने उसकी स्वीकृति दी है। इसलिए सरकार की तरफ से हम सदन का भी और आसन के प्रति भी हम सम्मान प्रकट करते हैं और इस सदन के सारे सदस्यों को हम सरकार की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक तरह से सर्वसम्मति से क्योंकि कोई विरोध ही नहीं था । विरोध करने वाले तो दूसरी चीज में भरोसा रखते हैं और सबसे अच्छा लगता है जब वे वॉक आउट करते हैं उस समय आपको तो आसन पर रहना पड़ता है । हमलोग कभी-कभी बाहर रहते हैं तो सीधे लाईन लगाकर जैसे मधुमक्खी चलती है, सीधे प्रेस वालों के पास जाते हैं । ये तमाशा देखने लायक होता है । अपनी बात कहने को वह प्रतिरोध है, विरोध है । लेकिन अपनी जब वे मधुमक्खी वाली पंक्ति लगाकर सीधे प्रेस के स्टैंड पर चले जाते हैं तो वह नजारा भी देखने लायक होता है । इसलिए हम तो एक तरह से उनको भी मानते हैं चले गये, मतदान में हिस्सा नहीं लेकर के, कभी-कभी वॉक आउट करना भी समर्थन ही माना जाता है । महोदय, कोई मोरल, कोई नैतिक आधार भी नहीं है जिसके कारण इस मांग का विरोध वे करें क्योंकि क्या विरोध करेंगे ? किनके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है । महोदय, आज सदन में जो द्वितीय अनुपूरक मांग हमने विभिन्न विभागों से संबंधित रखी थी उसे आपने सदन की स्वीकृति के लिए रखा । सदन ने उसे भी स्वीकृत किया और आज जो विनियोग विधेयक जो हम खर्च करने की अनुमति मांग रहे हैं । जिन मांगों की राशि स्वीकृति के लिए ली है, हम सदन से अनुरोध करते हैं कि इस विधेयक को भी पूर्ण अपनी स्वीकृति, सहमति प्रदान करने की कृपा करें।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2022 स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या- 59 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाए।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक सोमवार दिनांक.....

श्री शकील अहमद खाँ : अध्यक्ष महोदय, मैं 30 सेकेंड का इंटरवेंशन मांगता हूँ । मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन पोर्टल की है, उसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि जिस विषय पर आज नेता प्रतिपक्ष यहां से चले गये हैं और शराबबंदी कानून को लगता है कि लागू कराना चाहते हैं। मेरे पास जो पोर्टल लखीसराय से आया है उसमें उनके समधी के घर पर 1296 बोतल शराब की मिली है । इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है । प्लीज इसकी जांच करवाइये, क्या सच्चाई है ? क्या झूठ है ? क्या पोर्टल है, प्लीज इसकी जांच की जाए । वे अगर परसो आयेंगे तो उनसे पूछा जाए और उनको जांच में मदद करनी चाहिए । वह घर भी सील हुआ है, क्या सच्चाई है मुझे नहीं मालूम । लेकिन इसमें ये खबर आई है इसके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ । मैं अपनी कोई जुबान तराशी की बात नहीं बोल रहा हूँ । प्लीज, अगर कहियेगा तो

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहां बैठे हुए हैं । आपकी सूचना को सुन रहे हैं और इसके संबंध में अपने स्तर से भी दिखलाने का काम करेंगे ।

श्री शकील अहमद खाँ : ठीक है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य श्री शकील अहमद जी ने जो बात उठायी है और आसन ने जो निदेश दिया है इसको दिखवाने का, सरकार आसन के निदेश का पालन करेगी ।

अध्यक्ष : बहुत धन्यवाद ।

अब सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

⑦

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)**अध्यक्ष महोदय,**

बिहार सरकार दृढ़ संकल्पित है कि सभी गरीबों को अपना पक्का मकान हो। आवास के लिए राज्य में **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना एवं मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना** का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में केन्द्र और राज्य का शेयर **60:40** का है। अर्थात् राज्य का शेयर इसमें 40% का है। ऐसे में महोदय प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का नाम 'केन्द्र +राज्य' 'राज्य संपोषित योजना' रखा जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत केन्द्र सरकार से राशि **तीन सप्ताह, चार सप्ताह** विलम्ब से प्राप्त हुआ है विलम्ब से ही सही राशि उपलब्ध कराने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही यह अपेक्षा करते हैं कि द्वितीय किस्त (द्वितीय भाग) की राशि केन्द्र सरकार हमें समय से उपलब्ध करा देगी।

आवास योजना में बिहार सरकार तेजी से कार्य कर रही है। **9 लाख 96 हजार 696** स्वीकृत आवास के विरुद्ध हमने **7 लाख 32 हजार 758** आवास पूर्ण कर लिया है अब मात्र **2 लाख 63 हजार 938** आवास शेष बचे हैं। पूर्णता का प्रतिशत लगभग 75% है। यदि समय से राशि प्राप्त हो जाती है तो हम समय से शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर सकेंगे।



गरीबों के लिए राज्य सम्पोषित योजना

अध्यक्ष महोदय,

बिहार की महागठबंधन सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सिर्फ गरीबों की बात नहीं करते बल्कि गरीबों की चिन्ता करते हैं और गरीब को कैसे सहायता हो उसके लिए योजना बनाकर राज्य के गरीबों को मदद पहुँचाने का काम भी करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा है कि राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गरीबों के हित के लिए हमेशा चिन्ता करते रहते हैं इसका परिणाम है कि आवास से संबंधित **“मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना एवं मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना”** ये तीन हमारी ऐसी योजना है जो बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है —

(1). 1 जनवरी 1996 से पहले दलित, महादलित अति पिछड़े वर्ग के लोगों का घर कलस्टर में बने थे और वो आवास रहने के लायक नहीं है उन्हें **1 लाख 20 हजार रूपया** राज्य के खजाने से दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

(2). दूसरी योजना ऐसे लोगों के लिए है जो आवास के हकदार और जिनका नाम आवास सूची में शामिल है लेकिन उनके पास जमीन नहीं है, आहर, पोखर के तटबंध पर बसे हैं उन्हें **60 हजार रूपया** जमीन खरीदने के लिए राज्य के



खजाने से देने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार की योजना भी अन्य राज्यों में नहीं है।

(3). तीसरी योजना— 1 अप्रैल 2010 से पूर्व जिनको आवास की स्वीकृति दी गयी है और आवास आधा अधूरा रह गया है उन्हें राज्य के खजाने से 50 हजार रुपया घर को पूर्ण कराने के लिए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार की योजना बिहार के बाहर किसी अन्य राज्यों में नहीं है।

हमारी सरकार गरीबों की सरकार है गरीबों की चिन्ता करने वाली सरकार है, जुमला बाली सरकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य के मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद एवं अन्य जिलों, कुछ प्रखण्डों एवं कुछ पंचायतों के गरीबों की सूची आवास प्लस ऐप पर नहीं चढ़ सका है उसे जोड़ने के लिए भारत सरकार को पत्र भी भेजा हूँ परन्तु अभी तक भारत सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ताकि जो गरीब तकनीकी कारणों से वंचित है, उन्हें आवास का लाभ मिलना चाहिए।

मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार से पुनः अनुरोध करता हूँ कि छूटे हुए गरीबों को आवास प्लस ऐप में जोड़ने की अनुमति भारत सरकार दे।



जीविका

अध्यक्ष महोदय,

बिहार सरकार राज्य की महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए 'जीविका' जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना चला रही है।

स्वयं सहायता समूह 'जीविका' मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री जी ने जीविका की शुरुआत बिहार में किया तो इसी का अनुकरण करते हुए आजीविका नामाकरण कर देश में चलाने का काम किया गया। यह बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के सोच का परिणाम है कि बिहार जो पहले सोचता है, करता है उसी का अनुकरण देश एवं अन्य प्रदेशों द्वारा किया जाता है।

जीविका ने समुदाय आधारित संगठन के विकास के साथ-साथ समुदाय के बीच से सामुदायिक पेशेवर का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित कर उनका क्षमतावर्द्धन किया है।

राज्य में 10 लाख 42 हजार स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है।

स्वयं सहायता समूहों से जुड़े परिवारों की संख्या 1 करोड़ 28 लाख से अधिक है।

अबतक ग्राम संगठन 68 हजार 397 तो संकुल स्तरीय संघ 1 हजार 415 गठित हो चुके हैं। राज्य में स्वयं



सहायता समूहों के 9 लाख 67 हजार 146 खाता खोले गए हैं और 25 हजार 690 करोड़ 65 लाख राशि का ऋण मुहैया कराया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय,

बिहार में आज जीविका की दीदियाँ कई तरह के स्वरोजगार कर अपना आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक सशक्तिकरण का कार्य कर रही है।

जीविका की दीदियाँ कृषि योजनाओं से जुड़ कर कार्य कर रही है और अपने को आत्मनिर्भर बनाने के साथ अपनी आमदनी को बढ़ा रही है। ऐसे परिवारों की संख्या 24 लाख 54 हजार से भी ज्यादा है।

पशुपालन से जुड़े जीविका परिवारों की संख्या 12 लाख 57 हजार से भी अधिक है। गैर कृषि कार्य से जुड़े जीविका परिवारों की संख्या 2 लाख 21 हजार से अधिक है।

अध्यक्ष महोदय,

डेयरी से जुड़ी जीविका दीदीयों की संख्या 1 लाख 12 हजार है। इसी प्रकार मुर्गी पालन से जुड़े परिवार 1 लाख 87 हजार, बकरी पालन से जुड़े 2 लाख 76 हजार परिवार एवं मछली पालन से 430 परिवार जुड़कर अपना कार्य कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। मधुमक्खी पालन से 299 उत्पादक समूह कार्य कर रहे हैं जिससे 7 हजार 693 परिवार जुड़े हुए हैं।



अध्यक्ष महोदय,

जीविका की दीदी आज विभिन्न क्षेत्र में रोजगार कर रही है। उन्हें विभिन्न तरह के प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं।

जीविका दीदी 'दीदी की रसोई' चला रही है जो सरकारी अस्पतालों में शुद्ध, स्वच्छ एवं गुणवत्ता पूर्ण भोजन मुहैया करा रही है जिससे रोगी के साथ उनके परिजन भी लाभान्वित हो रहे हैं। राज्यभर में **78 दीदी की रसोई** चल रही है। जिसमें **1 हजार 60** स्वयं सहायता समूह के सदस्य जुड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में चल रहे एक मात्र **मानसिक आरोग्यशाला कोईलवर** में दीदी की रसोई के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मानसिक आरोग्यशाला कोईलवर में साफ-सफाई एवं मरीजों के परिधान की उपलब्धता भी जीविका की दीदीयों द्वारा की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जीविका दीदीयों ने मधुमक्खी पालन कर अब तक **2 हजार 418 मीट्रिक टन** शहद का उत्पादन किया है।



ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण दिलाकर 3 लाख 42 हजार से ज्यादा नौजवानों को रोजगार एवं नौकरी से जोड़ा गया है।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए एक लोक कल्याणकारी कार्यक्रम **सतत् जीविकोपार्जन** योजना का कार्यान्वयन जीविका द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत **1 लाख 47 हजार 277** अत्यंत निर्धन परिवारों का चयन किया गया है। इन चयनित परिवारों में **1 लाख 30 हजार 39** परिवारों को जीविकोपार्जन **अन्तराल राशि** दिया गया है तथा उन्हीं में से **1 लाख 32 हजार 384** परिवारों को **एकीकृत परिसम्पत्ति** हस्तांतरित की गई है। इन परिवारों में जिन्हें आर्थिक सहायता दी गई है ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़े **30 हजार 619** परिवार हैं तो देशी शराब के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़े **10 हजार 274** परिवार हैं।



लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

अध्यक्ष महोदय,

बिहार सरकार लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का संचालन कर रही है। इस अभियान के तहत **1 करोड़ 22 लाख 15 हजार** परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय से आच्छादित किया गया है।

भूमिहीन परिवारों विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों, प्रवासी मजदूरों एवं चलंत आबादी को शौचालय उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में **9 हजार 670** सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया है।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत प्रथम चरण में किसी कारणवश छूटे हुए एवं नए परिवारों को शौचालय की सुलभता उपलब्ध कराया जा रहा है।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का द्वितीय चरण अब प्रारंभ हो चुका है। सात निश्चय – 2 अन्तर्गत **‘स्वच्छ गाँव – समृद्ध गाँव’** के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत मुख्यतः घरेलू स्तर पर अपशिष्ट के पृथक्करण हेतु सामुदायिक उत्प्रेरण, घर-घर से ठोस अपशिष्ट का उठाव परिवहन एवं समुचित निष्पादन का कार्य किया जा रहा है।



वर्ष 2021-22 में 1 हजार 672 ग्राम पंचायत एवं 2022-23 में 2 हजार 462 ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अगर वार्ड स्तर पर देखें तो यह कार्य 22 हजार 609 वार्ड में चल रहा है। अब तक राज्य में 1 हजार 707 लक्ष्य के विरुद्ध 404 अपशिष्ट प्रोसेसिंग यूनिट तैयार हो चुका है। जबकि 824 पर कार्य चल रहा है।

यह कार्य ग्राम पंचायतों के देख-रेख में संचालित किया जा रहा है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि स्वच्छता के कार्य में सहयोग प्रदान करने की कृपा करें।

स्वच्छता सिर्फ अधिकारियों और कर्मचारियों के भरोसे नहीं लाया जा सकता इसके लिए समाज के हर तबके का सहयोग आवश्यक है। सम्पूर्ण स्वच्छता के लिए व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है और इस कार्य में सभी का सहयोग अपेक्षित है। माननीय सदस्यगण, अपने-अपने क्षेत्रों में जब भी जायें तो लोगों से अपील अवश्य करें ताकि स्वच्छता के क्षेत्र में हमारा राज्य आगे बढ़ सके।



जल-जीवन हरियाली

अध्यक्ष महोदय

आज पूरी दुनियाँ जलवायु परिवर्तन से परेशान है। इस परेशानी को दूर करने के लिए बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने सभी दलों के साथ बैठक कर जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में योजना बनायी और राज्य में जल-जीवन हरियाली योजना चलाने का निर्णय लिया गया। इस दिशा में जोर-शोर से कार्य चल रहा है। इस योजना के तहत कुल- 11 अबयवों पर कार्य किया जा रहा है, जो निम्न प्रकार है :-

1. सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा- तालाबों/ पोखरों/आहरों/पईनों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करना।
2. सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा- तालाबों/ पोखरों/आहरों/पईनों का जीर्णोद्धार
3. सार्वजनिक कुओं को चिन्हित कर उसका जीर्णोद्धार
4. सार्वजनिक कुओं/चापाकलों के किनारे सोखता/ रिचार्ज/अन्य जल संचयन संरचनाओं का निर्माण।



5. छोटी-छोटी नदियों/नालों में एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल संग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम एवं जल संचयन में अन्य संरचनाओं का निर्माण।
6. नये जलों स्रोतों का सृजन एवं अधिशेष नदी जल क्षेत्र से जल की कमी वाले क्षेत्रों में ले जाना।
7. भवनों में छत वर्षा जल संचयन के संरचना का निर्माण।
8. पौधशाला सृजन एवं संघन वृक्षारोपण
9. वैकल्पिक फसलों, टपकन सिंचाई, जैविक खेती एवं अन्य तकनीकों का उपयोग।
10. सौर उर्जा उपयोग का प्रोत्साहन एवं उर्जा की बचत
11. जल-जीवन-हरियाली जागरूकता अभियान

अध्यक्ष महोदय,

बिहार देश का पहला राज्य जहाँ जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कदम बढ़ाया और बिहार की जनता को बिहार के सभी राजनीतिक दलों एवं कार्यकर्ताओं का तथा सामाजिक गतिविधियों में लोगों का पूरा सहायोग मिला।

इसके समर्थन के लिए मानव श्रृंखला बनाये गये जिसमें 5 करोड़ लोगों सड़क पर खड़े होकर पूरी दुनिया में यह संदेश दिया कि हम जलवायु परिवर्तन को रोकेगें और परेशानी, लाचारी एवं बीमारी से निजात पायेंगे।

8

आधार

अध्यक्ष महोदय,

आधार पंजीकरण का कार्य ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य में निविदा के माध्यम से चयनित एजेन्सी तथा स्थायी आधार के माध्यम से आधार का पंजीकरण एवं इसका अद्यतनीकरण का कार्य कराया जा रहा है।

राज्य में अब तक लगभग 12 करोड़ 26 लाख की जनसंख्या का आधार सृजित किया जा चुका है। अर्थात् पूरी जनसंख्या का लगभग 90.26 प्रतिशत जनसंख्या को आधार योजना से अच्छादित किया जा चुका है। इनमें से 18 वर्ष से उपर वयस्क का प्रतिशत एक सौ है। 5-18 वर्ष के आयु वर्ग का 79.13 प्रतिशत है तथा 0-5 वर्ष के आयु वर्ग का 18.27 प्रतिशत है। इस कार्य हेतु विभाग द्वारा राज्य के सभी प्रखंडों/अनुमंडलों/नगर पंचायतों/नगर परिषदों/जिला मुख्यालयों में कुल- 915 स्थायी आधार पंजीकरण केन्द्र की स्थापना की गई है।

कोरोना संकट काल में अन्य राज्यों से बड़ी संख्या मजदूरों एवं कामगारों की वापसी इस राज्य में हुई। इनकी संख्या लाखों में थी। बिहार सरकार ने निर्णय लिया था कि उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध से इनके खाते में अनुदान की राशि सीधे भेजी जाय। लेकिन कई लोगों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने के कारण इसमें परेशानी होती थी। इस



परेशानी को दूर करने के लिए ऑन-लाईन रजिस्ट्रेशन एवं समय बुकिंग ई-प्रणाली प्रारम्भ की गई। कोरोनटाईन केन्द्रों पर भी आधार बनाने की सुविधा प्रारम्भ की गई थी। जिससे राज्य की जनता को काफी सुविधा प्राप्त हुई।

सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र के निर्माण के लिए 101 प्रखंडों का चयन इसकी स्वीकृति दी गई है, जिसमें 51 प्रखंड दक्षिण बिहार के हैं तथा 50 प्रखंड उत्तर बिहार के हैं। जिस पर काम चल रहा है।

प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय-सह-आवासीय भवन

अध्यक्ष महोदय,

राज्य के 82 प्रखंडों के क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण-शीर्ण भवनों के स्थान पर नया भवन बनाने की स्वीकृति दी गई है जिसमें से एक 64 प्रखंडों में प्रखंड-सह-अंचल-सह-आवासीय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। शेष कार्य प्रगति पर है। राज्य में धीरे-धीरे इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य कराया जा रहा है।

विकास प्रबंधन संस्थान (DMI)

अध्यक्ष महोदय,

बिहार प्रबंधन संस्थान के स्थापना बिहार सरकार द्वारा देश एवं विशेषकर राज्य में विकास संबंधी कार्यों के समुचित संचालन एवं योजनाओं का लाभ निर्धनतम परिवारों तक पहुँचाने हेतु बड़ी संख्या में विकास संबंधी प्रोफेसनल को तैयार करने की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए उच्च ज्ञान प्रदायी शिक्षण संस्थान के गठन का निर्णय लिया गया है।

विकास प्रबंधन संस्थान के स्थाई परिसर का निर्माण 15 एकड़ भूमि में 2 अरब 50 करोड़ की लागत से किया जा रहा है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

अध्यक्ष महोदय,

इस योजना का आरम्भ केन्द्र सरकार द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को किया गया है। इस योजना के स्थापना का उद्देश्य लोकसभा एवं राज्यसभा के माननीय सदस्यों द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास को गति प्रदान करना है। इस योजना अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं के अभिसरन से चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत वर्ष- 2019 तक प्रति सांसद कुल तीन आदर्श ग्राम बनाये जाने का लक्ष्य था। इसके बाद 2019 से 2024 तक प्रति सांसद पाँच गाँव के समग्र विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

प्रथम चरण में राज्य के लोकसभा के सभी 40 माननीय सांसद एवं राज्यसभा के 16 माननीय सांसदों में से 13 माननीय सांसदों द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। द्वितीय चरण में 17 माननीय लोकसभा सांसदों एवं 3 माननीय राज्यसभा सांसदों द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। तृतीय योजना के तहत 9 माननीय लोकसभा सांसदों द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है।

ग्राम पंचायतों में बेस लाईन सर्वेक्षण कराकर ग्राम विकास योजना तैयार की गई है तथा इन चयनित योजनाओं को

विभागवार वर्गीकृत करते हुए उसके कार्यान्वयन हेतु संबंधित विभागों को भेजा जा चुका है। ग्राम पंचायतों में तीन चरणों में ग्राम विकास योजना अन्तर्गत 4824 (चार हजार आठ सौ चौबीस) योजनाएँ ली गई हैं जिनमें से 1892 (एक हजार आठ सौ बरानवे) योजनाएँ पूर्ण हो गई हैं तथा 582 (पाँच सौ बेरासी) योजनाओं पर कार्य चालू है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना के 2019-24 के चरण में राज्यसभा के 2 माननीय सांसदों एवं लोकसभा के 20 माननीय सांसदों द्वारा कुल 81 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है।

सांसद आदर्श ग्राम योजनाओं के अवयवों में से जिन अवयवों को पूर्ण करने का प्रावधान न तो केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में है और न राज्य प्रायोजित योजनाओं में है, उसके लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि माननीय सांसद/भारत सरकार अतिरिक्त राशि का प्रावधान करें, जिससे आदर्श ग्राम हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार योजना को पूर्ण किया जा सके।



अध्यक्ष महोदय,

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पूरे देश में चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार में **15 करोड़** मानव दिवस सृजन का लक्ष्य का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है। इस लक्ष्य को बिहार ने अगस्त माह में ही पूर्ण कर लिया।

बिहार में 15 करोड़ लक्ष्य पूर्ण करने के बाद **12 करोड़** लक्ष्य बढ़ाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया। जिसमें मात्र **2 करोड़ 50 लाख** लक्ष्य प्राप्त हुआ। यह भी लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया तथा अभी दिनांक 14.12.2022 को राज्य को **7 करोड़ 50 लाख** मानव दिवस सृजन का लक्ष्य बढ़ाने की सूचना प्राप्त हुई है। इस प्रकार राज्य का अब मानव दिवस सृजन का कुल लक्ष्य **25 करोड़** हो गया है। बिहार ने पूर्व के संशोधित **17 करोड़ 50 लाख** मानव दिवस सृजन के लक्ष्य को पूर्ण करने के बाद **1 करोड़ 45 हजार 589** श्रम दिवस सृजन कर लिया था।

अध्यक्ष महोदय,

मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी मात्र 210 रूपया है। मजदूरी बढ़ाने के लिए भारत सरकार को समय-समय पर अनुरोध करता रहता हूँ फिर भी मजदूरी नहीं बढ़ी जबकि राज्य में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को 3 सौ 50 रूपया मजदूरी दिया जाता है।

मटेरियल मद में केन्द्र एवं राज्य की राशि का अनुपात 75:25 है। नाम है केन्द्र प्रायोजित योजना और राज्यों



को भी 40% राशि मटेरियल मद में देना पड़ता है। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को नाम 'केन्द्र + राज्य', "राज्य सम्पोषित योजना" नाम रखा जाना चाहिए। सिर्फ नाम बदलकर योजनाओं को केन्द्र अपनी योजना बनाना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में **41 दिनों** तक श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान लगातार नहीं हुआ और **136 दिनों** तक इस राज्य के मजदूरों को मजदूरी का भुगतान इस वर्ष में बंद रहा है। यह साबित करता है कि देश में गरीबों की सरकार नहीं है। सिर्फ गरीबों को बहलाने फुसलाने वोट लेने वाली दिल्ली में सरकार है सिर्फ जुमला का सहारा लेकर सरकार में बने रहने वाली सरकार है।

अध्यक्ष महोदय,

केन्द्र सरकार मजदूरों के मजदूरी का पैसा समय पर नहीं दे रही है। मटेरियल का पैसा तो **11 सौ करोड़ से ज्यादा बकाया है**। केन्द्र सरकार बिहार को समय पर पैसा देने में भेदभाव करती है, उपेक्षा करती है। यह वरदास्त के योग्य नहीं है। केन्द्र सरकार ने तो बिहार का बुरा हाल कर छोड़ दिया। बिहार को अब हमें अपने बल-बुते आगे बढ़ाना होगा। जिस प्रकार जाति आधारित जनगणना की बार-बार माँग किए जाने के बाद भी केन्द्र सरकार ने नहीं कराया। बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार की हितों की रक्षा के लिए जाति आधारित जनगणना



शुभारम्भ किया है, उसी प्रकार गरीबों के हितों के लिए हमें अपने संसाधन से योजना बनानी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय,

हमें गर्व है अपने नेतृत्व पर जो राज्य की जनता से जो कमीटमेंट किया उसे एक-एक कर पूरा करने में लगे हैं, और बिहार को उँचाई पर ले जा रहे हैं।

हमने कई योजनाओं में कृतिमान स्थापित किया है और अपने बलबुते, अपने संसाधन से बिहार को और उँचाई पर ले जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय,

मनरेगा योजना से गरीबों के लिए काम किया है ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार गरीबों के उत्थान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए पशु शेड, मुर्गी शेड, बकरी शेड का निर्माण करा रही है। एक तरफ जहाँ कृषि एवं किसानों के लिए चेक डैम बनाये हैं तो वहीं दूसरी तरफ वन क्षेत्र बढ़ाने तथा जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में पौधा रोपण का कार्य किया जा रहा है।

हमारी सरकार ने अबतक

पशु शेड

— 1 लाख 10 हजार 403. पशु शेड बनाया गया है।



मुर्गी शेड	— 3 हजार 287 मुर्गी शेड बनाया गया हैं
बकरी शेड	— 17 हजार 586 बकरी शेड बनाया गया है
सुअर शेड	— 131 सुअर शेड बनाया गया है।
चेक डैम	— 2 हजार 229 चेक डैम बनाया जा चुका है।
पौधा रोपण	— 5 करोड़ 67 लाख पौधा लगाया जा चुका है।
खेल का मैदान	— 154 खेल का मैदान बनाया गया है।
तालाब	— 42 हजार 618 किसानों के लिए नये तालाब का निर्माण कराया गया है।
शॉक-पीट	— जल जीवन हरियाली के तहत 1 लाख 2 हजार 467 शॉक-पीट बनवाया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय,

बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मनरेगा के तहत उपर वर्णित कार्यों को कराया जा रहा है, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं करने के कारण लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई हो रही हैं। जैसा की मैंने पहले बताया है कि बिहार के श्रम बजट को बढ़ाने के लगातार अनुरोध करने के बाद दो दिन पूर्व श्रम बजट बढ़ाया गया है। बिहार ने अब तक **1 करोड़ 45 हजार 589** श्रम दिवस का सृजन लक्ष्य से



अधिक कर लिया है। श्रम दिवस सृजित नहीं रहने के कारण इन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा था। श्रमिक को पारिश्रमिक मद में पूर्ण राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है।

मनरेगा योजना चलाने के पीछे मुख्य मकसद मजदूरों को काम देना है एवं राज्य के मजदूरों को पलायन से रोकना है लेकिन श्रम बजट नहीं रहने से मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है। जब मजदूरी का भुगतान नहीं होगा तो मजदूरों का दूसरे राज्यों में पलायन होना स्वाभाविक है।

इस प्रकार बिहार राज्य के मजदूरों को दूसरे राज्य में मजदूरी के लिए जाने को मजबूर केन्द्र सरकार करना चाहती है।

.